सर्वशिक्षा अभियान

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

(डी.पी.ई.पी.), सीकर (राजस्थान)

बचाओ * बिजली बचाओ * सबको पढ़ाओ

सर्व शिक्षा अभियान, योजना

जिला सीकर

(2003–04 से 2006–07)

अध्यक्ष

श्री रामरख, I.A.S.
जिला कलक्टर, सीकर

संरक्षक

श्री भगवानसिंह ढाका
जिला प्रमुख, सीकर

मार्गदर्शन

श्रीमती निर्मला परिहार
जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी., सीकर

प्रस्तुतकर्त्ता

श्री रामदेव सिंह झूरिया
कार्यक्रम सहायक,डीपीईपी, सीकर

सहयोगी

1. श्री राजेन्द्र कुमार सैनी CRCF
2. श्री रणजीत सिंह CRCF

कम्प्यूटरीकृत

श्री हिमांशु राजवंशी, कम्प्यूटर आपरेटर

पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढाओ

आमुख

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। इसके लिये सतत् प्रयास भी किये जा रहे हैं। परन्तु कटु सत्य है कि आजतक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित अवधि का एक व्यापक कार्यक्रम "सर्व शिक्षा अभियान" के नाम से निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्ष तक की स्कूल शिक्षा पूर्ण कर लें। "सर्व शिक्षा अभियान" समाज में व्याप्त सामाजिक, क्षेत्रिय एवं लैंगिक विषमताओं को दूर कर 6–14 वर्ष के सभी बच्चों को आठ वर्ष की गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का भारत सरकार की ओर से उठाया गया ऐतिहासिक कदम है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा परिषद, जयपुर के मार्ग निर्देशन में जिला सीकर के जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम [डी.पी.ई.पी.] विभाग ने सन् 2003–04 से सन् 2006–2007 तक की व्यापक शिक्षा योजना "सर्व शिक्षा अभियान" तैयार की है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जिसमें "सर्व शिक्षा अभियान" के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ साथ इसके उद्देश्य, वर्तमान स्थिति, अगले 5 वर्षों की स्थिति का आकलन करते हुये बच्चों के नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्ण सम्वर्द्धन हेतु विभिन्न विद्याओं/ प्रयासों की जानकारी दी है।

नामांकन वृद्धि के साथ कितने अतिरिक्त कक्षा–कक्षों, अध्यापकों एवं विद्यालय भवनों की आवश्यकता होगी को आकलन किया जाकर मानदण्डानुसार बजट की मांग की है। अध्यापकों के व्यवसायिक उन्नयन एवं क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की व्यवस्था कर अध्यापकों के अध्यापन कौशल में वृद्धि की संकल्पना की है। इसकी व्यापक जानकारी जन–जन को मिले इसके लिये "सर्व शिक्षा अभियान" की योजना आपके हाथों में सुपुर्द की गई है।

मैं, जिले के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिभावकों से अपील करता हूं कि आप सब इस पुनीत शिक्षायज्ञ में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर "सर्व शिक्षा अभियान" को सफल बनावें एवं राजस्थान के शैक्षिक मानचित्र में सीकर जिले का नाम ऊंचा उठाने में अपनी सहभागिता निभावें।

रामरत्न, IAS
जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष

परियोजना समन्वयक की कलम से..........

संविधान के अनुच्छेद 45 द्वारा 14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। ज्ञात रहे 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिका जो स्कूलों से नहीं जुड़े हैं उन्हें जोड़ना तो है ही अपितु शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बताते हुये उनके ठहराव को भी सुनिश्चित करना है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों में इन अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को 2007 तक पांचवी पास कराया जाना अनिवार्यता में समझा जावे तथा बालक–बालिकाओं के इस समूह वर्ग को 2010 तक आठवीं पास कराने का लक्ष्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये शिक्षा की व्यापक कार्य योजना "सर्व शिक्षा अभियान" की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसमें 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को 8 वर्ष की गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा कैसे दी जायेगी ? तथा क्या–क्या संसाधन जुटाना पड़ेगा, इसका आकलन किया गया है। इस अभियान के निम्नांकित उद्देश्य निम्नानुसार है :–

1. बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष बल खासतौर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की बालिकाओं को
2. स्कूल न जा सकने वाली बालिकाओं को स्कूल वापसी केन्द्रों में लाना।
3. बालिकाओं के लिये मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।
4. बालिकाओं के लिये विशेष शिक्षण/ उपचारी कक्षायें एवं एक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
5. सीखने के एक समान अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अध्यापकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम।
6. बालिकाओं की शिक्षा से सम्बन्धित नवाचारी परियोजनाओं के लिये विशेष विधियां।
7. 50 प्रतिशत महिला अध्यापकों की भर्ती।

योजना की व्यूह रचना में क्रियान्विति के साथ–साथ प्रबोधन एवं अनुश्रवण को भी स्थान दिया गया है ताकि अभियान की समय–समय पर समीक्षा की जाकर सफलता सुनिश्चित की जा सके। जिस तरह से 'शिक्षा आपके द्वार' कार्यक्रम सफल हुआ, जिसके अन्तर्गत शतप्रतिशत नामांकन हुआ। इसका श्रेय माननीय तत्कालीन जिला कलक्टर श्री ताराचन्द को जाता है जिन्होंनें पूर्ण रुचि लेकर समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर उत्साहवर्द्धन किया हैं। हमें उम्मीद है कि वर्तमान जिला कलक्टर श्री रामरख के अमूल्य निर्देशन में हम सभी "सर्व शिक्षा अभियान" को भी सफल बनाकर सीकर जिले का नाम गौरान्वित करेंगें।

अंत में योजना निर्माण के लिये श्री मनुरामसिंह ए.पी.सी. {सेवानिवृत प्रधानाचार्य} को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होने बहुत सरल तरीके से अभियान की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। इस संदर्भ में सहयोग देने वाले श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, श्री मदनलाल भानू, श्री दीपक माथुर, श्री प्रभुदयाल सैनी, श्री हिमांशु राजवंशी, एवं श्री शंकरलाल शर्मा ए.ई.एन. आदि का मैं आभार मानती हूं जिन्होने विभिन्न प्रकार के आंकडो का संकलन कर कम्प्यूटरीकृत किया है। समस्त बी.आर.सी.एफ. को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकती जिनके अथक प्रयासों से फिल्ड से आधारभूत आंकडे प्राप्त हुये हैं। आशा है, यह योजना शिक्षा में रुचि रखने वाले सज्जनों को पसंद आयेगी एवं वे अपने अमूल्य सुझावों से योजना के परिवर्द्धन एवं प्रभावी बनाने में पूर्ण सहयोग देंगें।

निर्मला परिहार

जिला परियोजना समन्वयक

जिला प्रारम्भिक शिक्षा परियोजना, सीकर

- अनुक्रमणिका -

क्र.स.	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**जिले की पृष्ठ भूमि** भूमिका, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक परिदृश्य, प्रशासनिक ढांचा, जनसांख्यिकी, विभिन्न विकास योजनायें	1-12
2.	**शैक्षिक परिदृश्य** शैक्षिक विकास का इतिहास, साक्षरता दर, शैक्षिक सुविधायें, नामांकन, अनामांकित बच्चे, सकल नामांकन अनुपात, ठहराव दर, ड्राप-आउट पुनरावृत्तिदर, अध्यापक स्थिति (विद्यालय एवं जातिवार एवं योग्यतानुसार) एकल-द्वितीय अध्यापक विद्यालय, रिक्त पद, अध्यापक शिष्य अनुपात, आधारभूत सुविधायें, कक्षा कक्ष संख्या, पेयजल व शौचालय तथा चारदीवारी सुविधायुक्त विद्यालयों की संख्या, प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा, अन्य शैक्षिक सुविधायें	13-32
3.	**योजना प्रक्रिया** भूमिका, कोर टीम का निर्माण, जिला ब्लाक, ग्राम स्तरीय समितियां, सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों पर आयोजित चर्चा बैठकों का विवरण, वातावरण निर्माण, शिक्षा दर्पण सर्वे 2000 एवं अदिनांक (अपडेशन) 2002, प्रशासन सहयोगों के संग, सोशल एसेसमेन्ट स्टडी, अनामांकन के कारण, बेसलाईन एसेसमेन्ट सर्वे, कार्यकारी बिन्दु, समस्यायें एवं मुख्य मुद्दे, नामांकन, ठहराव एवं आधारभूत सुविधायें, अध्यापक एवं भौतिक साधन	33-45
4.	**सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य एवं लक्ष्य** भूमिका, उद्देश्य, लक्ष्य, पंहुच, नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता सम्वर्द्धन	46-50
5.	**पंहुच, नामांकन एवं ठहराव** भूमिका, पंहुच, शिक्षा गारन्टी योजना, ब्रिज कोर्स, [illegible] की आवश्यकता, [illegible] शौचालय, चारदीवारी की आवश्यकता, [illegible] ठहराव, [illegible] गतिविधियां, विद्यालय सुविधा [illegible]	51-60

गुणवत्ता शिक्षा 61-65

भूमिका, शिक्षण अधिगम निर्माण, पुस्तकालय अनुदान, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रशिक्षण, आउट का सुदृढ़ीकरण

विशिष्ट फोकस ग्रुप 66-72

भूमिका, लिंग संवेदनशीलता, ब्रिज कोर्स, विकलांग बच्चों हेतु समन्वित शिक्षा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, निर्धनतम (बी.पी.एल.) के बालक–बालिकाओं की शिक्षा, घुमक्कड़ एवं कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिये शिक्षा

अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन 73-77

भूमिका, मूल्यांकन व्यवस्था, परिवीक्षण, प्रबोधन, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, परियोजना का प्रबंधकीय ढांचा

9. प्रबंधन एवं संस्थाओं का क्षमता विकास 78-88

भूमिका, जिला स्तरीय प्रबंधन, कार्यकारी परिषद, शासकीय परिषद, जिला, ब्लाक, संकुल संदर्भ समूह एवं शिक्षा समितियां, शाला प्रबंधन समितियां, भवन निर्माण समिति, कोष प्रवाह

10. निर्माण कार्य 89-93

भूमिका, विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, पेयजल, शौचालय, बी.आर.सी भवन, सी.आर.सी. भवन, चारदीवारी निर्माण

. योजना लागत (2002-2010) 94-97

. वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (2002-2003) 98-100

. क्रियान्वयन योजना (2002-2010) 101-103

सारणी सूची

क्र.सं.	सारणी विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	उपखण्ड विवरण	2
2.	व्यवसायिक स्थिति	4
3.	प्रशासनिक स्वरूप	5
4.	जनसंख्या वृद्धिदर	6
5.	लिंगवार (ग्रामीण/ शहरी) जनसंख्या	6
6.	जातिवार जनसंख्या	7
7.	तहसील अनुसार जनसंख्या	7
8.	जनसंख्यानुसार वासस्थान का विवरण	8
9.	विकास योजनाओं में हुये व्यय का विवरण	
10.	साक्षरता दर	11
11.	तहसीलवार साक्षरता प्रतिशत	12
12.	शहरी क्षेत्रों का साक्षरता प्रतिशत	12
13.	शैक्षिक सुविधायें	13
14.	कुल शैक्षिक संस्थाओं का विवरण	13
15.	उच्च शिक्षा संस्थाओं का विवरण	14
16.	जातिवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	14
17.	कक्षावार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	15
18.	प्रबंधवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	16
19.	विभिन्न स्कूलों का नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	16
20.	आयुवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)	17
21.	अनामांकित बच्चे	17
22.	सकल नामांकन अनुपात	18
23.	ठहराव दर	18
24.	विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चे	19
25.	पुनरावृत्ति दर	19
26	रिक्त	
27.	विद्यालयवार अध्यापकों की संख्या	20

29.	योग्यतानुसार वर्गीकरण	21
30.	विद्यालयवार अध्यापकों की संख्या	21
31.	रिक्त पदों का विवरण	22
32.	अध्यापक शिष्य अनुपात	22
33.	विद्यालय भवनों की संख्या {सरकारी}	23
34.	कक्षाकक्षों की संख्या {सरकारी}	23
35.	पेयजल व्यवस्था {सरकारी}	24
36.	शौचालय सुविधा {सरकारी}	24
37.	चार दीवारी {सरकारी}	25
38.	प्रशासनिक ढांचा	26
39.	सर्वशिक्षा अभियान के बैठकों का विवरण	32
40.	शत प्रतिशत नामांकन वाले गांवों की संख्या	34
41.	वातावरण निर्माण हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम विवरण	35
42.	आयोजित कार्यक्रम का तिथिवार विवरण	37
43.	शिक्षा दर्पण {आदिनांक} सर्वे 2000	38
44.	सकल नामांकन अनुपात 2000	39
45.	शिक्षा दर्पण {अपडेशन} सर्वे 2002 {अनामांकित बच्चे}	40
46.	शिक्षा दर्पण {अपडेशन} सर्वे 2002 {NER}	40
47.	शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों का लब्धि स्तर	46
48.	भवन रहित विद्यालयों की संख्या	49
49.	प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	49
50.	अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता	50
51.	शौचालय विहीन विद्यालयों की संख्या	51
52.	पानी की सुविधा सम्बन्धि सूचना	52
53.	6–14 आयुवर्ग के बच्चों का ठहराव	59
54.	वैकल्पिक विद्यालय जिनको प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होना है	60
55.	उ.प्रा.वि. की पंचायत समितिवार संख्या	61
56.	शिक्षा गारन्टी योजना की आवश्यकता	62
57.	ब्रिज कोर्स की आवश्यकता	63
58.	सामुदायिक गतिशीलता की क्रियाविधि	63
59.	[illegible]	[illegible]

61.	विभिन्न स्तरों पर पुरस्कारों की संख्या	70
62.	अनामांकित बच्चे	70
63.	डाइट में कार्यरत स्टाफ विवरण	75
64.	परियोजना का प्रबंधीय ढांचा	91
65.	जिला स्तरीय प्रबंधन	93
66.	ब्लाक स्तरीय प्रबंधन	96
67.	शाला प्रबंधन समिति	99
68.	पंचायत समितिवार निर्माण कार्य	103
69.	विद्यालय भवनों की लागत राशि	104
70.	पेयजल सुविधा की लागत राशि	105
71.	बी.आर.सी. भवन लागत राशि	106
72.	संकुल संदर्भ केन्द्र लागत राशि	106
73.	सर्वशिक्षा अभियान की योजना लागत {2003-2007}	107, 108, 109, 110
74.	वार्षिक कार्य योजना {2003-2004}	111, 112, 113
75.	क्रियान्वयन योजना {2003-2010}	114, 115, 116

अध्याय -- 1

जिले की पृष्ठभूमि

भूमिका :-

बहुत वर्षों पहले सीकर खण्डेला ठिकाने का एक गांव था। जिसका नाम वीरभान का बास था। खण्डेला के राव राजा बहादुर सिंह के जमाने में यह एक महत्वपूर्ण गांव था। जिसे दूजोद के राजा दौलतसिंह को इसे उपहार में दिया था। सीकर का अत्यधिक विकास राजा दौलत सिंह के पुत्र शिवसिंह के समय में हुआ तथा इन्होंने हर्ष के पर्वत पर एक शिव मंदिर की स्थापना की। कालान्तर में वीरभान का बास शिवकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो बाद में सीकर के नाम से पुकारा जाने लगा।

राजा शिवसिंह ने फतेहपुर के राजा कायम खान को हराकर सीकर में मिलाया तथा इन्होंने सन् 1788 – 1805 {17 वर्षो } तक राज्य किया। इनके उत्तराधिकारी राजा चान्दसिंह ने 1820 तक राज्य किया। इसक पश्चात् इनके पुत्र देवीसिंह राजा बने और इन्होंने सीकर का विस्तार किया। देवीसिंह के बाद राजा लक्ष्मणसिंह हुए जिन्होंने एक पहाड़ी पर बहुत सुन्दर गढ़ का निर्माण किया तथा उस का नाम लक्ष्मणगढ़ रखा। तत्पश्चात् राजा माधोसिंह अन्त में उनके पुत्र राजा कल्याण सिंह हुए। जिनके नाम पर आज भी श्री कल्याण सीनियर सैकण्डरी स्कूल, श्री कल्याण कॉलेज एवं श्री कल्याण औषधालय बनवाये, जो आज भी अनवरत रूप से चल रहे हैं।

यहां की फतेहपुर एवं रामगढ की पुरानी हवेलियां बनावट व भित्ती चित्रों के कारण देशी–विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र है।

जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

सीकर जिले का गठन 1949 में हुआ। इससे पूर्व सीकर जिले का वर्तमान क्षेत्र तत्कालीन जयपुर राज्य का एक भाग था। इस जिले में तत्कालीन सीकर ठिकाना,

श्यामगढ़ ठिकाने के 11 गांव और खास जयपुर राज्य की दांतारामगढ़ {48 ग्रामों को छोड़कर जिन्हें फुलेरा तहसील में हस्तांतरित कर दिया गया है} और नीमकाथाना तहसीलें सम्मिलित हैं।

जिले की सीमाओं में 1991–2001 के दशक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जिले का क्षेत्र 6 उपखण्डों

तथा 6 तहसीलों तथा 8 पंचायत समितियों में बंटा हुआ है। जिनका विवरण {तालिका–1}निम्न प्रकार से है –

तालिका–1 {उपखण्ड विवरण}

उपखण्ड का नाम	तहसील का नाम
1. फतेहपुर	फतेहपुर
2. लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़
3. सीकर	सीकर
4. दांतारामगढ़	दांतारामगढ़
5. नीनकाथाना	नीमकाथाना
6. श्रीमाधोपुर	श्रीमाधोपुर

भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु :–

सीकर जिला राजस्थान के उत्तर–पूर्वी भाग में 27° 21' और 28° 12' उत्तरी अक्षांश तथा 74° 44' तथा 75° 25' पूर्वी रेखांश के बीच, मध्य समुद्र सतह से 432.31 मीटर की औसत ऊंचाई पर स्थित है। इसके उत्तर में झुंझनू जिला, उत्तर पश्चिम में चूरू जिला, दक्षिण पश्चिम में नागौर जिला और दक्षिण पूर्व में जयपुर जिला स्थित है।

इसका उत्तरी पूर्वी कोना हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले को छूता है। जिला दक्षिण से उत्तर की ओर 7732 किलोमीटर क्षेत्र में फेला हुआ है।

जिले को दो भौगोलिक मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी क्षेत्र में रेत के धोरे (टीले) है तथा पूर्वी अर्द्ध भाग पहाड़ी श्रृंखलाओं से घिरा है। वर्ष भर निरन्तर बहने वाली कोई नदी नहीं है। अरावली पर्वत श्रृंखला इस जिले को दो भागों में बांटती है। जिले की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी, तथा वर्षा ऋतु में बहुत कम वर्षा और शीतकाल में ठिठुराने वाली सर्दी होती है। वर्षाकाल को छोड़कर सामान्यतः सूखी हवा चलती है। वर्षभर में जिले का औसत तापमान अधिकतम 46 डिग्री सेन्टीग्रेड, न्यूनतम 0.0 डिग्री सेन्टीग्रेड और मध्यम तापमान 23.0 सेन्टीग्रेड रहता है। वार्षिक सामान्य वर्षा 466 मिलीमीटर होती है।

1.4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य :–

सीकर जिले को आठ पंचायत समितियों, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, धोद, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, खण्डेला, पिपराली, तथा दांतारामगढ़ में विभाजित किया गया है। सीकर जिले में 946 गांव हैं जिनमें से 931 या 98.42 प्रतिशत आबाद हैं तथा शेष 1.58 प्रतिशत यानि 15 गांव गैर आबाद हैं। 931 आबाद गांव में से 93.56 प्रतिशत गांवों में शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। आबाद गांवों में जिनमें शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं, सबसे अधिक प्रतिशत 99.29 फतेहपुर पंचायत समिति में है तथा न्यूनतम 88.79 प्रतिशत खण्डेला पंचायत समिति में हैं।

जिले के ग्रामीण लोगों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन उनके शहरी केन्द्र से निकटता के कारण प्रभावित होता है। जिले के गांव का अधिकांश भाग 54.13 प्रतिशत निकटतम कस्बे से 16 से 50 किमी दूरी पर है। अधिक से अधिक 340 गांव 6 से 15 किमी पर है। जबकि 67 गांव जोकि कुल आबाद गांव का 7.20 प्रतिशत है 5 किमी तक की सुविधाजनक दूरी पर है। केवल 20 गांव ऐसे है जो निकटतक कस्बे से 51 से अधिक किमी की दूरी पर है।

आर्थिक दृष्टि से सीकर राजस्थान का पिछड़ा जिला माना जाता है। यहां के लोगों का मुख्य पेशा कृषि एवं पशुपालन है। खण्डेला कस्बे में गोटा किनारी उद्योग से लगभग 80 हजार रू प्रतिदिन प्राप्त होते है। इसके अलावा फतेहपुर कस्बे में सीसम एवं रोहिड़ा की लकड़ियों से फर्नीचर एवं खिलोने बहुत ही सुन्दर बनाये जाते हैं। जिसका निर्यात विदेशो में भी किया जाता है। केन्द्र सरकार ने करीब 20 वर्ष पहले भेड–उन अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की जिसमें आठ हजार भेड़े जो कि विभिन्न नस्लों की हैं पाली {रखरखाव} जा रही है। रींगस में पॉलीस्पिन मील की स्थापना हुई है जहां दस हजार व्यक्ति कार्यरत है। इसके बावजूद काफी लोग बेरोजगार है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते है।

जिला अधातु खनिजों के उत्पाद में विशेष स्थान रखता हैं। यहां ताबें के अनेक भण्डार, टरीबा, नीमकाथाना, बलेश्वर, अहीरवाला और मथूका, बिहार,खीरी और सलवारी में है। लोहे के भण्डार रायपुर, बागोली–सिरोही और पंचालौंगी–सिरोही में स्थित है।

जिले की आर्थिक स्थिति निम्नांकित टेबिल में दर्शाई गई है :–

तालिका–2 { सीकर जिले की व्यवसायिक स्थिति}

क्र.सं.	विवरण	पुरूष %	महिला %	योग
1.	मुख्य व्यवसाय	42.12	7.04	25.07 %
2.	सीमान्त व्यवसाय	0.80	12.70	6.58 %
3	बेरोजगार	57.08	80.26	68.35 %
	योग	100.00	100.00	100.00

1.5 व्यावसायिक स्वरूप :–

जहां तक व्यावसाकि स्वरूप का प्रश्न है सीकर जिले के तीन मुख्य कार्यकारी दल को उपर्युक्त टेबिल नं. 2 में दर्शाया गया, जो स्पष्टरूप से यह बताता है कि कुल व्यवसायि का 25.07 प्रतिशत मुख्य व्यवसाय में लगे हैं। जबकि सीमान्त व बेरोजगार का

प्रतिशत क्रमशः 6.58 एवं 68.35 प्रतिशत हैं। मुख्य व्यवसाय में अधिकतर कृषक कृषि, पशुपालन एवं बागवानी आदि का प्रतिशत अधिक है।

1.6 प्रशासनिक ढाचा :–

जिलाधीश जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं जिला दण्डनायक होता है। प्रत्येक उपखण्ड का उपखण्ड अधिकारी एवं प्रत्येक तहसील के लिए तहसीलदार प्रभारी होता है। जिन्हें कार्यकारी दण्डनायक के अधिकार भी प्राप्त हैं। 1959 में हुए प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप इस जिले में आठ पंचायत समितियों का गठन किया गया। पंचायत समितियां जिला परिषद के अध्यक्ष, जिला प्रमुख के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्यकरती है। किन्तु प्रशासनिक दृष्टि से इनका पर्यवेक्षण जिलाधीश द्वारा किया जाता है जो कि पदेन जिला विकास अधिकारी होता है। पं.समितियां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सभी प्रकार की विकास गतिविधियों की मुख्य एजेन्सी है।

तालिका–3 { सीकर जिले का प्रशासनिक स्वरूप }

क्रसं.	विवरण		संख्या
1	उपखण्ड		6
2	खण्ड/ पंचायत समिति		8
3	तहसील		6
4	गांव		1017
5	वासस्थान		1582
6	ग्राम पंचायत		329
7	शहरी क्षेत्र		9
8	शहरी वार्ड		230

1.7 जनसांख्यिकी :–

1991 की जनगणना के अनुसार सीकर जिले की जनसंख्या 1842914 थी, जो कि जनगणना 2000 के अनुसार बढकर 2287229 हो गई। यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का 4.05 प्रतिशत निवास करते हैं। सीकर जिले का पुरुष–महिला अनुपात 1000 : 951 है। जनसंख्या का घनत्व जिले में 296 व्यक्ति प्रति किमी है। 1991–2001 में जनसंख्या वृद्धि 444315 हुई है।

तालिका–4 {सीकर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर}

क्र सं.	जनसंख्या वर्ष	जनसंख्या			लिंग अनुपात
		पुरूष	महिला	कुल	
1	जनसंख्या (1991)	947232	895682	1842914	946
2	जनसंख्या (2001)	1172129	1115100	2287229	951
3	जनसंख्या वृद्धि	224897	219418	444315	—
	वृद्धि दर	1.99	1.96	1.94	—

SOURCE CENCUS REPORT, 2001

तालिका–5 { लिंगवार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की जनसंख्या }

ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या			कुल जनसंख्या		
Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F
1815257	926820	888437	471972	245309	226663	2287229	1172129	1115100

SOURCE CENCUS REPORT, 2001

ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात = 51.25

शहरी जनसंख्या का अनुपात = 48.75

तालिका संख्या 6 (जिले की ब्लाकवार शहरी व ग्रामीण क्षैत्र की जनसंख्या)

S. NO.	TEHSIL	POPULATION 2001			POPULATION 2001					
					RURAL			URBAN		
		T	M	F	T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	261005	131773	129232	154103	76838	77265	106902	54935	51967
2	LAXMANGARH	283573	144605	138968	236285	120020	116265	47283	24585	22703
3	SIKAR	530421	273150	257271	344915	176504	168411	185506	96646	88860
4	DANTARAMGARH	358471	182120	176351	333116	169370	163746	25355	12750	12605
5	SHRIMADHOPUR	506932	260116	246816	429555	219412	210143	77377	40704	36673
6	NEEMKATHANA	346827	180365	166462	317283	164676	152607	29544	15689	13855
TOTAL		2287229	1172129	1115100	1815257	926820	888437	471972	245308	226563

Census : 2001

तालिका–7 { सीकर जिले की जातिवार जनसंख्या }

जनसंख्या											
अनुसूचित जाति			अनु.जनजाति			सामान्य			कुल		
Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F	Tot	M	F
320274	165387	154887	60639	31647	28992	1906316	975025	931221	2287229	1172129	1115100

SOURCE CENCUS REPORT, 2001

अनु.जाति का पुरूष, महिला व कुल जनसंख्या {प्रतिशत} = 7.23 + 6.78 = 14.01

अनु.जनजाति का पुरूष, महिला व कुल जनसंख्या {प्रतिशत} = 1.39 + 1.27 = 2.66

तालिका–8 {सीकर जिले की तहसीलवार जनसंख्या }

क्रसं.	तहसील	जनसंख्या		
		पुरूष	महिला	कुल जनसंख्या
1	फतेहपुर	131773	129232	261005
2	लक्ष्मणगढ	144605	138968	283573
3	सीकर	273150	257271	530421
4	दांतारामगढ	182120	176351	358471
5	श्रीमाधोपुर	260116	246816	506932
6	नीमकाथाना	180365	166462	346822
	योग	1172129	1115100	2287229

SOURCE CENCUS REPORT, 2001

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2001					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	33931	17130	16800	20202	10199	10003
2	LAXMANGARH	36864	18799	18066	21949	11192	10756
3	SIKAR	68955	35510	33445	41055	21142	19913
4	DANTARAMGARH	46601	23676	22926	27746	14096	13650
5	SHRIMADHOPUR	65901	33815	32086	39237	20133	19104
6	NEEMKATHANA	45088	23447	21640	26844	13960	12884
TOTAL		297340	152377	144963	177032	90723	86309

PROJECTED POPULATION OF AGE GROUP 6-14

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2002					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	34749	17544	17205	20689	10445	10244
2	LAXMANGARH	37753	19252	18501	22478	11462	11016
3	SIKAR	70617	36366	34252	42044	21652	20393
4	DANTARAMGARH	47725	24246	23479	28415	14436	13979
5	SHRIMADHOPUR	67490	34630	32860	40183	20619	19564
6	NEEMKATHANA	46175	24013	22162	27492	14297	13195

TOTAL		304509	156051	148458	181300	92910	88390

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2003					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	35587	17966	17620	21188	10697	10491
2	LAXMANGARH	38664	19716	18947	23020	11739	11281
3	SIKAR	72320	37242	35077	43058	22174	20885
4	DANTARAMGARH	48875	24831	24044	29100	14784	14316
5	SHRIMADHOPUR	69117	35465	33652	41151	21115	20036
6	NEEMKATHANA	47288	24592	22696	28154	14642	13513
TOTAL		311850	159813	152037	185671	95150	90521

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2004					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	36445	18400	18045	21698	10955	10744
2	LAXMANGARH	39536	20181	19404	23575	12022	11553
3	SIKAR	74063	38140	35923	44096	22708	21388
4	DANTARAMGARH	50054	25430	24624	29801	15140	14661
5	SHRIMADHOPUR	70784	36320	34463	42143	21625	20519
6	NEEMKATHANA	48428	25185	23243	28833	14995	13839
TOTAL		319369	163666	155703	190147	97444	92703

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2005					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	37323	18843	18480	22222	11219	11003
2	LAXMANGARH	40550	20678	19872	24143	12311	11832
3	SIKAR	75849	39060	36789	45159	23256	21804
4	DANTARAMGARH	51261	26043	25219	30520	15505	15014
5	SHRIMADHOPUR	72490	37196	35294	43160	22146	21014
6	NEEMKATHANA	49596	25792	23804	29528	15356	14172
TOTAL		327069	167612	159457	194732	99794	94938

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2006					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	38223	19298	18925	22757	11489	11268
2	LAXMANGARH	41528	21177	20351	24725	12608	12117
3	SIKAR	77678	40002	37676	46248	23816	22432
4	DANTARAMGARH	52497	26671	25826	31256	15879	15376
5	SHRIMADHOPUR	74238	38093	36145	44200	22680	21520
6	NEEMKATHANA	50791	26414	24378	30240	15726	14514

TOTAL		334955	171653	163302	199427	102200	97227

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2007					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	39145	19763	19382	23306	11766	11540
2	LAXMANGARH	42529	21687	20842	25321	12912	12409
3	SIKAR	79551	40966	38585	47363	24391	22973
4	DANTARAMGARH	53762	27314	26448	32009	16262	15747
5	SHRIMADHOPUR	76028	39011	37017	45266	23227	22039
6	NEEMKATHANA	52016	27050	24965	30969	16105	14854
TOTAL		343030	175792	167239	204235	104664	99571

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2008					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	40088	20239	19849	23868	12050	11818
2	LAXMANGARH	43555	22210	21344	25932	13224	12708
3	SIKAR	81469	41954	39515	48505	24979	23527
4	DANTARAMGARH	55058	27972	27086	32781	16654	16127
5	SHRIMADHOPUR	77861	39952	37909	46357	23787	22573
6	NEEMKATHANA	53270	27703	25567	31716	16494	16222
TOTAL		351301	180030	171271	209159	107187	101972

S. NO.	BLOCK/ TEHSIL	2009					
		6-11 AGE GROUP			11-14 AGE GROUP		
		T	M	F	T	M	F
1	FATEHPUR	41055	20727	20328	24443	12341	12103
2	LAXMANGARH	44605	22746	21859	26557	13542	13015
3	SIKAR	83433	42965	40468	49675	25581	24094
4	DANTARAMGARH	56386	28647	27739	33571	17056	16516
5	SHRIMADHOPUR	79738	40915	38823	47475	24360	23115
6	NEEMKATHANA	54554	28371	26184	32481	16891	15583
TOTAL		359771	184371	175400	214202	109771	104431

तालिका–9 {जनसंख्या के अनुसार वासस्थान का विवरण }

क्रसं.	तहसील	जनसंख्या के अनुसार वासस्थान की संख्या						कुल
		<100	<200	<300	<1000	>1000	अन्य	
1	फतेहपुर	3	2	2	61	75	50	193
2	लक्ष्मणगढ	1	1	3	66	66	42	179
3	धोद	–	2	2	31	73	163	265
4	दांतारामगढ़	8	4	4	76	75	104	241
5	खण्डेला	4	6	2	38	76	38	164
6	नीमकाथाना	4	3	6	40	91	196	340
7	श्रीमाधोपुर	–	1	–	9	54	1	65
8	पिपराली	5	1	2	29	56	38	131
	योग	25	20	21	320	566	630	1582

SOURCE CENCUS REPORT, 2001

1.8 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाएं :–

जिले में निम्नलिखित विकास योजनाएं चल रही हैं –

1.8.1 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम(एम.एल.ए.एल.ए.डी.) :–

योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य :–

1. राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य।
2. पुस्तकालय भवन/ बस स्टेण्ड/ धर्मशाला/ विश्रामगृह/ स्टेडियम/ वालमिकी भवन/ सामुदायिक भवन।
3. चार दिवारी निर्माण।
4. शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर।

5 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों / पंचायती राज संस्थाओं हेतु फेक्स मशीन / कम्प्यूटर।

1.8.2 सांसद स्थानीय क्षैत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.ड़ी.)

योजना के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्य :-

1. विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण, जो सरकार अथवा स्थानीय निकाय के अधीन हो। ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।

2. मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण। व्यायाम केन्द्रो, खेलकूद संघों, शारीरिक शिक्षा, प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम–फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।

3. सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।

4. शिशुग्रह एवं आंगनवाड़ियाँ।

अध्याय – 2

शैक्षिक परिदृश्य

2.1 शैक्षिक विकास का इतिहास :–

स्वतंत्रता से पूर्व जिले की शैक्षिक स्थिति बहुत खराब थी। पूर्व में निम्न प्रकार से शैक्षिक संस्थाएं प्रचलित थी, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

2.1.1 – जागीरदार स्कूल : राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जागीरदार स्कूल स्थापित किये थे, जिनमें शाही परिवार एवं उनके धनाद्य व्यक्तियों के बच्चे ही अध्ययन करते थे। इन विद्यालयों में भाषा, गणित, कला व नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी।

2.1.2 – मकतब एवं मदरसा शिक्षा : फतेहपुर के नवाब के द्वारा फतेहपुर में मकतब व मदरसा स्थापित किये गये, जिनमें मौलवियों द्वारा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उर्दू और कुरान की शिक्षा दी जाती थी।

2.1.3 – संस्कृत विद्यालय : जिले में संस्कृत विद्यालयों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन स्कूलों में ब्राह्मणों के बालकों को प्रवेश दिया जाता था, जो वेद, पुराण, उपनिषद, साहित्य और आयुर्वेद का अध्ययन कराया जाता था। इसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी और इन विद्यालयों का संचालन समाज के धनाढ्य व्यक्तियों द्वारा किया जाता था।

2.1.4–पाठशाला : स्थानीय गुरूओं द्वारा कुछ स्थानों पर पाठशालाओं का संचालन किया जाता था, जहां सामान्य गणित, भाषा का अध्ययन कराया जाता था। गरीब बच्चे इसमें प्रवेश नहीं पा सकते थे जिससे जातिगत विषमताएं प्रदर्शित होती थी।

2.1.5 –राजपूताना शिक्षा : बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में बहुत बड़ी धनराशि राजपुताना शिक्षा मंडलों के लिए एकत्रित की गई। भारत की स्वतंत्रता के लिए जनजागृति आवश्यक था और इसके लिए शिक्षा की महत्ति आवश्यकता थी। अतः जिले में राजपुताना शिक्षा मंडल ने बहुत से स्कूलों को संचालित किया। आधुनिक शिक्षा यहां प्रदान की जाती थी। लेकिन रुढ़िवादी व्यक्ति अंग्रेजी शिक्षा कि विरूद्ध थे।

2.2 साक्षरता दर : –

1991 की जनगणना के अनुसार सीकर जिले की जनसंख्या 42.49 प्रतिशत थी जबकि राज्य की 38.52 प्रतिशत एवं भारतवर्ष की 52.21 प्रतिशत थी। जो सन् 2001 में बढकर सीकर की साक्षरता दर 71.19 प्रतिशत हो गई। जहां तक साक्षरता दर का सम्बंध है जिले का राज्य में तीसरा स्थान है। परन्तु महिला एवं पुरूष के बीच साक्षरता दर का अन्तर उत्साहजनक नहीं है। पुरूष की साक्षरता दर 85.20 प्रतिशत है। जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 56.70 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थिति और भी खराब है।

जिले की विभिन्न तहसीलों की साक्षरता दर 68.67 से 74.29 प्रतिशत तक भिन्नता लिए हुए है। लक्ष्मणगढ़ तहसील की ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर सर्वाधिक 74.77 प्रतिशत है। जिसमें पुरूषों की 87.60 प्रतिशत जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 61.84 प्रतिशत है। जिले में न्यूनतम साक्षरता दर नीमकाथाना तहसील की 67.60 प्रतिशत है। जिनमें पुरूषों की 82.66 प्रतिशत व महिलाओं की 51.47 प्रतिशत है। जहां तक महिलाओं की साक्षरता दर का प्रश्न है उसमें अंधविश्वास, रूढिवादी, गरीबी, सामाजिक एवं लिंगभेद पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं का अभाव आदि प्रमुख कारण है।

जिले का साक्षरता दर को तालिका के माध्यम से आगे दिखाया गया है। जो इस प्रकार है –

तालिका–10 (जिला, प्रदेश व राष्ट्र की साक्षरता प्रतिशत)

क्रसं.	विवरण	योग	महिला	पुरूष
1	भारत 2001	61.03	44.34	75.85
2	राजस्थान (2001)	65.38	54.46	76.46
3	सीकर जिला	71.19	56.70	85.20
4	ग्रामीण	84.74	55.70	70.39
5	शहरी	86.91	60.60	74.23

Source Akhar [illegible] 2001

तालिका–11 (तहसीलवार साक्षरता प्रतिशत)

क्रसं.	तहसील	पुरूष	महिला	योग
1	फतेहपुर	85.77	60.55	73.13
2	लक्ष्मणगढ़	87.24	61.08	74.29
3	नीमकाथाना	83.47	52.73	68.67
4	श्रीमाधोपुर	84.72	55.80	70.53
5	दांता रामगढ़	84.89	56.24	70.65
6	सीकर	85.66	56.11	71.21

Source Akhar Jot, Oct.-Dec. 2001

तालिका–12 (जिले की शहरी क्षेत्रों का साक्षरता प्रतिशत)

क्रसं.	शहरी क्षेत्र	पुरूष	महिला	योग
1	फतेहपुर	84.50	58.42	71.76
2	लक्ष्मणगढ़	85.51	57.16	71.86
3	नीमकाथाना	91.65	66.23	79.74
4	श्रीमाधोपुर	88.64	58.82	74.48
5	दाता रामगढ़	84.43	53.13	68.67
6	सीकर	87.43	63.59	75.97

Source Akhar Jot, Oct-Dec 2001

2.3 शैक्षिक सुविधाएं :-

2.3.1- सीकर जिले में संचालित प्राथमिक / अन्य प्राथमिक/ प्राथमिक/ उप्रावि/रागापा/ मदरसा एवं वैकल्पिक विद्यालयों की संख्या पंचायत समितिवार नीचे की तालिका में दर्शाया गया है। इन संस्थाओं की कुल संख्या 2342 है।

तालिका-13 (शैक्षिक सुविधाएं)

क्र सं.	नाम पंचायत समिति	प्रावि	उप्रावि	रागापा	प्रा.उप्रा (संस्कृत)	शिक्षा कर्मी	वै.वि.	मदरसा	योग
1	फतेहपुर	115	60	26	6	0	11	13	231
2	लक्ष्मणगढ़	141	46	56	2	0	5	10	260
3	धोद	145	42	112	2	0	5	2	308
4	दांतारामगढ़	184	59	104	6	0	21	3	377
5	खण्डेला	123	62	75	6	0	14	0	280
6	नीमकाथाना	165	67	78	3	34	26	0	373
7	श्रीमाधोपुर	106	50	72	7	0	9	0	244
8	पिपराली	110	61	80	2	0	10	1	264
	योग	1089	447	603	34	34	101	29	2337

स्रोत जि.शि.अ. (प्रा.शि.)

तालिका-14 (सीकर जिले में कुल शैक्षिक संस्थाओं का विवरण)

स्कूल का प्रकार	स्कूल की संख्या	नामांकन		
		बालक	बालिका	योग
वैकल्पिक विद्यालय (6 घण्टे)	101	1150	1288	2438
मदरसा	29	1429	1184	2613
एस.एस.के.	34	1452	1566	3018
प्रहर पाठशाला	0	0	0	0
ई.जी.एस.(रागापा)	603	24478	24523	49001
शिक्षा मित्र	5	110	92	202
चल विद्यालय	1	29	57	86
योग	773	28648	28710	57358

स्रोत डी.पी.ई.पी., सीकर

तालिका–15 (उच्च शिक्षा के लिए जिले की शैक्षिक संस्थाएं)

क्रस.	संस्थान का नाम	राजकीय	प्राईवेट	योग
1	माध्यमिक	176	113	289
2	सीनियर सैकण्डरी	89	48	137
3	डिग्री कॉलेज	3	8	11
4	पी.जी.कॉलेज	1	3	4
5	डाईट	1	0	1
6	बी.एड. कॉलेज	0	0	0
7	आई.ए.एस.ई.	0	0	0
8	आई.टी.आई.	1	0	1
9	इंजीनियरिंग कॉलेज	0	2	2
10	मेडिकल कॉलेज	0	0	0
11	विश्वविद्यालय	0	0	0

सोत्र जि.शि.अ. (प्रा.शि.)

2.4 नामांकन :–

तालिका–16 (अ) जातिवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)

क्र सं.	ब्लाक नाम	अनु. जाति			अनु. जनजाति			अन्य			कुल		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	फतेहपुर	5073	4134	9207	338	281	619	26242	21521	47763	31653	25336	57589
2	लक्ष्मणगढ	6185	4692	10877	305	219	524	26038	22023	48061	32528	26934	59462
3	धोद	4890	3902	8792	423	432	855	23511	19084	42595	28824	23418	52242
4	दातारामगढ	7796	5564	13360	1327	964	2291	30904	26140	57044	40027	32568	72605
5	खण्डेला	6020	3993	10013	1893	1559	3452	29629	25950	55579	37642	31502	69044
6	नीमकाथाना	7472	6049	13521	3673	2951	6624	38535	30611	69146	49680	39611	89291
7	श्रीमाधोपुर	4917	3836	8753	1545	1124	2669	30165	25683	55848	36627	30643	67270
8	पिपराली	5927	4877	10704	666	467	1133	23660	19690	43350	30153	25034	55187
कुल		48180	37047	85227	10170	7997	18167	228684	190702	419386	287034	235746	522780

सोत्र जि.शि.अ. (प्रा.शि.)

तालिका– 17 (ब) कक्षावार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)

ब्लाक		पिपराली	धोद	फतेहपुर	लक्ष्मणगढ़	खण्डेला	श्रीमाधोपुर	दांतारामगढ़	नीमकाथाना	योग
I	B	7629	7461	8843	8654	8978	8386	9932	11006	70889
	G	6593	6402	6644	7601	8307	7598	8842	9996	61983
	T	14222	13863	15487	16255	17285	15984	18774	21002	13287
II	B	5220	4657	4828	5282	5977	5784	7682	8619	48049
	G	4665	4194	4582	4814	5630	5291	5716	7683	42575
	T	9885	8851	9410	10096	11607	11075	13398	16302	90624
III	B	3947	3718	3764	4291	5068	5063	5437	6922	38210
	G	3407	3294	3796	3970	4460	4509	5613	5799	34848
	T	7354	7012	7560	8261	9528	9572	11050	12721	73058
IV	B	3194	3164	3476	3667	4477	4438	5033	5996	33445
	G	2770	2768	3069	3068	3898	3530	3536	5070	27709
	T	5964	5932	6546	6735	8375	7968	8569	11066	61154
V	B	2566	2497	3112	2763	3658	3710	2695	4984	25985
	G	1948	1950	2782	2274	3105	2940	2846	3673	21518
	T	4514	4447	5894	5037	6763	6650	5541	8657	47503
VI	B	2673	2761	3122	2940	3516	3372	4022	4309	26715
	G	2178	1915	1753	2193	2392	2704	2113	2846	18094
	T	4851	4676	4875	5133	5908	6076	6135	7155	44809
VII	B	2578	2337	2475	2641	2944	3187	3122	3910	23194
	G	1820	1547	1685	1618	2054	2058	1935	2580	15297
	T	4398	3884	4160	4259	4998	5245	5057	6490	38491
VII	B	2346	2229	2033	2290	2924	2687	2104	3934	20547
	G	1653	1348	1625	1396	1656	2013	2067	1964	13722
	T	3999	3577	3658	3686	4580	4700	4171	5898	34269
TOTAL	B	30153	28824	31653	32528	37542	36627	40027	49680	287034
	G	25034	23418	25936	26934	31502	30643	32668	39611	235746
	T	55187	52242	57589	59462	69044	67270	72695	89291	522780

तालिका–18 (स) प्रबंधवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)

क्रसं.	ब्लाक का नाम	सरकारी स्कूल			निजी स्कूल			कुल		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	फतेहपुर	16803	15239	32042	14850	10697	25547	31653	25936	57589
2	लक्ष्मणगढ़	17018	16826	33844	15510	10108	25618	32528	26934	59462
3	धोद	17098	16985	34083	11726	6433	18159	28824	23418	52242
4	दांतारामगढ़	22014	21603	43617	18013	11065	29078	40027	32668	72695
5	खण्डेला	22784	18642	41426	14758	12860	27618	37542	61502	69044
6	नीमकाथाना	29465	24109	53574	20215	15502	35717	49680	39611	89291
7	श्रीमाधोपुर	21391	18971	40362	15236	11672	26908	36627	30643	67270
8	पिपराली	16887	16225	33112	13266	8809	22075	30153	25034	55187
	कुल	163460	143600	312060	123574	87146	210720	287034	235746	522780

सोत्र जि.शि.अ. (प्रा.शि.)

तालिका–19 (स.–1). विभिन्न स्कूलों में नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक) सत्र 2002–03

क्रसं.	स्कूल का प्रकार	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6से 8 तक			कुल		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	प्राथमिक	104089	83986	188055	0	0	0	104089	83966	183055
2	उच्च प्राथमिक	37197	32190	69387	42463	27195	69658	79660	59385	139045
3	राजपाठशाला	24478	24523	49001	0	0	0	24478	24523	49001
4	अन्य स्कूल	46964	44073	91637	7252	4767	12019	54216	49440	103655
5	सैकण्डरी / सीनियर सैकण्डरी	3350	3281	7131	20741	15151	35892	24591	18432	43023
	कुल	216578	188633	405211	70456	47113	117569	287034	235746	522780

तालिका–20 (द). आयुवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)

क्रसं.	आयु	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6से 8 तक			कुल		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	6 से कम	10213	.9342	19555	0	0	0	10213	9342	19555
2	6 से 10	124712	117599	242311	29197	23865	53062	153909	141464	295373
3	11 से 14	81653	61692	143345	23411	14544	37955	105064	76236	181300
4	14 से अधिक	0	0	0	17848	8704	26552	17848	8704	26552
	कुल	216578	188633	405211	70456	47113	117569	287034	235746	522780

सोत्र जि.शि.अ. (प्रा.शि.)

2.5 अनामांकित बच्चे :–

तालिका–21

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या 6–14			नामांकन कक्षा 1 से 8 तक			अनामांकित बच्चे		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1	फतेहपुर	31743	26103	57846	31653	25936	57589	90	167	257
2	लक्ष्मणगढ़	32587	27056	59643	32528	26934	59462	59	122	181
3	धोद	28842	23449	52291	28824	23418	52242	18	31	49
4	दांतारामगढ़	46129	32846	72975	46027	32668	72695	102	178	280
5	खण्डेला	37561	31534	69095	37542	31502	69044	19	32	51
6	नीमकाथाना	49797	39819	89616	49680	39611	89291	117	208	325
7	श्रीमाधोपुर	36680	30737	67417	36627	30643	67270	53	94	147
8	पिपराली	30180	25083	55263	30153	25034	55187	27	49	76
	कुल	287519	236627	524146	287034	235746	522780	485	881	1366

स्त्रोत: शिक्षा दर्पण [illegible]

2.6.1 NER :_ 100 – (% out of school children)

तालिका–22 सकल नामांकन अनुपात

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या 6–14			नामांकन कक्षा 1 से 8 तक			NER		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1	फतेहपुर	31743	26103	57853	31653	25936	57589	99.71	99.36	99.55
2	लक्ष्मणगढ़	32587	27056	59643	32528	26934	59462	99.81	99.54	99.69
3	धोद	28842	23449	52291	28824	23418	52242	99.93	99.86	99.90
4	दांतारामगढ़	46129	32846	72975	40027	32668	72695	86.77	99.45	99.61
5	खण्डेला	37561	31534	69095	37542	61502	69044	99.94	99.89	99.92
6	नीमकाथाना	49797	39819	89616	49680	39611	89291	99.76	99.47	99.63
7	श्रीमाधोपुर	36680	30737	67417	36627	30643	67270	99.85	99.69	99.78
8	पिपराली	30180	25083	55263	30153	25034	55187	99.91	99.80	99.86
	कुल	287519	236627	524146	287034	235746	522780	99.83	99.62	99.73

स्रोत: शिक्षा दर्पण आदिनांक समंक

तालिका–23 { ठहराव दर }

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	इस वर्ष कक्षा–1 में नामांकन			कक्षा–8 में नामांकन (2002–03)			ठहराव दर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	फतेहपुर	8843	6644	15487	2033	1625	3658	22.98	24.46	23.62
2	लक्ष्मणगढ़	8654	7601	16255	2290	1396	3686	26.46	18.37	22.69
3	धोद	7461	6402	13863	2229	1348	3577	29.88	21.06	25.80
4	दांतारामगढ़	9932	8842	18774	2104	2067	4171	21.18	23.38	22.22
5	खण्डेला	8978	8307	17285	2924	1656	4580	32.56	19.93	26.50
6	नीमकाथाना	11006	9996	21002	3934	1964	5898	35.74	19.65	28.08
7	श्रीमाधोपुर	8386	7598	15984	2687	2013	4700	32.04	26.49	29.40
8	पिपराली	7629	6593	14222	2346	1653	3999	30.75	25.07	28.12
	कुल	70889	61983	132872	20547	13722	34269	28.98	22.14	25.79

तालिका–24 { विद्यालय छोड़कर जाने वाले बच्चे } सत्र 2001–02

	कक्षा 1			2			3			4			5			6			7			8			कुल		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
30 सित. 2001 तक नामांकन	63690	54993	118683	42906	37584	80490	35126	31854	66980	31259	25844	57103	24959	20574	45533	25895	17266	43161	22580	14698	37278	20043	12968	33011	266458	215781	482239
वर्ष के अंत में नामांकन	56279	48379	105153	41095	36004	77099	34539	31258	65797	30964	25625	56589	24801	20433	45234	25562	17083	42645	22339	14594	36933	19814	12911	32725	255393	206787	462180
शाला त्याग	7411	6114	13525	1811	1580	3391	587	596	1183	295	219	514	158	141	299	333	183	516	241	104	345	229	57	286	11065	8994	20059
शाला त्याग दर	11.63	11.12	11.40	4.22	4.20	4.21	1.67	1.87	1.77	0.94	0.85	0.90	0.63	0.69	0.66	1.28	1.06	1.20	1.07	0.71	0.92	1.14	0.44	0.87	4.15	4.17	4.16

तालिका–25 { पुनरावृत्ति दर } सत्र 2001–02

	कक्षा 1			2			3			4			5			6			7			8			कुल		
	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T	B	G	T
पिछले वर्ष का नामांकन	63690	54993	118683	42906	37584	80490	35126	31854	66980	31259	25844	57103	24959	20574	45533	25895	17266	43161	22580	14698	37278	20043	12968	33011	266458	215781	482239
उत्तीर्ण	53374	46159	99533	40141	35076	75217	34078	30814	64829	30624	25395	56019	24577	20271	44848	24322	16199	40521	21420	14047	35467	18961	12499	31460	247497	200460	447957
सा वर्ष पुन : वेश	2905	2720	5625	954	928	1882	461	444	905	340	230	570	224	162	386	1240	884	2124	919	547	1466	853	412	1265	7396	6327	14223
रावृत्ति दर	4.56	4.94	4.73	2.22	2.47	2.34	1.31	1.39	1.35	1.09	0.88	0.99	0.89	0.78	0.85	4.78	5.11	4.92	4.06	3.72	3.93	4.25	3.17	3.83	2.96	2.93	2.94

2.10 अध्यापक स्थिति

तालिका–26 (क) विद्यालयवार संख्या

ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			रागापाठ.			उ.प्रा.वि.			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			कुल		
	पु.	म.	कु	पु.	म.	कु	पु.	म.	कु	पु.	म.	कु	पु.	म.	कु	पु.	म.	कु
फतेहपुर	217	90	307	25	7	32	480	153	561	0	0	0	28	7	35	678	257	935
लक्ष्मणगढ	294	86	380	67	21	88	365	140	505	0	0	0	14	4	18	740	251	991
धोद	291	145	456	77	67	144	348	110	456	0	0	0	3	0	3	717	322	1039
दांतारामगढ	437	44	481	94	69	163	412	80	492	0	0	0	31	1	32	974	194	1168
खण्डेला	360	35	395	93	20	113	454	68	522	0	0	0	18	0	18	925	123	1048
नीमकाथाना	482	83	565	109	23	132	479	140	619	0	0	0	30	1	31	1100	247	1347
श्रीमाधोपुर	303	59	363	98	13	111	442	44	486	70	18	88	38	2	40	951	136	1087
पिपराली	222	200	422	90	27	117	363	219	582	0	0	0	23	3	26	698	449	1147
कुल	2606	742	3348	653	247	900	3269	954	4223	70	18	88	185	18	203	6783	1979	8762

तालिका–27 (ख) जातिवार संख्या

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	एस.सी.			एस.टी.			अन्य			कुल		
		पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल	पु.	म.	कुल
1	फतेहपुर	84	2	86	9	1	10	585	254	839	678	57	935
2	लक्ष्मणगढ	90	2	92	0	1	1	650	248	898	740	251	991
3	धोद	84	14	98	5	1	6	628	307	935	717	322	1039
4	दांतारामगढ	227	18	245	53	5	58	694	171	865	974	194	1168
5	खण्डेला	119	7	126	39	2	41	767	114	881	925	123	1048
6	नीमकाथाना	90	18	108	35	8	43	975	221	1196	1100	247	1347
7	श्रीमाधोपुर	116	11	127	12	0	12	823	125	948	951	136	1087
8	पिपराली	94	11	105	17	1	18	587	437	1024	698	449	1147
	कुल	904	83	987	170	19	189	5709	1877	7586	6783	1979	8762

तालिका–28 (ग) योग्यतानुसार वर्गीकरण

विद्यालय का प्रकार	प्रशिक्षण का प्रकार	योग्यता						
		माध्यमिक से नीचे	माध्यमिक	सी.नि.सै.	स्नातक	अधिस्नातक	अन्य	कुल
प्रा.वि.	अप्रशिक्षित	-	4	8	9	-	-	21
	एस.टी.सी.	-	139	943	317	77	-	1476
	बी.एड.	-	-	-	1091	729	-	1820
	एम.एड.	-	-	-	-	31	-	31
उ.प्रा.वि.	अप्रशिक्षित	-	-	138	115	5	-	263
	एस.टी.सी.	-	75	1414	888	75	22	2474
	बी.एड.	-	-	-	1106	339	-	1445
	एम.एड.	-	-	-	-	41	-	41
रागांपाठ.	अप्रशिक्षित	-	5	159	176	38	-	378
	एस.टी.सी.	-	-	139	-	-	-	139
	बी.एड.	-	-	-	383	-	-	383
	एम.एड.	-	-	-	-	-	-	-

तालिका–29 (घ) विद्यालयवार अध्यापकों की संख्या

विद्यालय	एकल अध्यापक	द्वि अध्यापक	तीन अध्यापक	चार अध्यापक	पांच अध्यापक	छः अध्यापक	सात अध्यापक	आठ अध्यापक	आठ से अधिक अध्यापक
प्रा.वि.	-	513	171	241	139	25	-	-	-
उ.प्रा.वि.	-	5	3	73	98	88	82	72	27
रागांपाठ.	306	297	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	130	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	436	827	173	304	237	113	82	72	27

तालिका–30 (ड़) अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

ब्लॉक का नाम	प्रा.वि./ उ.प्रा.वि.			रागांपाठशाला		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
फतेहपुर	844	702	142	36	32	4
लक्ष्मणगढ़	801	719	82	90	88	2
धोद	814	726	88	146	144	2
दांतारामगढ़	949	809	140	167	163	4
खण्डेला	879	753	126	121	113	8
नीमकाथाना	1192	1020	172	137	132	5
श्रीमाधोपुर	774	684	90	128	111	17
पिपराली	911	840	71	135	117	18
कुल	7164	6253	911	960	900	60

स्रोत जि.शि.अ. (प्रा.शि.)

तालिका–31 { अध्यापक शिष्य अनुपात }

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रागांपाठशाला		
		नामांकन	कार्यरत अध्यापक	TPR	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	TPR	नामांकन	कार्यरत अध्यापक	TPR
1	फतेहपुर	18163	304	59.74	17466	398	43.88	1937	32	60.54
2	लक्ष्मणगढ़	23540	377	69.85	14687	342	42.94	4212	88	47.86
3	धोद	21103	433	48.73	13198	293	45.04	6945	144	48.22
4	दांतारामगढ़	30319	479	63.00	16400	330	49.69	8622	163	52.89
5	खण्डेला	21701	393	55.21	20608	360	57.24	6896	113	61.02
6	नीमकाथाना	31327	563	55.64	21666	457	47.40	7757	132	58.76
7	श्रीमाधोपुर	19691	360	54.69	17062	324	52.66	6537	111	58.89
8	पिपराली	22211	420	52.88	17958	420	42.75	6095	117	52.09
	कुल	188055	3329	56.48	139045	2924	47.55	49001	900	54.44

2.12 आधारभूत सुविधाएं

तालिका–32 (अ) विद्यालय भवन {सरकारी}

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			राजीव पाठशाला		
		कुल स्कूल	भवन सहित	भवन रहित	कुल स्कूल	भवन सहित	भवन रहित	कुल स्कूल	भवन सहित	भवन रहित
1	फतेहपुर	115	112	3	60	60	0	26	26	0
2	लक्ष्मणगढ़	141	139	2	46	46	0	56	56	0
3	धोद	145	144	1	42	42	0	112	112	0
4	दांतारामगढ़	184	180	4	59	59	0	104	104	0
5	खण्डेला	123	110	13	62	62	0	75	73	2
6	नीमकाथाना	165	147	18	67	67	0	78	78	0
7	श्रीमाधोपुर	106	75	31	50	50	0	72	72	0
8	पिपराली	110	100	10	61	60	1	80	79	1
	कुल	1089	1007	82	447	446	1	603	600	3

तालिका–33 (ब) कक्षा–कक्ष {सरकारी}

	प्रा.वि.							उ.प्रा.वि.							राजीव पाठशाला							अन्य					
		कमरे							कमरे							कमरे							कमरे				
	स्कूल संख्या	1	2	3	4	5	>5	स्कूल संख्या	1	2	3	4	5	>5	स्कूल संख्या	1	2	3	4	5	>5	स्कूल संख्या	1	2	3	4	5
	115	2	16	30	21	18	8	60	0	0	0	5	4	51	26	1	2	21	0	0	2	0	0	0	0	0	0
ग	141	0	23	33	12	25	48	46	0	0	0	0	0	46	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	145	0	59	42	30	23	0	42	0	0	0	0	4	38	112	0	107	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ढ़	184	2	40	48	38	36	15	59	0	0	0	2	7	50	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	2	43	28	22	12	6	62	0	0	2	3	6	51	75	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ता	165	1	43	37	48	27	9	67	0	0	2	5	12	48	78	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	106	0	22	8	20	21	35	50	0	2	0	3	9	36	72	0	59	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	110	3	30	25	22	21	9	61	0	2	1	2	2	50	80	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1089	12	282	251	213	190	135	447	0	4	5	20	48	371	603	1	551	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

तालिका–34 (स) पेयजल व्यवस्था {सरकारी}

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रागांपाठशाला		
		कुल स्कूल	पानी की सुविधा सहित	पानी की सुविधा रहित	कुल स्कूल	पानी की सुविधा सहित	पानी की सुविधा रहित	कुल स्कूल	पानी की सुविधा सहित	पानी की सुविधा रहित
1	फतेहपुर	115	43	72	60	24	36	26	13	13
2	लक्ष्मणगढ़	141	114	27	46	43	3	56	44	12
3	धोद	145	120	25	42	28	14	112	98	14
4	दांतारामगढ़	184	104	80	59	41	18	104	94	10
5	खण्डेला	123	89	34	62	47	15	75	59	16
6	नीमकाथाना	165	144	21	67	38	29	78	66	12
7	श्रीमाधोपुर	106	84	22	50	40	10	72	56	16
8	पिपराली	110	41	69	61	37	24	80	72	8
	कुल	1089	739	350	447	298	149	603	502	101

तालिका–35 (द) शौचालय सुविधा {सरकारी}

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			रागांपाठशाला		
		कुल स्कूल	टायलेट सुविधा सहित	टायलेट सुविधा रहित	कुल स्कूल	टायलेट सुविधा सहित	टायलेट सुविधा रहित	कुल स्कूल	टायलेट सुविधा सहित	टायलेट सुविधा रहित
1	फतेहपुर	115	87	28	60	31	29	26	19	70
2	लक्ष्मणगढ़	141	54	87	46	34	12	56	34	22
3	धोद	145	142	3	42	36	6	112	63	44
4	दांतारामगढ़	184	116	68	59	48	11	104	70	34
5	खण्डेला	123	91	32	62	47	15	75	46	29
6	नीमकाथाना	165	98	67	67	21	46	78	48	30
7	श्रीमाधोपुर	106	97	9	50	36	14	72	43	79
8	पिपराली	110	93	17	61	34	27	80	45	34
	कुल	1089	778	311	447	287	160	603	374	228

तालिका–36 (य) चारदीवारी (सरकारी)

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			उ.प्रा.वि.			राजपाठशाला		
		कुल स्कूल	चारदीवारी सहित	चारदीवारी रहित	कुल स्कूल	चारदीवारी सहित	चारदीवारी रहित	कुल स्कूल	चारदीवारी सहित	चारदीवारी रहित
1	फतेहपुर	115	94	21	60	39	21	26	4	21
2	लक्ष्मणगढ़	141	107	34	46	36	11	56	1	55
3	धोद	145	97	48	42	24	18	112	9	103
4	दांतारामगढ़	184	149	36	59	50	9	104	53	51
5	खण्डेला	123	95	28	62	43	20	75	25	50
6	नीमकाथाना	165	142	23	67	57	11	78	12	66
7	श्रीमाधोपुर	106	78	28	50	30	21	72	18	54
8	पिपराली	110	61	49	61	43	18	80	11	69
	कुल	1089	823	267	447	322	129	603	133	470

2.13 प्राथमिक शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा –

	जिला – परिषद {जिला प्रमुख} ↓	
जिला स्तर पर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी {प्रा.शि}
	↓	↓
	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी	जिला शिक्षा (प्रा.) अधिकारी
	↓	↓
	–	विद्यालय अवर निरीक्षक
	↓	↓
खण्ड स्तर पर	विकास अधिकारी	ब्लाक शिक्षा अधिकारी {प्रा.शि.}
	↓	↓
	–	अति. ब्लाक शिक्षा अधिकारी
	↓	↓
विद्यालय स्तर पर	–	प्रधानाध्यापक

2.14 अन्य शैक्षिक सुविधाएं :

2.14.1– जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) :– प्राथमिक शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा में संलग्न अध्यापकों के व्यावसायिक उन्नयन हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1990 में की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य अध्यापकों को प्रशिक्षण के माध्यम से बहुआयामी बनाना था। इसमें अध्यापकों का प्रशिक्षण, कार्यगोष्ठी, कार्यशाला, शैक्षणिक भ्रमण, प्रतियोगिताएं, कार्यनिर्माण, आदि शामिल है। उपर्युक्त कार्यों को अंजाम देने के लिए डाइट में निम्नांकित प्रभागो की स्थापना की गई।

1. जिला संदर्भ इकाई प्रभाग DRU : इस प्रभाग में अनौपचारिक शिक्षा, सतत् शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि सम्मिलित है।
2. शैक्षिक प्रौद्योगिक प्रभाग ET : सहायक शैक्षिक सामग्री का निर्माण, श्रव्य एवं दृश्य का प्रयोग आदि इस प्रभाग में किया गया।
3. कार्यानुभव प्रभाग WE : श्रम के प्रति निष्ठा जगाने के लिए एवं श्रम करने के साथ–साथ अनुभव का प्राप्त होना एवं कुछ आर्थिक प्राप्ति का उद्देश्य इस प्रभाग में सम्मिलित है।
4. पाठ्यक्रम विकास एवं मूल्यांकन CMDE : पुराने पाठ्यक्रमों की समीक्षा एवं नये पाठ्यक्रम बनाना, समीक्षा करना तथा मूल्यांकन करना इस प्रभाग का उत्तरदायित्व है। प्रश्न–पत्र का निर्माण कैसे होता है, इस प्रभाग में सिखाया जाता है।
5. योजना एवं प्रबंध प्रभाग P & M : शैक्षिक योजनाओं का निर्माण एवं प्रबंधन का कार्य इस प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण इसी प्रभाग द्वारा किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।
6. सेवारत प्रशिक्षण प्रक्षेत्र अन्तःक्रिया नवाचार एवं समन्वय IFIC : सेवारत शिक्षकों के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण की व्यवस्था इस प्रभाग द्वारा किया जाता है।
7. सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण PSTE : जो व्यक्ति अध्यापक बनना चाहते है वे एक लिखित परीक्षा के माध्यम से चुने जाते है। चयनित व्यक्ति को दो वर्ष का शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी न्यूनतम योग्यता 10+2 सीनियर कक्षा उत्तीर्ण माना गया है।

नोट :– जिला संदर्भ इकाई को छोड़कर शेष समस्त प्रभागों का प्रभारी सीनियर लेक्चर होता है। जबकि जिला संदर्भ इकाई का प्रभारी संस्थान का उप प्राचार्य होता है।

2.14.2– शिक्षाकर्मी योजना :– यह एक शैक्षिक अभिनव शैक्षिक योजना है जो कुछ दूरस्थ स्थानों के लिए बनाया गया है। चयन समिति द्वारा अध्यापक /अध्यापिकाओं का चयन किया जाता है। पुरुष अध्यापकों के लिए 10वीं उत्तीर्ण और महिलाओं के लिए कुछ छूट देकर 8वीं उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता रखी गई है। चयनित व्यक्तियों को 37 दिवसीय आधारीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण में सफल होने पर उन्हें नियुक्ति दी जाती है। उन्हें 1800/ रू. प्रतिमाह पारिश्रमिक पर विद्यालय में लगाया जाता है। सीकर जिले में नीमकाथाना पंचायम समिति में यह योजना चल रही है। जहां शिक्षाकर्मी, 33 शिक्षाकर्मी स्कूल में अध्यापक कार्य कर रहे है। यहां का समय विभाग चक विद्यार्थियों में सुविधा के अनुसार बनाया जाता है।

2.14.3– समन्वित शिशु विकास योजना :– कुल जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत बच्चे है। इनके मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक आदि के वृद्धि के लिए इस योजना को संचालित किया गया है। बच्चे के स्वास्थ्य, स्वच्छ आदतों का विकास हो, इसके लिए शुरू में ही ध्यान दिया जाता है। स्कूल में जाकर इनका ठहराव हो, अतः स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था इस योजना में की गई है ताकि विद्यालय में बैठने, ठहरने की आदत का विकास हो। अनु. जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, गरीब बच्चों की देखभाल उनके पैदा होने के पूर्व से स्कूल जाने योग्य उम्र तक की सारी देखभाल एक ही केन्द्र, जिसे आंगनबाड़ी केन्द्र कहते है में की जाती है। अर्थात् शिशु की समस्त प्रकार की देखभाल एक ही स्थान पर ही उपलब्ध करा दी जाती है। इसीलिए इसे समन्वित शिशु विकास योजना का नाम दिया गया। सीकर जिले के प्रत्येक पं. समिति में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। जिनकी कुल संख्या 1509 हैं।

2.14.4– गुरुमित्र योजना :– सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति में यह योजना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डाइट के निर्देशन में संचालित है। 722 अध्यापक/ अध्यापिकाओं को इस योजना के तहत प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनके माध्यम से ही विद्यालय के अन्य अध्यापक/ अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। अध्यापक यहां बच्चों के मित्र के रूप में कार्य करते है। जिससे अध्ययन और रूचिकर बनता है। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 176 प्राथमिक विद्यालय एवं 704 अध्यापक/ अध्यापिकायें शामिल है।

2.14.5– सतत् शिक्षा कार्यक्रम :– इस जिले ने साक्षरता कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद सन् 1997 में सतत् शिक्षा कार्यक्रम जिले में लागू किया गया। साक्षरता दर में आशातीत वृद्धि हुई है। शिक्षा के प्रति लोगो का रूझान बढा है और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है।जिससे प्राथमिक शिक्षा की मांग बढी है। इसी मांग को देखते हुए इस जिले को डीपीईपी के लिए चुना गया है।

2.14.6– निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण :– प्राथमिक कक्षाओं के बालक/ बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जा रही है। साथ ही उच्च प्राथमिक कक्षाओं में केवल बालिकाओं को ही निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की जा रही है। जिले में संचालित वै.वि., मदरसे, शिक्षा कर्मी विद्यालयों में भी निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

2.14.7– मिड–डे मील : – राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/अनुदानित/स्वायत शासी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजीव गांधी पाठ शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जिले में संचालित वै.वि., मदरसे, शिक्षा कर्मी विद्यालयों में भी मिड–डे मील की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

उद्देश्य :– इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन वृद्धि करना, विद्यार्थियों को स्कूल में ठहराव सुकनश्चित करना तथा विद्यार्थियों को पोष्टिक आहार उपलब्ध कराना हैं।

पात्रता :– राष्ट्रीय पोषाहार योजना कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को 80 प्रतिशत उपस्थिति पर 3 किलोग्राम खाद्य सामग्री(गेहूँ) प्रति माह प्रति छात्र निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

सम्पर्क अधिकारी :– प्रधानाध्यापक–प्राथमिक विद्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, विकास अधिकारी पंचायत समिति, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, जिला कलक्टर, निदेशक पंचायती राज विभाग।

2.14.8– छात्रवृत्ति :– अनु. जाति, जनजाति, एवं पिछड़ी जाति के गरीब बच्चों को सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है व्यक्ति आर्थिक कारणों से वे विद्यालय को न छोड़े।

2.14.9– शुल्क मुक्ति :– अनु. जाति, जनजाति, व गरीब बच्चों की फीस माफ कर दी जाती है ताकि उनके अध्ययन में बाधा नहीं पड़े। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के आश्रित बच्चों की शुल्क माफ की जाती है।

2.14.10– छात्रावास :– राज्य सरकार ने अनु.जाति, जनजाति के बच्चों को निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था के अन्तर्गत जिले में 9 छात्रावास (राजकीय), 4 छात्रावास (अनुदानित) संचालित है। इसमें कुल लगभग 150 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे है।

2.14.11– गार्गी एवार्ड योजना :– बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति स्तर पर इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 8वीं में प्रथम स्थान, माध्यमिक स्तर एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर 1000 रु. का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह राशि बालिका शिक्षा फाउडेशन, राजस्थान द्वारा दिया जाता है।

अध्याय– 3

योजना प्रक्रिया

भूमिका :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सम्बलन प्रदान करने के लिए एवं अधिक प्रभावी बनाने हेतु परिणामपरक योजना भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के नाम से प्रारम्भ की है। जिसमें 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक/ बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित किया जाना हैं।

सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा का पहला राष्ट्रीय अभियान है यह केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है इसके अन्तर्गत नीचे से योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है इसमें ग्राम स्तर की योजनाओं का विकास खण्ड स्तर पर संग्रहीत करके जिले की शैक्षिक योजना तैयार करने हेतु जिला स्तर पर जिले की सहभागिता प्राप्त की गयी है जिला की योजना तैयार करने हेतु योजना समिति का गठन निम्न स्तरों पर किया गया :–

3.1 योजना निर्माण कमेटियों का गठन :-

3.1.1 ग्राम स्तर पर – विद्यालय प्रबन्धन समिति

1. सरपंच / संबधित वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच – अध्यक्ष
   (अगर विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न हो तो)
2. दो सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी – सदस्य
3. संबंधित संकुल केन्द्र सहयोगी – सदस्य
4. ग्राम सेवक – सदस्य
5. पटवारी – सदस्य
6. ए.एन.एम./ महिला शिक्षक – सदस्य
7. दो महिला अभिभावक – सदस्य
8. दो पुरुष अभिभावक – सदस्य
9. एक–एक प्रतिनिधि (समाज के कमजोर वर्ग से) – सदस्य
10. शाला के दो अध्यापक – सदस्य
11. शाला प्रधान – सदस्य सचिव

3.1.2 खण्ड स्तर पर – खण्ड स्तर कमेटी

जिले की विभिन्न पंचायत समितियों पर इन समितियों का गठन किया गया जिनके द्वारा इस अभियान के अन्तर्गत आई हुई विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर कार्य शालाएँ आयोजित की गई। इस समिति में निम्न सदस्य है –

1. प्रधान – अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी – पं.स.
3. पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
4. ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी डी.पी.ई.पी.
5. प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय

विशेष आगन्तुक

6. सी.डी.पी.ओ.
7. ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
8. सेवानिवृत अध्यापक

ब्लॉक स्तरीय समिति निम्न लिखित काम करेगी :–

1. **अभियान का क्रियान्वयन एवं प्रगति का प्रबंधन एवं व्यूह रचना एवं गतिविधियों का विश्लेषण ।**
2. **ब्लाक को संकुलों में अभियान के सुचारू रूप से क्रियान्वन हेतु बांटना।**
3. **आवश्यकता आधारित नियोजन का यथावत क्रियान्वन।**
4. **आंकड़ो एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण।**
5. चिकित्सा विभाग के सहयोग से ब्लॉक के विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वास्थ शिविरों का आयोजन।

3.1.3 जिला स्तर पर – जिला निष्पादक समिति

1. जिला कलेक्टर सीकर – अध्यक्ष
2. जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. सीकर – सदस्य
3. अति. जिला कलेक्टर (विकास) सीकर – सदस्य
4. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर – सदस्य
5. उपखण्ड अधिकारी(समस्त) – सदस्य
6. विकास अधिकारी (समस्त) – सदस्य
7. उप निदेशक महिला एंव बाल विकास सीकर – सदस्य
8. अधीक्षण अभियन्ता , समिति सीकर – सदस्य
9. अधीक्षण अभियन्ता , ज.स्वा.अभियन्ता विकास सीकर – सदस्य
10. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर – सदस्य
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी सीकर – सदस्य

Nati...
Pla...
17-B, ... M...
New Delhi-...
DOC, No ....
Date ....

12. प्राचार्य , डाईट ,सीकर — सदस्य
13. सचिव , जिला साक्षरता समिति सीकर — सदस्य
14. दो प्रगतिशील एवं समाज सेवी महिलाएं — सदस्य
15. शिक्षक संगठनों के दो मनोनीत पदाधिकारी — सदस्य
16. डीपीईपी. के जिला स्तरीय अधिकारी सीकर — सदस्य
17. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (समस्त) , डीपीईपी. - — सदस्य
18. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) — सदस्य सचिव

3.2 कोर टीम का गठन :-

1. जिला परियोजना समन्वयक
2. सहायक जिला परियोजना समन्वयक (योजना
3. समस्त खण्ड सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी
4. जिले के तीन संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी

3.3 योजना निर्माण की प्रक्रिया :-

3.3.1 शिक्षा दर्पण –2000 एवं शिक्षा दर्पण{ अपडेशन} –2002

तालिका 37– पंचायत समितिवार अनामांकित बच्चों की संख्या (शिक्षा दर्पण 2000 के अनुसार)

क्रसं.	पंचायत समिति का नाम	कुल जनसंख्या			स्कूल जाने वाले			अनामांकित बच्चे		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1.	फतेहपुर	26676	21352	48028	25755	19246	45001	921	2106	3027
2.	लक्ष्मणगढ़	26109	21318	47427	26048	19455	45503	61	1863	1924
3.	धोद	28316	23408	51724	27390	21673	49063	926	1735	2661
4.	दांतारामगढ़	34937	29123	64060	33673	26003	59676	1264	3120	4384
5.	खण्डेला	32925	26787	59712	32357	24751	57108	568	2036	2604
6.	नीमकाथाना	45393	35827	81220	43808	31729	75537	1585	4098	5683
7.	श्रीमाधोपुर	28975	23881	52856	28410	22516	50926	565	1365	1930
8.	पिपराली	27152	22471	49623	26535	21028	47563	617	1443	2060
	योग	250483	204167	454650	243976	186401	430377	6507	17766	24273

शिक्षा दर्पण सर्वे मई, 2000

तालिका–38 सकल नामांकन अनुपात – शिक्षा दर्पण सर्वे--मई, 2000

क्रसं.	पंचायत समिति का नाम	कुल जनसंख्या			स्कूल जाने वाले			GER		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1.	फतेहपुर	26676	21352	48028	25755	19246	45001	96.55	90.14	93.70
2.	लक्ष्मणगढ़	26109	21318	47427	26048	19455	45503	99.77	91.26	95.94
3.	धोद	28316	23408	51724	27390	21673	49063	96.73	92.59	94.86
4.	दांतारामगढ़	34937	29123	64060	33673	26003	59676	96.38	89.29	93.16
5.	खण्डेला	32925	26787	59712	32357	24751	57108	98.27	92.40	95.64
6.	नीमकाथाना	45393	35827	81220	43808	31729	75537	96.51	88.56	93.00
7.	श्रीमाधोपुर	28975	23881	52856	28410	22516	50926	98.05	94.28	96.35
8.	पिपराली	27152	22471	49623	26535	21028	47563	97.73	93.58	95.85
	योग	250483	204167	454650	243976	186401	430377	97.40	91.30	94.66

तालिका–39 शिक्षा दर्पण (अपडेशन) 2002 का सर्वे (1)

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	6–14 आयु वाले बच्चों की कुल जनसंख्या			6–14 स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या			अनामांकित बच्चे		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1	फतहपुर	29828	24579	54407	29377	23772	53149	451	807	1258
2	लक्ष्मणगढ	30522	25157	55679	30264	24699	54963	258	458	716
3	धोद	26921	21819	48740	26771	21458	48229	150	361	511
4	दांतारामगढ़	37838	30975	68813	37241	29918	67159	597	1057	1654
5	खण्डेला	34927	29080	64007	34822	28790	63612	105	290	395
6	नीमकाथाना	46569	37384	83953	46026	36170	82196	543	1214	1757
7	श्रीमाधोपुर	34158	28486	62644	33906	28024	61930	252	462	714
8	पिपराली	28450	23428	51878	28051	22950	51001	399	478	877
	कुल	269213	220908	490121	266458	215781	482239	2755	5127	7862

तालिका–40 शिक्षा दर्पण (अपडेशन) 2002 का सर्वे (2)

क्रसं.	ब्लॉक का नाम	6–14 आयु वाले बच्चों की कुल जनसंख्या			6–14 स्कूल में जाने वाले बच्चों की संख्या			NER		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1	फतेहपुर	29828	24579	54407	29377	23772	53149	98.49	96.72	97.69
2	लक्ष्मणगढ़	30522	25157	55679	30264	24699	54963	99.15	98.18	98.71
3	धोद	26921	21819	48740	26771	21458	48229	99.44	98.35	98.95
4	दांतारामगढ़	37838	30975	68813	37241	29918	67159	98.42	96.59	97.60
5	खण्डेला	34927	29080	64007	34822	28790	63612	99.70	99.00	99.38
6	नीमकाथाना	46569	37384	83953	46026	36170	82196	98.83	96.75	97.91
7	श्रीमाधोपुर	34158	28486	62644	33906	28024	61930	99.26	98.38	98.86
8	पिपराली	28450	23428	51878	28051	22950	51001	98.60	97.96	98.31
कुल		269213	220908	480121	266458	215781	482239	95.98	97.68	98.39

शिक्षा दर्पण सर्वे (अपडेशन) 2002 के अनुसार उपरोक्त तालिकाओं से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में 1746 बालक 3857 बालिका कुल 5603 बच्चे स्कूलों से वंचित चल रहे है और शहरी क्षेत्रों में 1009 बालक 1270 बालिका कुल 2279 बच्चे अनामांकित है। इस तरह पूरे जिले में 2755 बालक 5127 बालिकाएं कुल 7882 बच्चे शिक्षा से वंचित है।

इस तरह " शिक्षा आपके द्वार" अभियान के अन्तर्गत वातावरण निर्माण कर, वै.वि. का सृजन कर, अभिभावकों को प्रेरित कर जिले के 7882 अनामांकित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का महाअभियान शुरू किया गया। परन्तु इसमें 1472 ऐसे बच्चे सामने आये हैं जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जोड़ा जा सकता, इनके कारण प्रमुख निम्न है :–

- ❖ अत्यधिक विकलांगता के कारण चल फिर नहीं सकते।
- ❖ अन्य स्थानों को पलायन कर गये अर्थात् जिले में निवास नहीं कर रहे हैं
- ❖ अधिक उम्र का होने पर कम उम्र लिख जाने के कारण वे हमारे लक्ष्य सीमा में नहीं आते।

इन सबको (7882 – 1472 = 6410) डीपीईपी एवं शिक्षा विभाग द्वारा औपचारिक विद्यालयों के अतिरिक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में, वै.वि. में, शिक्षा मित्र केन्द्र खोलकर जोड़ा जायेगा। उपरोक्त सभी दस्तावेजों का प्रकाशन किया गया। यह प्रकाशन पंचायत समितिवार बुकलेट तैयार की गई। जिनमें अनामांकित बालकों का पूर्ण विवरण अंकित किया गया है और ये बुकलेट जिला स्तर के समस्त सम्बंधित अधिकारियों के अलावा खण्ड स्तर पर समस्त सम्बंधित

अधिकारियों, नगर परिषद/ नगर पालिका से सम्बंधित आयुक्त एवं अध्यक्ष आदि को दी गई ताकि इस कार्यक्रम का प्रभावी प्रबोधन हो सके।

3.3.2 प्रशासन शहरों के संग :-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में 26 जनवरी 02 से 28 फरवरी 02 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित किया गया। जिसमें नगरपरिषद /नगरपालिका में उपस्थित वार्ड अनुसार कार्य क्रम जिला स्तर पर तैयार करके अभियान का शुभारंभ 26जनवरी 2002 को किया गया। इस अभियान में निम्नांकित विभागों को सम्मिलित किया गया एवं इनके कोई न कोई प्रतिनिधि आवश्यक रूप से इसमें भाग लेकर अपने विभाग से सम्बन्धित समस्यांओं का मौके पर ही समाधान निकाल कर जन समुदाय को लाभान्वित किया है। ये विभाग इस प्रकार है जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक एवं निर्माण विभाग, सैनिक कल्याण विभाग आदि।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित क्षेत्र की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। इन शिविरों की जानकारी माननीय संसद सदस्य, विधायक, सभापति, अध्यक्ष, नगरपरिषद, नगरपालिका, वार्ड पार्षद व अन्य जन प्रतिनिधियों को दी गई। इसके अलावा समाचार पत्रों द्वारा खूब प्रचार-प्रसार किया गया ताकि क्षेत्र की जनता शिविर में उपस्थित होकर अपनी-अपनी समस्यायें बता सके।

उपरोक्त शिविरों में डीपीईपी के कोई न कोई अधिकारी प्रत्येक स्तरों पर उपस्थित होकर शिक्षा दर्पण 2000 एवं शिक्षा दर्पण (अपडेशन) 2002 पर चर्चा कर शिक्षा आपके द्वार अभियान की जनसमूह से चर्चा की है तथा अनामांकित बालक/बालिकाओं को जोड़ने के लिए शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। जहाँ शैक्षिक सुविधायें नहीं है, इन शिविरों में इन स्थानों को चिन्हित किया है ताकि वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकें, जिससे समस्त अनामांकित बच्चों को जोड़ा जा सके। साथ ही प्रथमिक विद्यालयों के शैक्षिक स्थिति पर भी चर्चा की जाती थी। और उन्हें सशक्त बनाने के लिए डीपीईपी द्वारा शाला अनुदान राशि के अन्तर्गत उन्हें 2000 रू. प्रति विद्यालय देने के लिए चिन्हित किया गया।

3.3.3 सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं प्रमुख बिन्दुओ पर चर्चा हेतु आयोजित बैठकों का विवरण:-

दिनांक	स्थान	संभागी संख्या	संभागी विवरण (बैठक अध्यक्षता)	चर्चा बिन्दु	सुझाव
1	2	3	4	5	6
5.11.01	कलेक्ट्रेट सभागार	37	जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में	जन प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण का आमुखीकरण कार्यशाला	शिक्षा आपके द्वार योजना की जानकारी

31.12.01	" "	16	बी.सी. शर्मा, शासन सचिव, आयुर्वेद	अनामांकित बालकों का पता लगाना	शिक्षा दर्पण 2000 का नवीनीकरण करें
3.1.02	" "	11	जिला कलक्टर	शिक्षा दर्पण सर्वे (अपडेशन) – 2002	इसको शीघ्र पूरा करें
8.2.02	" "	34	वीपी आर्य, शासन सचिव, समाज कल्याण	सर्वे की प्रगति सम्बंधित	सभी ब्लॉकस के सर्वे पूरा कराये
6.4.02	" "	43	" "	सभी विभागों से समन्वित प्रयास की अपील	शिक्षा आपके द्वार को सफल बनाने के लिए सबका सहयोग लें।
10.5.02	डीपीईपी कार्यालय	6	डीईओ, प्रथम की अध्यक्षता में	अनामांकित बालकों को शैक्षिक संस्थाओं से जोड़ना	विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से जोड़ने की योजना बनाएं।
14.5.02	" "	7	कलेक्टर की अध्यक्षता	मिलिए कार्यक्रम बनाये और प्रेरित कर बच्चों को जोड़ना	प्रत्येक स्तर पर सभी से मिले और बच्चों को जोड़ने के लिए योजना बनाएं
18.5.02	" "	6	साक्षरता/सतत् शिक्षा अधिकारी	वातावरण निर्माण योजना	डीपीईपी व साक्षरता विभाग मिलकर वातावरण का निर्माण करने हेतु योजना बनायें।
29.5.02	कलेक्ट्रेट समागार	51	वीपी आर्य, शासन सचिव, समाज कल्याण	बालकों को जोड़ने हेतु निर्देश	वै.वि. व शिक्षा मित्र खोलने के प्रस्ताव बनायें
12.06.02	कलेक्टर कक्ष	7	जिला कलेक्टर	वातावरण निर्माण योजना की क्रियान्विति	वातावरण निर्माण हेतु निर्मित कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करें।
15.06.02	कलेक्ट्रेट समागार	56	जिला कलेक्टर	बच्चों को जोड़ने के लिए वै. वि. खोलने के निर्देश दिये	प्रस्वावित वै.वि. हेतु शिक्षा विभाग अस्थायी व्यवस्था करें।
24.6.02	डीपीईपी कार्यालय	23	श्रीमती निर्मला परिहार, डीपीसी, डीपीईपी	अनामांकित बच्चों को जोड़ने हेतु अपील	चिन्हित बालकों को जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी
3.7.02	रा. हरदयाल उ.प्रा.वि., सीकर	138	जिला कलेक्टर	प्रवेशोत्सव मनाया गया	विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जावे। अनामांकित, जो नामांकित हुऐ है तिलक लगाकर स्वागत करें।
.7.02	कलेक्टर कक्ष	21	जिला कलेक्टर	शेष 50 प्रतिशत बालकों को जोड़ने हेतु दिशा निर्देश	शेष की योजना बनाएं
.7.02	रा.प्रा.वि. सिकराय	15	श्रीमती निर्मला परिहार, डीपीसी, डीपीईपी	7882 में केवल 1472 किसी तरह नहीं जोड़े जा सकते। अतः 100 प्रतिशत नामांकन प्रयास करने पर हो जायेगा। इसके साथ ही अब ठहराव सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	1472 की सूची एवं कारणों का उल्लेख कर आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि किन कारणों से ये नहीं जोड़े जा सके।

3.4 जिले की शैक्षिक समस्यायें :-

3.4.1 शिक्षा की पंहुच सम्बन्धी समस्या :-

विद्यालय समबन्धी समस्या

1. ऐसे वास स्थान जहा पर अभी 1 से 2 किमी की परिधि में प्राथमिक विद्यालय नहीं है।
2. विद्यालयों की वास स्थानों की दूरी।
3. बालिका विद्यालयों की कमी।
4. भवन रहित विद्यालयों की उपलब्धता।

तालिका –41 { भवन रहित विद्यालयों का विवरण }

	पंचायत समिति का नाम	भवन रहित विद्यालयों की संख्या
1.	फतेहपुर	3
2.	लक्ष्मणगढ़	2
3.	धोद	1
4.	दांतारामगढ़	4
5.	खण्डेला	15
6.	नीमकाथाना	18
7.	श्रीमाधोपुर	31
8.	पिपराली	12
	योग	86

तालिका संख्या 42 {प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता}

क्र.स.	पंचायत समिति का नाम	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
1.	फतेहपुर	24
2.	लक्ष्मणगढ़	15
3.	धोद	7
4.	दांतारामगढ़	24
5.	खण्डेला	14
6.	नीमकाथाना	26
7.	श्रीमाधोपुर	9
8.	पिपराली	11
	योग	130

नोट :– उपर्युक्त तालिका में 130 वै.विद्यालय 6 घण्टा की सूची दी गई है जिनको सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा

3.4.2. नामांकन व ठहराव की समस्या :–

नामांकन व ठहराव में समस्या 2 प्रकार से बताई जा सकती है :–

<u>विद्यालय से सम्बन्धित</u>

1. कक्षा कक्षों का अभाव
2. कक्षों में मरम्मत की आवश्यकता
3. विद्यालयों में पानी की सुविधा का अभाव
4. शौचालय सुविधाओं का अभाव
5. खेल के मैदानों का अभाव
6. बिजली का अभाव
7. आनन्ददायी शैक्षिक वातावरण का अभाव

3.4.3. अतिरिक्त कक्षा–कक्षों की आवश्यकता

तालिका–43 {अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता}

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग
1.	फतेहपुर	121
2.	लक्ष्मणगढ़	79
3.	धोद	139
4.	दांतारामगढ़	169
5.	खण्डेला	140
6.	नीमकाथाना	136
7.	श्रीमाधोपुर	89
8.	पिपराली	137
	योग	1010

सर्व शिक्षा अभियान में अध्यापक शिष्य अनुपात 1 : 40 के आधार पर उतने ही कक्षा कक्षों की आवश्यकता होगी जितने अध्यापक विद्यालय में उपलब्ध होंगे। साथ ही ज्यों–ज्यों नामांकन बढेगा, अध्यापकों की मांग बढेगी उसी अनुपात में कक्षा कक्षों की मांग भी बढेगी।

शौचालय सुविधा विहीन विद्यालयों की संख्या

तालिका–44 {शौचालय सम्बन्धी सूचना}

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	रा.गा.पा.	मा.वि.	कुल संख्या
1.	फतेहपुर	28	29	7	0	64
2.	लक्ष्मणगढ़	87	12	22	0	121
3.	धोद	3	6	44	0	53
4.	दांतारामगढ़	68	11	34	0	113
5.	खण्डेला	32	15	29	0	76
6.	नीमकाथाना	67	46	30	0	143
7.	श्रीमाधोपुर	9	14	29	0	52
8.	पिपराली	17	27	34	0	78
	योग	311	160	229	0	700

पानी की सुविधा की आवश्यकता

तालिका –45 {पानी की सुविधा सम्बन्धी सूचना}

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रा.वि.	उ.प्रा.वि.	रा.गा.पा.	मा.वि.	कुल संख्या
1.	फतेहपुर	72	36	13	0	121
2.	लक्ष्मणगढ़	27	3	12	0	42
3.	धोद	25	14	14	0	53
4.	दांतारामगढ़	80	18	10	0	108
5.	खण्डेला	34	15	16	0	65
6.	नीमकाथाना	21	29	12	0	62
7.	श्रीमाधोपुर	22	10	16	0	48
8.	पिपराली	69	24	8	0	101
	योग	350	149	101	0	600

3.4.4. अध्यापकों से सम्बन्धित समस्यायें :–

1. अध्यापक छात्र अनुपात की उच्च दर
2. महिला अध्यापिकाओं की कमी।
3. अध्यापकों की सक्रिय राजनीति में भाग लेना।
4. अध्यापकों का प्रतिदिन अप एण्ड डाउन करना।
5. अनियमित शिक्षण कार्य।
6. अध्यापकों की अधिक समय तक अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति।
7. समाज में अध्यापकों में दूरी।
8. राजनैतिक हस्तक्षेप।

गुणात्मक संवर्द्धन की समस्या :–

बेस लाईन ऐसेसमैन्ट सर्वे के आधार पर सीकर जिले के बालक–बालिकाओं का लब्धि स्तर, संतोषप्रद है। फिर भी प्राप्त लब्धि स्तर में 40 प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक हैं। इसको प्राप्त करने में निम्न लिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है :–

1. सेवारत प्रशिक्षणों का अभाव।
2. शिक्षण सहायक सामग्री का अभाव।
3. रूचिपूर्ण शिक्षण का अभाव।
4. न्यूनतम अधिगम स्तर आधारित शिक्षण का अभाव।
5. अनियमित शिक्षण।
6. अध्यापकों की अपने व्यवसाय के प्रति अरूचि।
7. अध्यापकों में नवाचार विद्याओं में कमी।
8. अध्यापकों पर शिक्षण के अलावा अतिरिक्त भार।

समाज से सम्बन्धित समस्या :–

1. जनजागृति अभियानों की कमी
2. विद्यालय की गतिविधियों में जनता की सक्रिय भागीदारी की कमी एवं सहयोग का अभाव।
3. अध्यापकों के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण का अभाव।
4. राजनैतिक हस्तक्षेप।

प्रशासन से सम्बन्धित समस्यायें :–

1. अध्यापकों की व्यक्तिगत समस्याओं के उपर ध्यान नही दिया जाता है।
2. प्रभावकारी पर्यवेक्षण का अभाव।
3. मूल्यांकन की विश्वसनीय प्रक्रिया का अभाव।
4. निरन्तर मूल्याकंन प्रक्रिया का अभाव।
5. जिला स्तर पर पांचवी के बोर्ड का प्रभावशाली न होना।

वंचित वर्ग {फोकस ग्रुप} :–

जिले में निम्नलिखित वंचित वर्ग है :–

1. बालिकायें।
2. अल्प संख्यक बालक–बालिकायें।

3.विकलांग एवं घूमन्तु परिवार के बालक–बालिकायें।

4.अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक–बालिकायें।

इस फोकस ग्रुप की भी वही समस्यायें है जो सामान्य वर्ग की समस्यायें हैं। अतः इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिये एक ऐसी व्यूह रचना तैयार करनी होगी जिससे सभी बालक–बालिकायें प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर मुख्य धारा से जुड़ सकें।

स्थानीय अन्तर :–

जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में साक्षरता दर में अन्तर है। जनसंख्या में अन्तर है। इसी प्रकार शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता में भी अन्तर है। शैक्षिक समस्याओं में अन्तर है। जातिगत अन्तर है। इसी आधार पर अपनाई जाने वाली व्यूह रचनाओं में अन्तर होगा। जैसे लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खण्डेला, सीकर शहर के मदरसों में अतिरिक्त पैरा टीचर्स की व्यवस्था करनी पडेगी, जबकि दांतारामगढ, नीमकाथाना में वैकल्पिक विद्यालयों की व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार शहर सीकर के गन्दी बस्ती में और रामगढ शहर की स्लम एरिया में भी वैकल्पिक विद्यालयों स्कूल गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत शिक्षा मित्र केन्द्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

अध्याय– 4

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

4.0 भूमिका

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। इसके लिए सतत प्रयास भी किये जा रहे है। विभिन्न योजनायें, परियोजनाऐं तथा अभियान भी समय–समय पर संचालित की जाती रही है। किन्तु कटु यथार्थ यह है कि आज तक इस लक्ष्य को नही प्राप्त किया जा सका। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि निर्धनता, अभिभावकों की अशिक्षा तथा शैक्षिक सुविधा एवं उसकी गुणवत्ता का अभाव इसके मुख्य कारक रहे है किन्तु इनकी दुहाई देकर हम अनन्त काल तक इस राष्ट्रीय लक्ष्य की उपलब्धि को लम्बित नही रख सकते है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित अवधि का एक व्यापक कार्यक्रम " सर्वशिक्षा अभियान " के नाम से निर्धारित किया गया।

4.1 सर्वशिक्षा अभियान के राष्ट्रीय उद्देश्य :–

1. सभी बच्चों के लिए वर्ष 2003 तक स्कूल, शिक्षा गारण्टी केन्द्र वैकल्पिक स्कूल "बैक टू स्कूल" शिविर की उपलब्धता।
2. सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें।
3. सभी बच्चे वर्ष 2010 तक 8 वर्ष की स्कूल शिक्षा पूर्ण कर लें।
4. जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व दिया जायेगा।
5. बालक–बालिका असमानता तथा सामाजिक वर्ग–भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा वर्ष 2010 तक प्रारम्भिक स्तर पर समाप्त करना।
6. वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को स्कूल में बनाए रखना।

उपर्युक्त राष्ट्रीय उद्देश्यों के सापेक्ष्य तथा जिले की विशिष्ट परिस्थितियों के सन्दर्भ में जिला स्तर पर इस अभियान के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है–

4.2 जिला स्तर सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य :–

सीकर जिले में सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य निम्नांकित है –

1. 6–14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालय में अनिवार्य रूप से नामांकन कराना।
2. 6–14 आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले ड्राप आउट होने वाले बच्चों को उनकी उपलब्धता के आधार पर शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ना।
3. वर्ष 2007 तक अनुमानित 6–14 आयु वर्ग के 538486 बच्चों को पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करना।
4. वर्ष 2010 तक अनुमानित 569767 बच्चों को 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा प्रदान करना।
5. 6–14 आयु वर्ग का सकल नामांकन अनुपात वर्तमान में 93 प्रतिशत से बढ़ाकर 2008 तक शत प्रतिशत करना।
6. बालिका शिक्षा पर विशेष बल।
7. वंचित बस्तियों को शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
8. विद्यालयों को भौतिक संसाधनों का विस्तार करना।
9. प्रभावी विकेन्द्रीकरण के माध्यम से समुदाय की सहभागिता पर बल।
10. मानक के अनुसार अध्यापक एवं भवन उपलब्ध कराना।

राजस्थान सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के प्रथम सोपान को सितम्बर–02 तक पूर्ण करने का संकल्प " शिक्षा आपके द्वार" नामक अभियान के माध्यम से लिया। शिक्षा दर्पण सर्वे (आदिनांक–02) के अनुसार जिले में अनामांकित बच्चों की संख्या 7882 थी। इन्हें शैक्षिक संस्थाओं से जोड़ दिया गया है।

राजस्थान में न्यूनतम अनामांकित बालक/ बालिकाओं के प्रथम पांच जिलों में सीकर का स्थान चौथा है। जिला प्रशासन जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं डीपीईपी के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तर, नगर पालिका स्तर, उप खण्ड एवं खण्ड स्तर के अलावा अनामांकित बाहुल्य क्षेत्रों में कला जत्थों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सशक्त वातावरण का निर्माण किया गया, जिसके फलस्वरूप ही जिले में शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य हासिल हो सका।

4.3 जिले में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों का विस्तृत विवरण निम्नप्रकार हैं :–

4.3.1 पहुंच :–

- सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालयों में कमोन्नत किया जायेगा। दो प्राथमिक विद्यालय पर एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय मे कमोन्नत किया जायेगा। इसका आधार यह रहेगा कि तीन किमी की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता क्षेत्र में प्राप्त हो। गांव की आबादी 500 तथा कक्षा 1 से 5 तक 100 बच्चे नामांकित हो
- जहां पर 1 किमी की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है एवं 6 से 8 आयु वर्ग के 25–30 बच्चे उपलब्ध है, वहां पर उनको शिक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत रा.गा.पा. केन्द्र की स्थापना की जायेगी। यदि बच्चों की संख्या 10 से कम हो तो शिक्षा मित्र केन्द्र भी खोले जायेगे।
- 9 से 14 आयु वर्ग के वे बच्चे जो किसी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते है अथवा बीच में पढाई छोड़ जाते है, उन्हें वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के माध्यम से ब्रिजकोर्स केन्द्र खोलते हुए शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा तथा विशेष वर्ग के बच्चे जो उपरोक्त केन्द्रों पर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे उनके लिए भी ब्रिजकोर्स समर कैम्प आदि के माध्यम से उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा।
- सत्र 2003–04 में ई.जी.एस. केन्द्र 243 को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा तथा 2007 तक सभी ईजी.एस. एवं ए.एस. को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत कर दिया जायेगा जिसमें प्रति विद्यालय 10000 के हिसाब से वर्ष 2003–04 में कुल 24.3 रूपये खर्च होने हैं कुल 772 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत 2007 मे कर दिया जायेगा जिस पर लागत 77.2 लाख रूपये का प्रावधान हैं।
- उक्त क्रमोन्नत विद्यालयों में एक नियमित अध्यापक तथा 2 पैरा टीचर लगाये जायेंगें अध्यापक के वेतन का प्रावधान 0.84 रूपये के हिसाब से 2003–04 में कुल 204.12 रूपये तथा 2007 तक 1625.40 रूपये खर्च होंगें।
- रागापा के समस्त विद्यालय शिक्षा गारंटी योजना के तहत चलाये जायेगे और ये विद्यालय तथा वै.वि. दोनों को आगे चलकर प्राथमिक विद्यालय में कमोन्नत कर दिया जावेगा।

4.3.2 नामांकन :–

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन है। जिसके लिए वंचित बस्तियों को शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराना एवं प्रत्येक दो प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय खोला जाना है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन कराया जाना है। इन बच्चों की वर्तमान में शाला त्याग दर 52 प्रतिशत है जिसे धीरे–धीरे कम करते हुए 2007 तक शून्य की स्थिति में लाया जायेगा। इस प्रकार 2003 तक 6 से 11 आयु वर्ग के सभी बच्चों का नामांकन कराना एवं 2007 तक शाला त्याग की स्थिति को शून्य कराया जाना है। वर्तमान में सीकर जिला का सकल नामांकन अनुपात 98 प्रतिशत है जिसे बढ़ाते हुए 2008 तक शत प्रतिशत किया जाना है। जिससे वर्तमान में शुद्ध नामांकन की दर 98 प्रतिशत को बढ़ाते हुए 2003 तक 100 प्रतिशत कराना प्रस्तावित है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले के 11 से 14 आयु वर्ग के 2007 तक अनुमानित 546717 बच्चों को शतप्रतिशत नामांकित कराया जाना है। इस आयु वर्ग के बच्चों की वर्तमान में शाला त्याग दर लगभग 52 प्रतिशत है। जिसे वर्ष 2010 तक कम करते हुए शून्य पर लाना है। इस आयु वर्ग के बच्चों का वर्तमान में शुद्ध नामांकन अनुपात 98 प्रतिशत है जिसे 2007 तक 100 प्रतिशत करना है।

4.4 ठहराव :–

सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के उपलब्ध सभी बच्चों के नामांकन के साथ–साथ विद्यालय में उनका ठहराव भी बना रहे अर्थात् प्रवेश होने के बाद कोई भी बच्चा शाला त्याग न करे।

सीकर जिले में प्राथमिक स्तर की ड्राप आउट दर 52 है जिसे 2007 तक घटाकर शून्य किया जायेगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर की भी ड्रापआउट दर को 2010 तक घटाकर शून्य किया जायेगा। इस प्रकार 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों व उद्देश्यों की पूर्ति शत प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। जिसे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका–46 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का ठहराव

वर्ष	2001–2002	2002–2003	2003–2004	2004–2005	2005–2006	2006–2007	2007–2008	2008–2009	2009–2010
ठहराव दर में वृद्धि	48%	55%	67%	80%	90%	100%	100%	100%	100%

स्रोत ....

4.5 गुणवत्ता सम्बवर्द्धन :–

शत प्रतिशत नामांकन एवं ठहराव के लिए आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की क्षमता एव शिक्षा परिसर भी आकर्षक हो। इसके लिए शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक एवं भौतिक सुविधाओं की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। जहाँ तक शिक्षकों का प्रश्न है उनके अध्यापक–कौशल के साथ–साथ प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों में अभीष्ट दक्षता अपेक्षित है। इसके लिए उन्हे समय–समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। पाठ्य पुस्तकों की संरचना भी छात्रों के मानसिक स्तर एवं सामाजिक अपेक्षाओं के सन्दर्भ में नये सिरे से करनी होगी। इसके अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण, पुर्ननिर्माण, शौचालय, हैण्डपम्प, विद्यालय की चारदिवारी के निर्माण का प्रस्ताव है। भौतिक उपकरणों के लिए भी प्रति अध्यापक प्रस्ताव किया गया है। शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए परिवेश में संचालित शिल्पों एवं उद्योगों आदि का शिक्षण एवं प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव है। जहां तक शिक्षण के सैद्धान्तिक उन्नयन का प्रश्न है। इसमें बी.ई.ओ., डाईट, बी.आर.सी.एफ. की विशेष भूमिका है। अपेक्षित योग्यता वाले सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रत्येक विकास क्षेत्र में गुणवत्ता के निरीक्षण के लिए समूह का गठन किया जायेगा। जन सहभागिता सुनिश्चित किये जाने के लिए ग्राम शिक्षा समितियों को भी प्रशिक्षित, अधिकृत एवं संवलित किया जायेगा। डीपीईपी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया जायेगा।

अध्याय – 5

पहुंच, नामांकन एवं ठहराव

5.1 भूमिका :-

जिला सीकर में शिक्षा के सार्वजनीकरण की लक्ष्य प्राप्ति हेतु सन् 2001 तक 1143 प्राथमिक विद्यालय संचालित थे। इसके अतिरिक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की संख्या 603 थी, जिनमें 04 रा.गा.पा. संस्कृत विद्यालयों की है। वैकल्पिक विद्यालयों/ मदरसा एवं शिक्षा कर्मी पाठशालाओं की संख्या क्रमशः 101, 29 व 34 हैं जो शिक्षा की सार्वजनीकरण की उद्देश्य प्राप्ति में भरपूर सहयोग दे रही है। इसके बावजूद जहां एक–डेढ किमी की परिधि मे प्रा.वि. नहीं है तो वहां वैकल्पिक विद्यालय खोलकर उस स्थान की शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति की जायेगी।

5.2 पहुंच :-

5.2.1 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वे वै.वि. एवं मदरसे जो डीपीईपी में संचालित हैं, उन्हें प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। जिससे जिले के प्रत्येक वासस्थान को प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध हो सके। इनकी संख्या कुल 101 हैं। पंचायत समितिवार विद्यालयों की संख्या निम्नानुसार है –

तालिका–47

(पंचायत समितिवार वैकल्पिक विद्यालय जिनको प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा)

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	प्रा.वि. की संख्या		वि.वि.
1	फतेहपुर	24		
2	लक्ष्मणगढ़	15		
3	धोद	7		
4	दांतारामगढ़	24		
5	खण्डेला	14		
6	नीमकाथाना	26		
7	श्रीमाधोपुर	9		
8	पिपराली	11		
	योग	130		

5.2.1.A सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले के सभी 6–14 आयु वर्ग के बच्चों की विद्यालय में पॅहुच एवं ठहराव के लिये प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2 : 1 होना चाहिये।

- जंहा 3 किमी परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और गांव की आबादी 500 है वंहा प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रधानाध्यापक व एक अध्यापक के पद स्वीकृत किये जायेंगें उसके बाद 2007 तक एक एक अध्यापक के पद स्वीकृत किये जायेंगें।
- नव क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम वर्ष एक मुश्त 50,000 रूपये दिये जायेंगें जो फर्नीचर, उपकरण एवं अन्य सुविधाओं में खर्च किये जा सकते हैं। ये राशि विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से दी जायेगी।

इस प्रकार वर्ष 2003–04 में 86 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्त किया जायेगा जिसका व्यय प्रत्येक विद्यालय के 50,000 के हिसाब से 43 लाख के व्यय का प्रावधान है सत्र 2006–07 तक कुल 231 नव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 115.5 लाख खर्च किये जायेंगें सत्र 2003–04 में नव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्र.अ. के 86 पद के वेतन का 10.32 लाख का प्रावधान है। सत्र 2003–04 में नव उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के 86 पदों का वेतन प्रति यूनिट 0.84 लाख रूपये के हिसाब से 72.24 लाख रूपये का प्रावधान है।

5.2.2 वर्तमान में जिले में 451 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं एवं प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1090 हैं। सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालयों को क्रमोन्नत निम्न प्रकार से किया जाने का प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में 1090 प्राथमिक विद्यालय व 451 उ.प्रा.वि. है। सत्र 2002–03 में 120 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का प्रावधान रखा गया है। राजीव गॉधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत सत्र 2003–04 में 40प्रतिशत व सत्र 2004–05 से 2006–07 में 20प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा। हर वर्ष प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जयेगा। सत्र 2006–07 मे सभीवैकल्पिक विद्यालयें को प्राथमिक विद्यालयों मे क्रमोन्नत कर दिया जायेगा। शिक्षाकर्मी विद्यालयों को सत्र 2005–06 में प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत कर दिया जायेगी क्रमोन्नत विद्यालयों की सारणी निम्नानुसार है –

तालिका :-48

वर्ष	प्रा.वि	उ.प्रा.वि	मा.शा	शिक्षाकर्मी	वैकल्पिक शि	योग	उन्नयन उ.प्रा.वि	उन्नयन प्रा.वि	उन्नयन के बाद					
									प्रा.वि	उ.प्रा.वि	मा.शा	शिक्षाकर्मी	वै.शि	योग
2002-03	1127	427	608	34	130	2326	0	34	1093	461	608	34	130	2326
2003-04	1009	447	603	34	130	2303	82	61	1008	529	542	34	130	2303
2004-05	1068	529	542	34	130	2303	3	61	1126	532	481	34	130	2303
2005-06	1136	532	481	34	130	2303	20	93	1159	552	388	34	130	2303
2006-07	1155	552	388	34	130	2303	31	61	1224	583	[illegible]	34	130	2303

उपरोक्त विद्यालयों के भवनों का निर्माण शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से कराया जायेगा। जिसका तकनीकी परिवीक्षण सहायक अभियन्ता {डीपीईपी} द्वारा कराया जायेगा।

5.2.3 *शिक्षा गारण्टी योजना :-*

ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे वासस्थान जहां 1 किमी की परिधि में कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है तथा जहां 20 से 25 बच्चे 6-14 आयु वर्ग के हो तो वहां शिक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा। शहरी क्षेत्रों में सड़क छाप बच्चों को शिक्षा मित्र या सांध्य स्कूल खोलकर लाभान्वित किया जायेगा। वर्तमान में जिले में संचालित 603 रागापाठशालाओं को ईजीएस में परिवर्तित किया जायेगा और 845 रू. प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से इनका भुगतान किया जायेगा। इसके साथ ही यदि भविष्य में भी कोई भी वासस्थान ऐसा शेष रहता है जहां पर एक से डेढ किमी की परिधि में कोई भी शैक्षिक सुविधा उपलब्ध नहीं हैं वहां पर ई.जी.एस. केन्द्र खोले जायेंगे।

5.2.4 *ब्रिज कोर्स :-*

9-14 आयु वर्ग के बालकों को जिन्होंने शाला त्याग कर दिया है अथवा जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। ऐसे बालक/ बालिकाओं की उनकी आवश्यकतानुसार ब्रिज कोर्स की स्थापना की जायेगी। इससे बालक/ बालिका दोनो ही शिक्षा की नियमित धारा से जुड़ जायेंगें। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे बालक बालिकाओं को तीन-तीन महिने के आवासीय एवं गैर आवासीय शिविरों के द्वारा अध्ययन करवाया जायेगा। वर्ष 2003-04 में आवासीय शिविर 32 तथा 2007 तक कुल 128 शिविर आयोजित होने हैं जिसके लिये 2003-04 में

आवासीय शिविरों हेतु व्यय 1.1 रूपये के हिसाब से 35.2 खर्च होने हैं तथा 2007 तक 128 शिविरों हेतु 140.8 राशि खर्च करने का प्रावधान है

गैर आवासीय शिविर 2003–04 में 32 शिविरों हेतु 0.3 रूपये के हिसाब से कुल 9.6 रूपये का प्रावधान रखा है

स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा या अन्य माध्यम द्वारा अनामांकित बच्चों को शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिये प्रति छात्र 845 रूपये के हिसाब से वर्ष 2003–04 में 200 बच्चों को तथा 2007 तक 8000 बच्चों का लक्ष्य तय किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा के लिये 14 वर्ष से उपर आयु वाले 200 बच्चों के लिये 0.012 ईकाई लागत के हिसाब से 2003–04 में 2.4 रूपये का प्रावधान रखा गया है तथा 2007 तक 800 बच्चों के लिये 9.6 रूपये खर्च होने हैं।

5.2.5 अध्यापकों की आवश्यकता :-

नार्मस के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय में 8 शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय में 5 शिक्षक होने चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान में सीखने की प्रक्रिया को अधिक परिणामपरक बनाने हेतु अतिरिक्त अध्यापकों की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त पैराटीचर्स को 1200/– रू. प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जायेगा एवं 200 रू. प्रति वर्ष की दर अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की जायेगी, जो अधिकतम 2000/– तक होगी। बालिकाओं के ठहराव दर को बढ़ाने के लिए महिला पैराटीचर्स को चयन में प्राथमिक दी जायेगी।

वैकल्पिक विद्यालयों एवं ई.जी.एस. को प्रा.वि. में परिवर्तित करना। जिले के 130 वै.वि. और 603 ई.जी.एस. केन्द्र को प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जायेगा। इसके लिए विषयवार अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक गणित, एक विज्ञान व अंग्रेजी विषय के अध्यापक की आवश्यकता होगी। प्राथमिक विद्यालयों में दो पैराटीचर्स व एक अध्यापक की नियुक्ति की जायेगी।

5.2.6 भवन, पेयजल, शौचालय एवं चारदीवारी की आवश्यकता :-

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत 86 विद्यालय भवन बनाये जायेंगे और 200 विद्यालयों में 3 कमरे वाले भवन बनाये जायेंगे जिसकी ईकाई लागत 3.6 लाख एवं 6.25 लाख रूपये होगी।
- साथ ही नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो में स्वच्छ पानी के पीने की व्यवस्था हेतु इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिस्थापित कराया जायेगा। जिनकी संख्या 600 हैण्डपम्प,

700 पीएचईडी कनेक्शन व पानी की टंकी बनाई जायेगा। जिनकी ईकाई लागत क्रमशः 50,000 तक हैण्डपम्प और 20,000रू. पीएचईडी कनेक्शन।

- प्रत्येक विद्यालय में बालक/ बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय निर्माण कराया जायेगा। इनकी संख्या 700 होगी और प्रति ईकाई लागत 10,000 रू. होगी।
- बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चार दीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इनकी लागत विद्यालय की यूनिट कोस्ट में शामिल है।
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण भी कराया जायेगा। जिनकी संख्या 1010 होगी और इकाई लागत 1.20 लाख होगी। अति. कक्षा कक्ष इन्हीं विद्यालयों में बनाये जायेगे जहां पर अध्यापक-छात्र अनुपात 1:40 के अनुसार होगा।
- इसके साथ ही जिन विद्यालयों में विकलांग बालक/ बालिकाएं अध्ययनरत है, वहां पर रेम्प बनाये जायेगे। जिनकी संख्या 200 होगी और इकाई लागत 20 हजार।

5.3 विद्यालय सुविधा अनुदान :-

- जिन प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा, उसमें 2000 रू. प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से विद्यालय सुविधा प्रदान की जायेगी एवं प्रत्येक अध्यापक को 500 रू. की दर से टीएलएम बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- जिन वै.वि. को प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा, वहां भी 2000 रू. प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से विद्यालय सुविधा प्रदान की जायेगी एवं प्रत्येक अध्यापक को 500 रू. की दर से टीएलएम बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।
- जिले में संचालित समस्त ईजीएस केन्द्र को जो प्राथमिक स्तर पर चल रहे हैं, 845 रू. प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष व्यय किये जायेगे एवं समस्त पैराटीचर्स को पांच सौ रू. प्रति वर्ष की दर से टीएलएम बनाने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जायेगी।

5.3.1 विद्यालय भवनों का रख-रखाव :-

- जिले के समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथ. एवं अन्य विद्यालयों को 5000रू. प्रति विद्यालय की दर से प्रतिवर्ष स्कूल भवन के मरम्मत के लिए प्रति वर्ष दिये जायेगे।

5.4 सामुदायिक गतिशीलता :-

सर्वशिक्षा अभियान में सामुदायिक गतिशीलता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। समुदाय की भागीदारी के बिना विद्यालय से संबंधित तमाम शैक्षिक एवं अन्य सुविधाओं का आकलन करना मुश्किल है। सूक्ष्म नियोजन गतिविधियों द्वारा उपलब्ध सुविधा एवं सूचना को अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

समुदाय की सहभागिता लेने के लिए कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन प्रत्येक स्तर पर किया जायेगा, जैसे– महिला बैठकें, बाल मेला, कला जत्था के कार्यक्रम, विज्ञान मेला { 28 फरवरी } पी.आर.आई की प्रत्येक स्तरों पर बैठको का आयोजन किया जायेगा और समुदाय से वार्ता कर आवश्यक सहयोग लिया जायेगा।

- ग्राम स्तर पर वातावरण निर्माण गतिविधि हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर 1000/– रूपये प्रति विद्यालय 2003–04 में कुल राशि 15.360 का प्रावधान रखा गया है
- प्रत्येक ग्राम पंचायत (329) स्तर पर प्रति वर्ष 10000 रूपये की पुस्तकालय पुस्तक उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। जिसकी लागत 2003–04 में 32.9 रूपये होगी।
- जन प्रतिनिधि एवं एस.एम.सी. का दो दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान रखा है कुल प्रशिक्षण प्लान अनुसार 16488 होने हैं जिस की लागत 9.893 रूपये हैं।

5.5. सामुदायिक गतिशीलता की क्रियाविधि :-

इसमें निम्नलिखित कार्य कराये जायेगे :–

1. सर्वे मे 0–6 आयु वर्ग एवं 6–14 आयु वर्ग के बालक/बालिकाएं परिवार का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर विद्यालय जाने वाले और न जाने वाले विशेष रूप से बालिकाएं इस सर्वे में जोड़ी जायेगी।
2. नजरी नक्शा, कैच मैन्ट एरिया के आधार पर समुदाय की भागीदारी से तैयार किया जायेगा।
3. वर्तमान में शैक्षिक सुविधाओं का आकलन कराया गया है कि कितने विद्यालयों में भवन की आवश्यकता है। पानी एवं शौचालय की सुविधा कितनी है। साथ ही अतिरिक्त भवन एवं कक्ष कितने बनेगे। जिससे विद्यालयी वातावरण आकर्षक बने।

4. एवं स्वस्थ सामाजिक वातावरण का निर्माण किया गया, जिसमें कला जत्थे की कलाकारों ने सामुहिक नृत्य, नाटक, महिला सम्मेलन, बालमेले, बालिका मंच एवं नगरपालिका से सदस्यों का आमुखीकरण भी किया गया।

5. सूक्ष्म नियोजन क्रियाविधि :–
सूक्ष्म नियोजन की कियाविधि में निम्नलिखित कार्य कराये जायेंगे:–
   1. स्कूल मैपिंग की सूचनाओं की अपडेशन
   2. विद्यालय प्रबन्धन समिति/ संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा संकलित सूचनाओं को समेकित रजिस्टर ग्राम स्तर पर तैयार किया जायेगा।
   3. विद्यालय प्रबन्ध समिति जो वार्डवार/ मोहल्लेवार अनामांकित बालको की जवाबदारी सौंपी जायेगी, जिससे उनका नामांकन कराया जा सके।
   4. बच्चे से सम्बंधित सूचना का रजिस्टर रखा जायेगा और मीटिंग्स में उनकी चर्च की जायेगी।

6. प्रवेशोत्सव :– प्रतिवर्ष 6–14 आयु वर्ग के बालक/ बालिकाओं को शाला से जोड़ने हेतु प्रवेशोत्सव जुलाई के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में मनाया जायेगा। निम्नलिखित कार्य किये जायेगे:–
   1. स्कूल मैपिंग एवं माइक्रो प्लानिंग की कियाविधियों की चर्च प्रवेशोत्सव में की जायेगी। पूर्व एवं वर्तमान के अनुभवों की चर्च की जायेगी।
   2. अध्यापक विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्य को प्रोत्साहित किया जायेगा, जिससे बालक/ बालिकाओं का नामांकन एवं ठहराव बढ़ सके।
   3. मोहल्ले एवं वार्डो की सभाएं आयोजित की जायेगी। जिससे वातावरण निर्माण हो सके एवं कुछ फोल्डर, ब्रोशरस एवं साहित्यिक पैम्पलेट्स का निर्माण कर वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
   4. अध्यापक अभिभावक संघ एवं मातृ/ अध्यापक संघो को विश्वास में लेकर विशेष रूप से लड़कियों के नामांकन हेतु प्रयास किये जायेगे।
   5. कुछ आडियो, वीडियो कैसेट्स का निर्माण कर योजनाविधि में वातावरण निर्माण के क्षेत्र में काम में लिये जायेगे।

7. बाल–मेला/ शिक्षा आपके द्वार अभियान :– सभी प्राथमिक विद्यालायों में अनामांकित बालाकों को आकर्षित करने हेतु बाल मेलों का आयोजन किया जायेगा। जिससे विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक/ साहित्यिक/ खेलकूद किया आधारित कार्यक्रम सम्पादित किये जायेंगे।

8. महिला बैठकें/ सम्मेलन :– प्रत्येक संकुल स्तर पर महिला सम्मेलनों का आयोजन किया जायेगा। जिसमें महिला उत्थान से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी उन्हें दी जायेगी। साथ ही अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं का नामांकन व ठहराव की बात की जायेगी। साथ ही ऐसी महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जिनकी बच्चियां विद्यालयों में नहीं आती है।

9. संस्थागत सुविधाएं :– जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है, सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, राजीव गांधी पाठशालाओं में शौचालय की सुविधा, लड़के–लडकियों के अलग–अलग शौचालय, पानी की सुविधाऐं भी प्रदान की जायेगी। जिससे शैक्षिक वातावरण सुखद बन सके।

संस्थागत सुविधाएं	उ.प्रा.वि.		प्रा..वि.		रा.गा.स्व.ज.पाठ.		योग	
	वर्तमान	आवश्यकता	वर्तमान	आवश्यकता	वर्तमान	आवश्यकता	वर्तमान	आवश्यकता
हैण्ड पम्प							1539	600
पी.एच.डी. कनेक्शन	298	149	739	350	502	101		
शौचालय सुविधा	287	160	778	311	374	229	1439	700
चार दीवारी	318	129	822	267	133	470	1273	866

10. अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता :– वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों अधिकतम विद्यालयों में 2 या 3 कक्षा कक्ष है। जबकि कक्षाएं बालक/ बालिकाओं से भरी हुई है। सर्वशिक्षा अभियान में प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षा कक्ष की आवश्यकता है। साथ ही प्रधानाध्यापक कक्ष अलग है। इस प्रकार कुल अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शायी गई है।

प्रा. एवं उच्च प्रा. वि. में अध्यापकों की संख्या	कुल उपलब्ध कक्षा–कक्ष	अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता
7571	8238	1010

11. विद्यालय सुविधा अनुदान :– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार ही जिले में अवस्थित समस्त प्रा.वि., उच्च प्रा.वि., नये प्रा.वि., नये उ.प्रा.वि., वै.वि., मदरसों व रा.गा. पा. में रू. 2000/– प्रति विद्यालय सुविधा अनुदान प्रदान किया जायेगा।

विद्यालयों की संख्या							
उ.प्रा.वि.	नवीन उ.प्रा.वि.	प्रा.वि.	नवीन प्रा.वि.	मै.दि.	मदरसा	सा.शि. मा.	योग
617	37	1069	59	101	29	603	0

12 बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना :– सर्व शिक्षा अभियान मे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम चलाये जायेगे। समर कैम्प, उपचारात्मक शिक्षण केन्द्र, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा एस.सी., एस.टी., बालिकाओं को शैक्षिक सम्बल एवं कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान की जायेगी। बालिकाओं में दक्षता विकास का कार्य कराया जायेगा।

13. पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु **शिशु शिक्षा केन्द्र** :– नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय/ उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु शिशु शिक्षा केन्द्र खोले जायेगे। जो बच्चे कृषि कार्य, छोटे भाई बहिनों की देखभाल या घरेलू कार्य के कारण विद्यालय जाने में असमर्थ है उनके लिए ये केन्द्र महत्वपूर्ण साबित होंगे। इनके केन्द्रो पर समस्त आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेगी। डीपीईपी द्वारा 100 पूर्व प्राथमिक केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं प्रोजेक्ट समाप्ति पर आई.सी.डी.एस. को सुपुर्द कर दिये जायेगें।

14. विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को मुख्य–धारा से जोड़ना :– सर्वशिक्षा अभियान सामुदायिक सहभागिता से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए एक प्रयास है। क्षेत्रीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता के माध्यम से सामाजिक एवं जेण्डर सम्बंधी अन्तर को समाप्त किया जायेगा। सन् 2003 तक बच्चों के विद्यालय/ शिक्षा गारंटी योजना/ वैकल्पिक विद्यालय/ बैक टू स्कूल कैम्प/ ब्रिज कोर्स से जोड़ने के लिए विशेष उत्प्रेरकों को काम में लिया जावेगा। इसलिए विद्यालय न जाने वाले या बीच में विद्यालय छोड़ने वाले या नियमित विद्यालय न जाने वाले बच्चों पर मुख्य ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। नियोजन प्रकिया से प्रदर्शित होता है कि प्रस्तावित जिले में .... अनामांकित बच्चे हैं। निम्नांकित व्यूहरचना इन बच्चो के मुख्य धारा में सम्मिलित करेगी।

15. बाल मजदूर व शैक्षिक मुद्दों के विरूद्ध सामुदायिक अभियान एवं गतिशीलता समस्त आवास स्थानों पर सामुदायिक सहभागिता से व विद्यालयों के सशक्तिकरण से लायी जायेगी। इस उपलब्धि के लिए शैक्षिक भ्रमण, एस.एम.सी. के सदस्यों के प्रशिक्षणों का आयोजन किया जायेगा तथा शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

16. जहां 10 या अधिक अनामांकित बच्चे उपलब्ध होंगे उन आवास स्थानों पर आवासीय एवं गैर आवासीय ब्रिज कोर्सेज संचालित किए जायेंगे। ऐसे कोर्सेज की अवधि 3-6 महिने होगी। शिक्षा मित्र/ शिक्षा सहयोगी/ पैराटीचर्स/ क्षेत्रीय स्वयंसेवक और स्वयंसेवी संस्था जो कि एस.एम.सी. द्वारा चिन्हित हो, इन कोर्सेज एवं शिविरों को अनामांकित बच्चों को मुख्यधारा से जोडने के लिए इन कोर्सेज/ शिविरों को संचालित करें।

5.5.1 *निर्माण कार्य :-*

जिले के अधिकांश विद्यालयों में कक्षाकक्ष का अभाव है। मानदण्डानुसार प्राथमिक विद्यालयों में कुल कक्षाओं के अनुसार कक्षा कक्ष होगा तथा एक प्र.अ. का कक्ष अलग से होगा। इसी तरह उ.प्रा.वि. में कुल 8 कक्षा कक्ष तथा एक प्र.अ. कक्ष होगा। यह न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।

तालिका- 49 { अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता }

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	अतिरिक्त कक्षा कक्षों की मांग
1.	फतेहपुर	121
2.	लक्ष्मणगढ़	79
3.	धोद	139
4.	दांतारामगढ़	169
5.	खण्डेला	140
6.	नीमकाथाना	136
7.	श्रीमाधोपुर	89
8.	पिपराली	137
	योग	1010

अध्याय 6

गुणवत्ता-शिक्षा

6.1 भूमिका :-

वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु इस जिले में डीपीईपी. कार्यक्रम के द्वारा भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमो का संचालन किया जा रहा है । इस हेतु जिला स्तर से शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग-समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है । इस कार्य में जिले में स्थापित 8 बी.आर.सी. तथा 115 सी. आर सी. केन्द्रो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इन कार्यालयों द्वारा संस्थागत क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों ,ई.सी.ई. अनुदेशिकाओं /सहायिकाओं तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया है । चूंकि विद्यालयों में छात्रों का ठहराव सुनिश्चित करने के लिए गुणात्मक शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है , अतः सर्व शिक्षा अभियान में भी आगामी वर्षो में गुणात्मक शिक्षा हेतु विभिन्न गतिविधियों सम्पादित करने का प्रावधान रखा जा रहा है ।

6.2 शिक्षण अधिगम निर्माण :-

डीपीईपी. के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु. 500/- की धनराशि प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान के रूप में जिले के प्राथमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों को उपलब्ध कराई गई थी । इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के लिए उनका अभिमुखीकरण हेतु सी.आर.सी./बी.आर.सी. तथा जिला स्तर पर टी.एल.एम. प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया । जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान सम्बंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को भी बढ़ावा मिला । इसके अलावा शालाओं में छात्र हितार्थ उपयोग हेतु रु. 2000/- (विद्यालय फेसिलिटी ग्रांट) का भी डीपीईपी. द्वारा अनुदान दिया गया था । इसी सुविधा को सर्व शिक्षा अभियान में जारी रखने का प्रावधान किया गया है ।

6.3 निः शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण :-

जिले में निर्धन एवं असहाय परिवारो के बालक /बालिकाओं , अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति के परिवारों के बालक/बालिकाओं कों प्रारम्भिक शिक्षा से जोड़ने के लिए उन्हें कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण किए जाने का प्रस्ताव सर्व शिक्षा अभियान में रखा जा रहा है । हालांकि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मे यह सुविधा भी उपरोक्त वर्गो के बालक/बालिकाओं को प्रदान की जा रही है । लेकिन उपयुक्त समन्वयन के अभाव में जरूरत मंद छात्रों तक यह सुविधा नही पहुंच रही है । अतः जिले के प्रारंभिक शिक्षा विभाग से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर जरूरत मंदों को उपरोक्त सुविधा मुहैया करवाई जाएगी ।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय उ.प्रा.वि. में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अनु. जाति एवं अनुसुचित जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करने के लिए 100 रू. प्रति बालक प्रति वर्ष का प्रावधान रखा गया है।

क्र.सं.	कक्षा 6से8 में अध्ययपरत बालक		कुल	यूनिट	कुल लागत
	एस.सी	एस.टी.			
1	10626	4374	15000	100 रू.	1500000

6.4 पुस्तकालय अनुदान :-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक पब्लिक पुस्तकालय और रिडींग रूम का प्रावधान रखा गया है। सीकर जिले में कुल 329 ग्राम पंचायतें है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए पुस्तकालय हेतु 2000 रू. प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया है।

क्र.सं.	कुल ग्राम पंचायत	युनिट प्रति रिडींग रूम	कुल लागत
1	329	2000 रू.	658000

इस प्रकार 2007 तक कुल व्यय 26.300 लाख खर्च किये जाने का प्रावधान है।

6.5 प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्तापुरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है । इस परियोजना में 6–14 वर्ष की आयु-वर्ग के सभी

बालक–बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है :–

- 6–14 वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल , ई.जी.एस. केन्द्र , वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा ।
- सभी बच्चें पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पुरी करें , यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा ।
- सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, , यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
- गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो , प्रदान की जायेगी ।
- प्राथमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं , समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
- लक्ष्य समूह (6–14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा ।

शिक्षक प्रशिक्षण :– सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक प्रशिक्षण तथा बेहतर शिक्षण विद्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसके लिये सर्व प्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिये प्रारम्भिक शिक्षा से जुडे जिले के समस्त शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगें।

सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण :– प्रत्येक वर्ष प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 20 दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था रखी गई है जिसमें 9 दिवसीय विषय आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिक्षण अधिगम निर्माण का दिया जायेगा। सत्र 2003–04 में 20 दिवसीय प्रशिक्षण 4223 अध्यापकों को दिया जायेगा जिसकी ईकाई लागत 0.014 के हिसाब से कुल 187.348 लाख रूपये का प्रावधान है। व 8 दिन संकुल केन्द्र पर मासिक बैठकों के माध्यम से प्रशिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा डाईट के संकाय सदस्यों , जिला परियोजना कार्यालय के सदस्यों , तथा ग्राम पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डाईट स्तर से आमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी । इन प्रशिक्षणों में मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों , बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों , शिक्षकों–विद्यालयों तथा कक्षा–कक्षों की प्रकिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों के प्रति विशेष बल दिया जाऐगा जिससे उपरोक्त सभी की विचार–अवधारणाएं समान बन सकें । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों , वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा–बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी , वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना , प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित

नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओ के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे ।

अप्रशिक्षित अध्यापकों के प्रशिक्षण :– शिक्षा मे गुणवत्ता लाने एवं रोचक शिक्षण के लिये सर्व शिक्षा अभियान में जिले के कुल 279 अप्रशिक्षित अध्यापकों के 60 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान है सत्र 2003–04 में 279 अप्रशिक्षित अध्यापकों पर प्रशिक्षण के लिये प्रति ईकाई 0.042 रूपये के हिसाब से कुल 11.718 लाख रूपये खर्च करने का प्रावधान है। अभिनवन प्रशिक्षण प्रति वर्ष डाईट के माध्यम से प्रदान किये जायेंगें जिस पर सत्र 2007 तक कुल 46.872 लाख का प्रावधान है।

नये पैरा टीचर के प्रशिक्षण :– विद्यालयो मे नियोजित पैरा टीचर्स व नये अध्यापकों को 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में दिये जाने का प्रावधान है इसके बाद भी नियमानुसार प्रति वर्ष अभिनवन प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान इस अभियान में रखा गया है। 674 नये पैराटीचर्स पर 14.158 लाख व्यय होंगें।

6.6 डाईट का सुदृढीकरण :-

जिले की डाईट संस्था सीकर में स्थित है एवं 1990–91 से कार्यरत है डाईट का वर्तमान प्रबन्धन निम्नानुसार सरणी में प्रस्तुत है :–

तालिका–50

क्र.सं.	विवरण	स्वीकृत पद	वेतनमान
1	उपनिदेशक (प्राचार्य)	1	10650–15850
2	उप प्राचार्य	1	10000–15200
3	व्याख्याता (वरिष्ठ)	5	9000–14400
4	लेखाकार	1	5500–9000
5	कार्यालय अधीक्षक	1	5500–9000
6	स्टेनो ग्राफर	1	5500–9000
7	सांख्यिकी निरीक्षक	1	5000–8000
8	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	4000–6000
9	प्रयोगशाला सहायक	1	5000–8000
10	कार्यशाला सहायक	1	5000–8000
11	वरिष्ठ लिपिक	1	4000–6000
12	कनिष्ठ लिपिक	7	3050–4590
13	सहायक कर्मचारी	6	2500–3200

डाईट की भूमिका शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों , गुणात्मक शिक्षण एवं मॉनीटरिंग हेतु महत्वपूर्ण होती है । लेकिन डाईट में उपलब्ध छात्रावासों में अपर्याप्त व्यवस्था तथा अपर्याप्त उपकरणों के कारण यह संस्था अपना अस्तित्व खो रही नजर आती है । सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम , पैराटीचर्स आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम , ब्लॉक संदर्भ सहयोगियों तथा संकुल सदर्भ सहयोगियों का अभिनवन प्रशिक्षण एवं लिंग-संवेदनशीलता संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन तथा जिला स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान करना, शैक्षिक नवाचार तैयार करना तथा सर्व शिक्षा अभियान के प्रशिक्षणों को अन्य प्रशिक्षणों के साथ समाविष्ट करना तथा इनका प्रबंधन डाईट के माध्यम से ही किए जाने का प्रावधान है।

6.7 *जिला प्रा.शि.कार्यालय का सुदृढीकरण :-*

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी की भूमिका निर्वाह करेंगें अभियान को गति देने के लिये उन्हें संसाधन देने का प्रावधान रखा है जिसमे एक टेलीफोन, एक गाड़ी, उपकरण हेतु 1.00 लाख रूपये तथा कम्प्यूटर मय आपरेटर के लिये 84 हजार एवं रैकरिंग बजट 20 हजार रूपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान है तथा अपेक्षा की गई है कि अभियान के क्रियान्वयन एवं मोनिटरिंग में विभिन्न स्तरों पर सहयोग तथा वांचित सूचना समय पर उपलब्ध करवाना। जिला स्तर पर विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में आपसी तालमेल स्थापित करना एवं सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग देना।

6.8 *ब्लाक प्रा.शि.कार्यालय का सुदृढीकरण :-*

सर्व शिक्षा अभियान में ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी, खण्ड सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी का प्रशासनिक अधिकारी होगा और बीआरसीएफ को अपनी समस्त सूचनायें एवं प्रगति से बी.ई.ई.ओ. को अवगत कराना होगा। इस कार्यालय को मजबूती प्रदान करने के लिये उपकरण के लिये 85 हजार रूपये प्रति ब्लाक का प्रावधान रखा गया है साथ ही 12 हजार रूपये प्रति माह की दर से एक वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही 10 हजार रूपये आवर्तक राशि प्रति वर्ष प्रति ब्लाक उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही एक कम्प्यूटर मय आपरेटर प्रति ब्लाक प्रति वर्ष रखे जाने का प्रावधान है जिस पर योजना अवधि में 26.88 लाख रूपये रखे जाने का प्रावधान है।

अध्याय 7

विशिष्ठ फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका :-

जिले में नामांकन की शत्-प्रतिशत उपलब्धि के लिए समाज के कुछ विशेष वर्गों के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाना आवश्यक है । इनमें छात्राएँ , घुमक्कड़ जातियों के बालक/बालिकाएँ एवं विकलांग छात्र प्रमुख है । इन सभी वर्गों की अपनी-अपनी सामाजिक , आर्थिक एवं शारीरिक समस्याओं के कारण इन वर्गो के अधिकांश छात्र/छात्राएं तथा इनके अभिभावक अध्ययन के लिए चाहते हुए भी इन्हें शाला में प्रवेश नहीं दिला पाते है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत ऐसे वर्गो के लिए विशेष-पैकेजों का प्रावधान किया जा रहा है।

7.2 लिंग संवेदनशीलता :-

समाज में महिला-पुरूष के प्रति भेदभाव के कारण जिले की महिला साक्षरता दर आज भी शोचनीय स्तर पर है । इसके निम्न कारण है :-

- बालिकाओं के अभिभावक दूरस्थ प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें भेजने में कठिनाई का अनुभव करते है , क्योंकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय दूर-दूर स्थित है । प्रायः असुरक्षा के कारण ही कक्षा 6 , 7 व 8 की स्कूली शिक्षा से बालिकायें वंचित हो जाती है ।
- इस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी महिलाओं की शिक्षा 55.70% है, जो कि शहरी क्षेत्र की साक्षरता दर से 60.60% से कम है। ऐसी स्थिति अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा का महत्व नहीं समझने से हुई है । आज भी अभिभावक अपने बालकों को तो स्कूल भेजने में रूचि लेते है , किन्तु बालिकाओं को यह समझकर स्कूल नहीं भेजते कि शादी/विवाह के उपरान्त उन्हें तो केवल घरेलू कार्य ही करना है ।
- प्रायः यह देखा जा रहा है कि जिन परिवारों में अभिभावक दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं , उस परिवार की बालिकायें अभिभावकों के घर से बाहर रहने पर घरेलू कार्यो को निपटानें में व्यस्त रहती है तथा अपने छोटे भाई , बहनों की देख भाल करती है । इसलिए स्कूल नहीं जा पाती है ।

- कुछ समुदाय विशेष (मुस्लिम) के परिवारों की बालिकायें मदरसों की दीनी शिक्षा तक ही सीमित रह जाती है । उन परिवारों के अनपढ अभिभावक बालिकाओं की स्कूली शिक्षा को धर्म विरुद्ध मानते है साथ ही साथ पर्दाप्रथा के कारण इस समुदाय में बालिकाओं को सामान्यतः स्कूलों में भेजने से कतराते है ।
- ग्रामीण क्षेत्र में अब भी अज्ञानता के कारण छोटी उम्र में ही बालिकाओं की शादी कर दी जाती है । निर्धन तथा अशिक्षित परिवारों में इस प्रथा की बाहुल्यता है । इस प्रकार की सामाजिक कुरीतियां के कारण बालिकायें स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है ।
- व्यावसायिक शिक्षा के अभाव तथा बेराजगारी को देखते हुए प्रायः अभिभावक यह समझते है कि बालिकाओं की शिक्षा से कोई लाभ नहीं है। और स्कूल भेजने की अपेक्षा वे बालिकाओं को घर के काम काज तथा पारिवारिक पेशे में ही उन्हें व्यस्त कर देना चाहते है ।
- डीपीईपी. के क्रियान्वयन के उपरान्त भी कतिपय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय , पेयजल , चार दीवारी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है । ऐसी स्थिति में भी लड़कियाँ बड़ी होने पर शाला का परित्याग कर देती है ।

7.3 ब्रिज कोर्स :-

सड़क , प्लेटफार्म , दूकानों , घुमन्तू बच्चों , नौकरी पेशा , कुलीगिरी तथा कूड़ा बीनने वाले बच्चों जिनका वर्ग सामान्यतः 6–14 वर्ष की आयु का है , के लिए ब्रिज कोर्स / ग्रीष्मकालीन शिविर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित किये जायेंगे । इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य औपचारिक विद्यालय से वंचित बच्चों को औपचारिक विद्यालयों में लाने का है। इस जिले में परियोजना अवधि में कुल 256 (128 आवासीय, 128 गैर आवासीय) ब्रिज कोर्स संचालित किए जाने का प्रावधान है ।

इन शिविरों की अवधि आवश्यकतानुसार 4 माह से 18 माह तक की हो सकती है । इसमें बच्चों की निर्धारित संख्या 15–20 तक होगी तथा ये शिविर पूर्णतः आवासीय होंगे । इन शिविरों में बच्चों के रहने , खाने–पीने एवं शिक्षण आदि की व्यवस्था निःशुल्क होगी । निर्धारित मानकों के अन्तर्गत इन शिविरो में 1 केयर टेकर , 2 पैराटीचर , 1 रसोईयां एवं 1 चौकीदार की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इन शिविरों का निर्धारण जिले की माइक्रोपलानिंग के आधार पर किया जायेगा ।

7.4 विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा :-

7.4.1 भूमिका :-

सामान्य भाषा में शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की अपूर्णता या असमर्थता को विकलांगता कहते है। विकलांगता चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, किसी भी मात्रा में हो, मानव व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसे शारीरिक दोष हो जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकते है या सीमित रखते है, विकलांग कहलायेगा। ऐसे बालको में हीन भावना भरी रहती है तथा उनमें स्वाभिमान की कमी होती है। विकलांग बच्चो को सर्वांगीण विकास के लिये पर्याप्त अवसर नही मिल पाता है, अतः उन्हें भी सामान्य बालकों के साथ ही मुख्य धारा में जोड़ा जाना चाहिये। शैक्षिक प्रयास के इसी दौर में "विकलांगो के लिये एकीकृत शिक्षा योजना" की संकल्पना जर्मनी में जन्मी, लुप्त हुई और अब पुनः भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में भी साकार हो उठी है। अवसरों की समानता और संवैधानिक प्रवृतियों के अन्तर्गत आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से राष्ट्रीय संकल्प के रूप में विकलांग एकीकृत शिक्षा प्रभावी हुई ताकि अछूत विकलांग सही अर्थों में मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

7.4.2 महत्व :–

किसी भी देश का 10 में से 1 व्यक्ति विकलांग है। संसार में 40 करोड़ लोग किसी न किसी विकृति के शिकार है। इनमें बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। भारत में विकलांग बालकों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है, फिर भी अनुमान है कि 30 लाख से अधिक बच्चे किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है। यद्यपि विकलांगो में किसी न किसी प्रकार की असमर्थता पाई जाती है फिर भी उनमें दोषयुक्त क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र में अप्रत्याशित क्षमता व विलक्षणता देखने को मिलती है। अतः विकलांगो को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं पुनर्स्थापन की सेवायें उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर एवं समाज का उपयोगी अंग बनाया जा सकता है। विकलांग बालकों को यह अहसास कराना होगा कि उनकी मूलभूत आवश्यकतायें सामान्य बालकों के समान ही है, इससे उनकी मनोदशा पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना होगा। विकलांगो को शिक्षण प्रशिक्षण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने एवं समाज में उनका उचित समायोजन करने के लिये "विकलांग बालको की एकीकृत शिक्षा योजना" ही एक मात्र सशक्त योजना है।

7.4.3 उद्देश्य :–

- विकलांग बालकों को सामान्य विद्यालयों में विशेषज्ञ अध्यापकों और विशेष उपकरणों की सहायता से पढाना।

- विकलांग बालक को हीन भावना से मुक्ति दिलाकर उनमें स्वाभिमान लाना।
- सर्वांगीण विकास हेतु पर्याप्त अवसर देना।
- विकलांग बालकों को समाज में शारीरिक, मानसिक सामंजस्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करना।
- विकलांग बालकों को सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षा देना।
- जिले में 2166 विकलांग बालक/ बालिकाओं को एलीमको कम्पनी के द्वारा उपकरण प्रदान करवाये जावेंगे।
- विकलांग उन बालक बालिकाओं के लिये प्रति वर्ष 1200/- रुपये का प्रावधान रखा गया है।

7.1.4 व्यवस्था :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु पंचायत समितिवार मेडिकल कैम्प आयोजित किये गये, जिनमें चिकित्सकों के चार-चार विशेषज्ञ यथा - नेत्र, ई.एन.टी., मनोचिकित्सक एवं हड्डी विशेषज्ञ आदि की सेवाएं प्रत्येक मेडिकल शिविर में ली गई।

अधिक से अधिक बच्चे इन शिविरो से लाभान्वित हो इसके लिए खण्डस्तर पर प्रचार प्रसार करने के अलावा समस्त प्राथमिक विद्यालयों के पास इस आशय का आदेश भेजा गया कि चिन्हित विकलांग बच्चों को लेकर अमुक दिनांक को अमुक स्थान पर उपस्थित हो। समाचार पत्रों के माध्यम से भी काफी प्रचार प्रसार किया गया। चूंकि खण्ड स्तर पर विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं उपलब्ध हुये तो जिला मुख्यालय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की व्यवस्था की गई। मेडिकल कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था खण्ड संदर्भ प्रभारी के द्वारा की गई और इन्हें इस कार्यक्रम हेतु दस हजार रू. की राशि अग्रिम दी गई ताकि व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं आये।

खण्ड सन्दर्भ केन्द्र प्रभारियों ने चार-चार काउन्टर लगवाये ताकि विकलांगता के अनुसार (अन्धता, गूंगे व बहरे, मानसिक विमंदता एवं शारीरिक विकलांगता (हड्डी)) इन चारों काउन्टरों पर अलग-अलग रजिस्ट्रेशन करवाया जा सके। एक काउन्टर अलग से चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं दैनिक भत्ता के वितरण हेतु लगाया गया। इस कार्य में संकुल केन्द्र प्रभारियों का अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हुआ। गर्मी चरम सीमा पर थी, अतः छाया एवं शुद्ध तथा स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था आसान से की गई।

7.4.5 विकलांगता का प्रकार व असेसमेन्ट :–

सीकर जिले में बाल गणना गई , जून 2001 में सम्पन्न की गयी थी। इसके आधार पर विकलांग बच्चों की कुल संख्या 4507 चिन्हित की गयी थी । आगामी वर्षों में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान यथा–दृष्टि विकलांगता , श्रवण एवं वाणी विकलांगता , अस्थि विकार विकलांगता , मानसिक मन्दता , अधिगम मन्दता वाले छात्र–छात्राओं का परीक्षण डाक्टरों की एक टीम द्वारा कराये जाने का प्रस्ताव है । उपरोक्त विभिन्न प्रकार के विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा योजना उनकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार की जायेगी व उनके लिए उपकरण आदि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 1200/– प्रति बालक बालिका की दर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी । सत्र 2003–04 में 502 बच्चों को प्रति ईकाई लागत 0.012 के हिसाब से 6.024 लाख का प्रावधान है। सत्र 2007 तक कुल 5336 बच्चों पर 64.032 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।

विकलांग बालक बालिकाओं की स्थिति

कक्षा	नामांकन		योग
	बालक	बालिका	
कक्षा 6 से 8 तक	322	180	502

7.4.6 शिक्षकों का आमुखीकरण प्रशिक्षण :–

डीपीईपी के अन्तर्गत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु विकसित ट्रेनिंग माड्यूलों को सीकर जिले में भी शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अपनाया जायेगा । अक्षम बच्चों की शिक्षा के लिए समुदाय , परिवार एवं अध्यापकों का संवेदीकरण आवश्यक है। और संवेदीकरण हेतु सबसे पहला बिन्दु दृष्टिकोण परिवर्तन का है । अक्षम बच्चों के लिए सहानुभूति तो सभी दिखाते है, जबकि वास्तव में इन्हें सहायता की आवश्यकता होती है । उनकी सक्षमताओं को और विकसित करने के लिए शिक्षकों को इस हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान भी इस परियोजना में रखा गया है ।

7.4.7 अध्यापकों का सेवारत् प्रशिक्षण :-

अध्यापकों के सेवारत् प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने की विधा पर बल दिया जाएगा । इस हेतु प्रशिक्षण के लिए विकसित माड्यूल और सामग्रियों में निम्नलिखित पक्षों का समावेश किया जायेगा :-

- विकलांगता वाले बच्चों का कार्यात्मक आंकलन ।
- विकलांग बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को समझना ।
- इन बच्चों को समूह शिक्षण के लिए विकसित कराना ।
- कक्षा-कक्ष प्रबन्ध और मूल्यांकन ।
- विकलांग बच्चों, इनके अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को परामर्श देना ।
- विकलांग बच्चों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में अन्य बच्चों में जागरूकता उत्पन्न करना।

7.4.8 छात्र स्वास्थय परीक्षण :-

राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 6-11 आयुवर्ग के छात्र/छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण इस जिले में होता रहा है, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिले है । बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण से बच्चों में पनपने वाली अनेक छोटी/बड़ी बीमारियों की जानकारी उनकी प्रारम्भिक अवस्था में हो जाती है । इन बिमारियों से प्रायः अभिभावक अनभिज्ञ रहते है, बाद में यही बीमारियाँ भयानक रूप ग्रहण कर लेती है । ऐसी स्थिति में बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम अति आवश्यक है । जिला के राजकीय तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 6-11 वर्ग के छात्र-छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक रूप से करावाया जायेगा ।

छात्र स्वास्थ्य परिक्षण के लिए प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम मुख्य चिकित्साधिकारी की देख-रेख में गठित की जायेगी । जो प्रत्येक वर्ष में एक बार 6-14 आयुवर्ग के छात्र-छात्राओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करेगी । स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम विद्यालय के रजिस्टर में संधारित किए जाकर चिन्हित बच्चों को स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से निःशुल्क औषधियां एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु सहयोग लिया जायेगा ।

7.5 अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति /अल्प संख्यकों /निर्धनतम परिवारों के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा

7.5.1 अनुसुचित जाति /अनुसुचित जनजाति/ निर्धनतम परिवारों के निर्धनतम परिवारों के वर्ग के जिले में कुल 5074 बालक एवं 4321 बालिकाएँ शिक्षा आपके द्वार 2001 के अनुसार

विद्यालय से वंचित पाए गए है । इनके लिए वैकल्पिक शिक्षा का प्रावधान तो किया ही गया है , सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 6 से 8 के अध्ययनरत अनुसुचित जाति व जनजाति के बच्चे जो राजकीय विद्यालयों में पढते हैं उनके लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिये 100 रूपये प्रति बालक प्रति वर्ष का प्रावधान रखा है। अनुसुचित जाति व जनजाति के कुल 62400 सम्पूर्ण योजनान्तर्गत 62.400 लाख का प्रावधान है।

7.6 घुमक्कड़ परिवारों के बालक/बालिकाओं हेतु शिक्षा :-

जिले में बागरिया , रेबारी , गाड़िया लुहार , सांटिए तथा नायक जाति के परिवार अपने पशुधन को चराने , रोजी-रोटी कमाने हेतु वर्ष पर्यन्त एक जिले से दूसरे जिले में घूमते रहते है । इस कारण इनके बच्चों को भी इनके साथ रहना पड़ता है । फलस्वरूप शिक्षा से इनका जुड़ाव संभव नहीं हो सकता है । इन परिवारों के बालक/बालिकाओं के लिए भी सर्व शिक्षा अभियान में पृथक से प्रावधान रखा गया है ।

ऐसे बालकों को चिन्हित कर , जहां 10-15 बच्चें एक साथ तथा कम से कम एक माह तक उपलब्ध हो सकते है , वहॉ आवासीय ब्रिज कोर्स की स्थापना की जाएगी । यहॉ इन बच्चो को निःशुल्क भोजन व आवास की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान से की जाने का प्रावधान है । इन सभी छात्रों को एक-एक एल.जी.सी. (लर्निग ग्रेड कार्ड) प्रदान किए जाएंगे जिनसे यह स्पष्ट होगा कि अमुक छात्र ने इस स्तर की शिक्षा प्राप्त कर ली है । इनको सरकार द्वारा अन्य जिलों में भी मान्यता देने हेतु निवेदन किया जाएगा। ऐसे कोर्स हेतु रू. 100/- प्रति छात्र सर्व शिक्षा अभियान से व्यय होने के अनुमान है ।

7.7 कामकाजी बच्चों के लिए शिक्षा :-

जिले के विभिन्न शहरों में स्टेशनों, गलियों तथा पर्यटक स्थलों से कचरा बीनने वाले बालक/बालिकाओं एवं बचपन से ही परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण धनोपार्जन या मजदूरी में लगे बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने हेतु आवासीय/गैर-आवासीय ब्रिज कोर्स का प्रावधान सर्व शिक्षा अभियान में रखा गया है । ऐसे प्रत्येक ब्रिज कोर्स हेतु 50/- प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय किए जाने का अनुमान है तथा इनमें भी अध्ययनरत सभी छात्रो को एक-एक टी.एल.एम. किट (100/-रू.मूल्य) का दिया जाएगा । एवं इन्हें निःशुल्क भोजन एवं आवास उपलब्ध कराए जाने का सर्व शिक्षा अभियान में प्रावधान रखा गया है ।

अध्याय 8

अनुसंधान मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन

8.1 अनुसंधान एवं मूल्यांकन :-

जिले कि परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए अनुसंधान कार्यो का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रो में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक अनुसंधान आवश्यक है। इस हेतु शिक्षकों तथा परियोजना एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण डाईट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। डाईट की भूमिका मुख्यतः एक्सन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन अनुसंधान परियोजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर उन्हें पूर्ण कराने की होगी। अनुसंधान व मूल्यांकन पर प्रति वर्ष 1400 रूपये का प्रावधान रखा गया है।

8.2 मूल्यांकन व्यवस्था :-

छात्रों के मासिक तथा वार्षिक मूल्यांकन की प्रणाली हेतु जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है। किन्तु उसमें और सुधार के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा सी.आर.सी. स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर ली जावे। यह व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान में अपनाई जाऐंगी और परीक्षा के मूल्यांकन की व्यवस्था डाईट पर की जावेगी। इन परीक्षाओं हेतु प्रश्न पत्र भी डाईट के सहयोग से बनायें जाऐंगे। इसके लिए शिक्षकों को प्रथक से प्रशिक्षण देने का प्रावधान भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत्–व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी।

8.3 परिवीक्षण :-

अकादमिक परिवीक्षण में डाईट, बी.आर.सी., सी.आर.सी. तथा विद्यालय स्तरीय शिक्षा समिति की समेकित भूमिका रहेगी। विद्यालय शिक्षा स्तर समिति की प्रत्येक माह में एक

बैठक आयोजित की जाऐगी, जिसमें शाला में अकादमिक सुधारों संबन्धी विषयों पर चर्चा होगी। यह समिति अपनी प्रत्येक बैठक का प्रतिवेदन सी.आर.सी. के माध्यम से बी.आर.सी. कार्यालय को प्रस्तुत करेगी। बी.आर.सी. कार्यालयों पर इन सभी विद्यालय स्तरीय समितियों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की जाकर इनका समेकित प्रतिवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाऐगा। जिला स्तरीय शिक्षा समिति द्वारा इस संबन्ध में त्रैमासिक एवं अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन राज्य स्तर को प्रस्तुत किया जाऐगा। इस हेतु जिले के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों से व्यापक समन्वयन किया जाकर परिवीक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जायेगा तथा उन्हें भी इस कार्य हेतु आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध करवाने का सर्व शिक्षा अभियान में पृथक से प्रावधान किया गया है । सुपरवीजन व मोनिटरिंग पर प्रति वर्ष प्रति स्कूल 1400 रूपये का प्रावधान रखा गया है।

8.4 प्रबोधन :-

सर्व शिक्षा अभियान में जन–समुदाय पर आधारित प्रबोधन तंत्र व्यवस्था है। इस अभियान में प्रबोधन दो भागों में विभाजित है ।

- शैक्षिक प्रबोधन सूचना तंत्र (ई.एम.आई.एस.)
- योजना प्रबोधन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.)

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर उपरोक्त तीनों सूचना तंत्रों के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर तथा आवश्यक स्टाफ की व्यवस्था का समुचित प्रावधान सर्वशिक्षा अभियान के नियोजन में रखा गया है।

8.4.1 शैक्षिक प्रबोधन सूचना तंत्र :-

जिले में प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर तक प्रत्येक शालाओं से संबन्धित समस्त सुचनाओं को संकलित किया जायेगा। इन सभी सुचनाओं को जिला स्तर पर स्थित " डाईस सॉफ्टवेयर " (जो की " निपा " द्वारा विकसित किया गया है) में संकलित किया जाकर राज्य स्तर को प्रस्तुत किया जाऐगा। इस कार्य में नियोजित तकनिकी स्टॉफ यथा–एम.आई. एस.प्रभारी एवं उसके सहयोगी कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रदान किया जाऐगा ।

8.4.2 योजना प्रबोधन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) :-

गुणवत्ता सर्व शिक्षा अभियान का एक मुख्य बिन्दु है। यह सूचना तंत्र कार्यक्रम की गुणवत्ता में हुए सुधार की सूचना को संकलित करने का उपयोगी सॉफ्टवेयर है । सर्व शिक्षा

अभियान में सूचना प्रबन्धन तंत्र में जिले स्तर पर दो कम्प्यूटर, एक यू.पी.एस. दो प्रिन्टर तथा ब्लॉक स्तर पर एक कम्प्यूटर, एक प्रिन्टर की व्यवस्था की गई है। एम.आई.एस. स्टॉफ (प्रबंधन सूचना तंत्र स्टाफ) सर्व शिक्षा अभियान में प्रबन्धन सूचना तंत्र को सुदृढ करने के लिए जिले स्तर पर एक प्रबन्धन सूचना तंत्र अधिकारी तथा 2 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा ब्लॉक स्तर पर एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था है ।

8.4.3 वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक साफ्टवेयर नई दिल्ली से तैयार करवाया गया है। राजस्थान प्रथम राज्य है जंहा पर एफ.एम.एस. में वित्तीय प्रबन्धन की सूचना उपलब्ध है। इससे कैशबुक, लेजर, जनरल वाउचर सभी रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसे ही सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत काम में लिया जायेगा।

8.4.4 निधि का हस्तान्तरण (फ्लो आफ फन्डस) :-

प्रतिवर्ष फरवरी में आगामी वर्ष के लिये बजट राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद जयपुर को प्रस्तुत किया जायेगा। वह नई दिल्ली से अनुमोदन के पश्चात राज्य कार्यालय से पारित कर जिला कार्यालय को पेश किया जायेगा। जिले से प्रशिक्षण, अकादिमक, पर्यवेक्षण तथा गुणवत्ता कार्यक्रमों हेतु पैसा बीआरसीएफ को दिया जायेगा एवं निर्माण कार्य हेतु विद्यालय प्रबन्धन समितियों को सीधा रेखांकित चैक द्वारा दिया जायेगा। साथ ही प्रत्येक प्रकार के विद्यालय को एसएफजी और टीएलएम का पैसा भी दिया जायेगा। साथ ही वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जायेगी। जिले में प्रोजेक्ट का बचत खाता खुला हुआ है उसी में धन राशि जमा रहेगी।

कार्यकारी समिति जिसका अध्यक्ष जिला कलक्टर है उनके एवं डीपीसी के संयुक्त हस्ताक्षरों से 25000/- रू. से अधिक धनराशि के चैक जारी किये जा सकेंगे।

राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी लेखा एवं वित्तीय नियमों की संदर्शिका जारी हो चुकी है। उसी के अनुसार कार्य किया जायेगा। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी संदर्शिका में दर्शाये गये है। इस परियोजना में भी वही नियम लागू होंगे। जिले में प्रत्येक विद्यालय की एस.एम.सी. बनी हुई है जिसका बैंक में खाता खुला हुआ है। राज्य से त्रैमासिक आधार पर फण्ड रिलीज होंगे। फण्ड फ्लो चार्ट –

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय

↓

1. बी.आर.सी.
2. सी.आर.सी.
3. विद्यालय प्रबन्धन समिति
4. अध्यापक
5. स्वयं सेवी संस्थाएं

8.4.5 सम्प्रेषण व्यवस्था (ऑडिट) :-

सर्वशिक्षा अभियान में डीपीईपी योजना की भांति त्रैमासिक सी.ए. की आडिट होगी। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन राज्य कार्यालय द्वारा होगा वही टर्म्स ऑफ रिफरैन्स फार आडिट का निर्धारण करेगी। राजस्थान राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान के समस्त जिलों के लेखे जोखों का सम्प्रेषण (ऑडिट) महालेखाकार द्वारा भी किया जायेगा। राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा भी आन्तरिक ऑडिट की व्यवस्था रहेगी।

8.5 शैक्षिक नवाचार :-

सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की समयबद्ध योजना है जो शिक्षा के गुणात्मक सुधार की सुनिश्चितता करता है। अभियान के विभिन्न कार्य क्षेत्र में नवाचार करने का प्रावधान है जिसके माध्यम से सकरात्मक सोच एवं गुणात्मक सुधार किये जा सके इसके लिये प्रति वर्ष 50.00 लाख रुपये का प्रावधान है परियोजना अवधि में कुल राशि 200.00 लाख रखी गई है।

जिला परियोजना कार्यालय का प्रबंधकीय ढांचा :-

जिला परियोजना कार्यालय (डीपीओ)

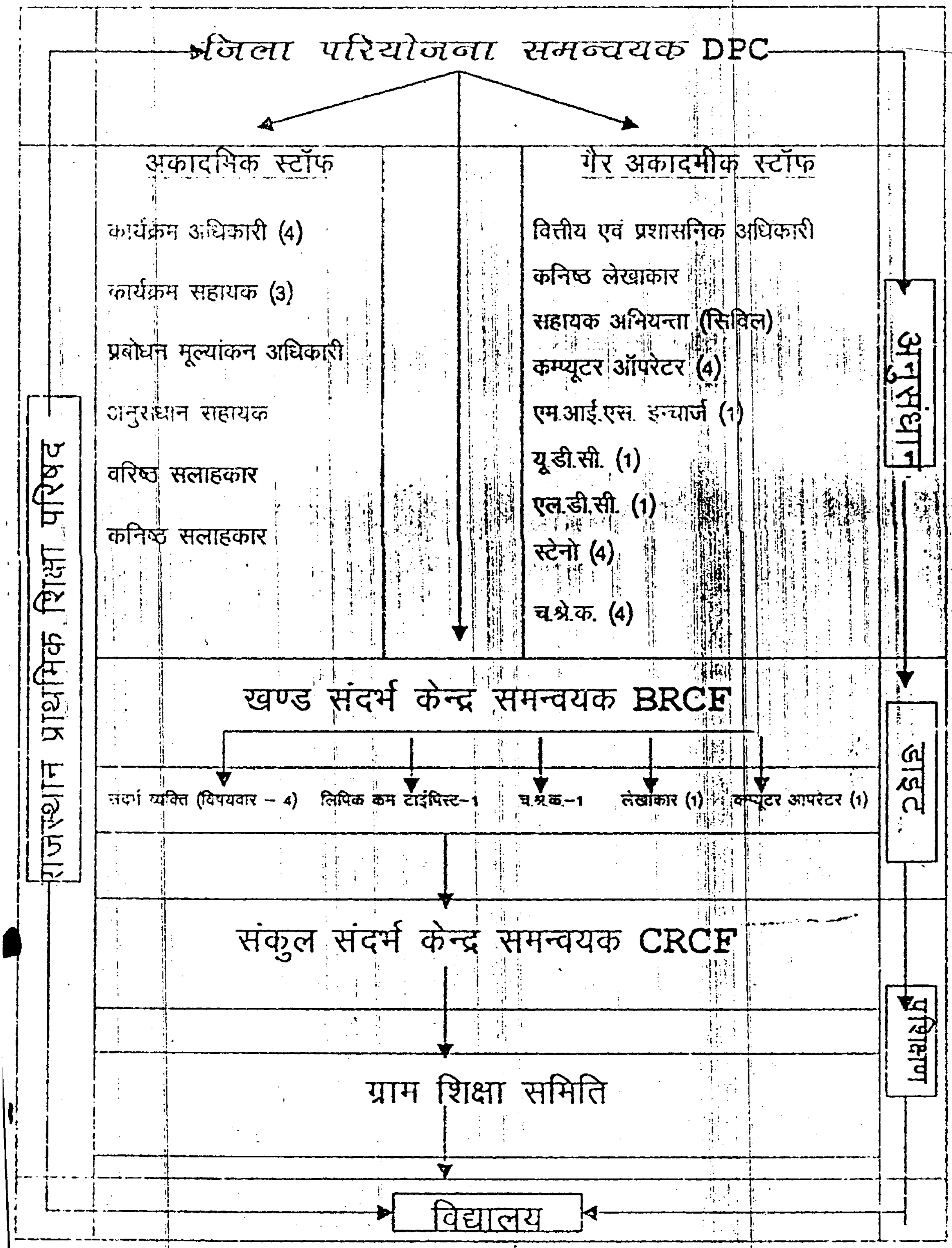

प्रबन्धन एवं संस्थाओं का क्षमता

9.1 भूमिका :-

प्रबंधन शब्द का संबंध केवल औद्योगिक क्षेत्र से ही नहीं वरन् शिक्षा के क्षेत्र में भी इसको प्रचूर उपयोग में लाया जा रहा है। प्रबंधन लक्ष्यों को अर्जित करने का प्रभावी माध्यम है। प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में बालक को पूर्णतः शिक्षार्थी के रूप में ही प्रतिस्थापित नहीं करता वरन् बालक में सद्वृतियों का विकास कर अच्छे नागरिक का निर्माण करता है । वास्तव में समुदाय भी अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता महसूस करता है , ताकि विद्यालय की संपूर्ण गतिविधियां बालक के सर्वतोन्मुखी विकास में सहायक बन सके । प्रबंधन में तीन तथ्य महत्वपूर्ण है :-

- उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण ।
- पर्याप्त संसाधन (शिक्षक,शिक्षण विधाएं ,भौतिक संसाधन ,खेल मैदान , प्रयोगशाला , पुस्तकालय) तथा उनका उपयोग ।
- सभी गतिविधियों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन। प्रबंधन न केवल उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संसाधन उपलब्ध करता है अपितु लक्ष्यों के अर्जन हेतु कार्मिकों के कार्यो का परिवीक्षण कर यथा स्थान निर्देशन व सुझाव देकर व्याप्त कमजोरियों को दूर करने का कार्य भी करता है । सर्व शिक्षा अभियान में भी विभिन्न स्तरों पर परिवीक्षण की समुचित व्यूह रचना की गई है ।

9.2 जिला स्तरीय कार्यालय पर प्रबन्धन :-

सर्व शिक्षा अभियान के सफल कियान्दयन हेतु जिला स्तरीय कार्यालय में सारणी सं. 9.1 में दर्शायें अधिकारी / कर्मचारी उनके सन्मुख अंकित संख्या तथा वेतनमान में नियोजित किए जाएंगे । ये अधिकारी या तो राजकीय विभागों से प्रतिनियुक्ति पर लिए जाऐगें अथवा संविदा पर लगाए जाऐंगे । इस कार्यालय को और अधिक अधिकार युक्त बनाया जायेगा जिसमें 2

यन्त्र और उपकरण व 5 कम्प्यूटर मय आपरेटर, फर्नीचर व 50 हजार रुपये की आकस्मिक राशि का प्रावधान रखा गया है।

तालिका-5 जिला स्तरीय प्रबंधन

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	वेतनमान	प्रतिनियुक्ति / संविदा
1	जिला परियोजना समन्वयक	1	9000–14400	प्रतिनियुक्ति
2	सहायक परियोजना समन्वयक	4	8000–13500	प्रतिनियुक्ति
3	सहायक अभियन्ता	1	8000–13500	प्रतिनियुक्ति
4	सहायक लेखाधिकारी	1	6500–10500	प्रतिनियुक्ति
5	कार्यक्रम सहायक	3	6500–10500	प्रतिनियुक्ति
6	लेखाकार	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति
7	केशियर कम स्टोर कीपर	1	4000–6000	प्रतिनियुक्ति
8	एल.डी.सी.	1	4000–6000	प्रतिनियुक्ति
9	कनिष्ठ अभियन्ता	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति
10	एम.आइ.एस.प्रभारी	1	7000/प्रति माह	संविदा
11	प्रोग्रामर कम ऑपरेटर	4	5000/–प्रति माह	संविदा
12	सहायक कर्मचारी	3	2500/–प्रति माह	संविदा
13	चौकीदार	1	2500/:प्रति माह	संविदा

9.3 खण्ड संदर्भ केन्द्र :-

जिले के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर इस परियोजना के अन्तर्गत खंड संदर्भ केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। इस केन्द्र का प्रभारी खण्ड संदर्भ केन्द्र सहयोगी होगा जो कि राज्य शिक्षा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा। खण्ड स्तरीय कार्यालय में निम्नानुसार विभिन्न वर्गों के अधिकारी लगाए जाने का प्रावधान है :-

तालिका-52 ब्लॉक स्तरीय प्रबंधन

क्र.सं	नाम मद	संख्या	वेतनमान	प्रतिनियुक्ति / संविदा
1	खंड संदर्भ केन्द्र सहयोगी	1	8000–13500	प्रतिनियुक्ति से
2	संदर्भ व्यक्ति	3	6500–10500	प्रतिनियुक्ति से
3	लेखाकार	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति से
4	एल.डी.सी.	1	4000–6000	प्रतिनियुक्ति से
5	कनिष्ठ अभियंता	1	5500–9000	प्रतिनियुक्ति से
6	डाटा एन्टरी ऑपरेटर	1	4000	संविदा पर
7	सहायक कर्मचारी	1	2500	संविदा पर

खंड संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस परियोजना के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन का उत्तरदायी होगा । ब्लॉक में कार्यरत समस्त संकुल संदर्भ सहयोगियों पर पूर्ण नियंत्रण एवं परिवीक्षण रखेगा । इस हेतु वह सभी संकुल संदर्भ सहयोगियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित करेगा तथा उनसे प्राप्त प्रगति को संकलित कर जिला कार्यालय को अवगत कराएगा । तथा ब्लॉक स्तर एवं संकुल स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण , परिवीक्षण एवं उनकी पर्याप्त मॉनिटरिंग रखेगा । ब्लॉक संदर्भ सहयोगी ब्लॉक स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभागों के अधिकारियों से तथा ब्लॉक शिक्षा (प्रारम्भिक) अधिकारी से पूर्ण समन्वय रखेगा । ब्लॉक संदर्भ सहयोगी ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होने के नाते इस समिति के सभी क्रियाकलाप उसके द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे । तथा समय–समय पर जिला स्तर से आयोजित बैठकों में ब्लॉक स्तर का प्रतिनिधित्व करेगा ।

सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के अभिनवन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगा तथा उनकी सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करेगा ।

९.४ संकुल संदर्भ केन्द्र :-

डीपीईपी. योजना में कार्यरत सीआरसीएफ ही संकुल स्तरीय कार्यक्रमों का मूल्यांकन एवं प्रबोधन का कार्य करेंगे और अपनी रिपोर्ट सीआरसीएफ के साथ बीईईओ. को देंगे। जिले में 115 सीआरसीएफ कार्यरत हैं।

सीआरसीएफ को अतिरिक्त फर्नीचर, कन्टीनजेन्सी, यात्रा भत्ता और टीएलएम. ग्रान्ट का प्रावधान रखा है।

सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्विति में संकुल संदर्भ केन्द्रों की महती भूमिका है। जो एकेडेमिक सपोर्ट का कार्य करेंगे। प्रत्येक ब्लॉक की 2 पंचायतों को मिलाकर एक संकुल की परिकल्पना की गई है । जिसका मुख्यावास 8 किलोमीटर की परिधि में पंचायत मुख्यालय स्थित राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को बनाया गया है । संकुल केन्द्र पर एक कार्यालय तथा एक प्रशिक्षण हॉल का निर्माण कराया गया है । संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस कार्यालय में सप्ताह में 2 दिन आवश्यक रूप से उपस्थिति होगा । संकुल के अधीन आनेवाले सभी प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालय राजीव गाँधी पाठशालाओं एवं शिक्षाकर्मी पाठशालाओं से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण संकुल संदर्भ केन्द्र पर रहेगा । संकुल केन्द्र में प्रत्येक माह में 2 दिवसीय अध्यापक बैठक आयोजित की जाऐगी । उस बैठक में शालाओं से संबधित सभी बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की जाकर भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाऐगी । इन्ही सभागारों में वर्ष में एक बार महिला समूह की बैठक भी आयोजित की जायेगी , जिसमें महिला जागरूकता तथा बालिका शिक्षा के विकास पर जोर दिया जावेगा । अनामांकित बालिकाओं को शाला से जोड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना तथा प्रभावी पर्यवेक्षण कर उनका ठहराव सुनिश्चित करना ही संकुल संदर्भ केन्द्र की स्थापना के प्रमुख लक्ष्य है । डीपीईपी. कार्यक्रम लागू होने के पश्चात जिले में कुल 115 संकुल संदर्भ केन्द्रों की संख्या है।

९.४.१ संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी के कार्य :-

संकुल संदर्भ केन्द्र सहयोगी के कार्य निम्न प्रकार होंगे :-

- सभी विद्यालयों (संकुल परिक्षेत्र में आने वाले) का प्रभावी सम्बलन करेगा तथा रिपोर्ट ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी तथा ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को प्रति माह प्रेषित करेगा ।
- संकुल के अधीन आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों की मासिक बैठक आयोजित करना ।
- जन सहभागिता विकसित करने हेतु सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

- महिला बैठकों का आयोजन करना ।
- सभी विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन कमेटी का नियमानुसार गठन करवाना तथा उनके सदस्यों का प्रशिक्षण करवाना एवं उनकी समय–समय पर बैठकें आयोजित करवाना ।
- ब्लॉक स्तर पर आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा उन्हें इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना ।
- शिक्षकों को सहायक शिक्षण सामग्री की राशी का समुचित उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण देना तथा उसका पूर्ण परिवीक्षण करना ।
- संकुल के अधीन आने वाले सभी विद्यालयों में नामांकन , ठहराव तथा गुणवत्ता पूर्ण आनन्ददायी शिक्षण विधियों की कियान्विति सुनिश्चित करना तथा इसके लिए शिक्षकों को मानसिक रूप से तैयार करना ।
- संकुल स्तर पर चल रहें सभी निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग रखना ।

9.5 जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से बेहतर समन्वयन :-

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) जिला स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं उन्नयन हेतु कार्यरत हैं । जिसके अधीन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, अवर जिला शिक्षाधिकारी तथा संस्थापन व लेखा संबंधी कार्मिक कार्यरत है। ब्लॉक स्तर पर विकास अधिकारी के अधीन अतिरिक्त विकास अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) तथा अवर विद्यालय निरीक्षक कार्यरत है जिन पर ब्लॉक की प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था एवं परिवीक्षण का दायित्व हैं । जिला एवं ब्लॉक कार्यालयों से समन्वयन का दायित्व जिला परियोजना समन्वयक का हैं । इस प्रकार विभागीय अधिकारियों से बेहतर समन्वय स्थापित किया जाकर एवं परिवीक्षण हेतु उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाये जाऐंगे । इससे विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का शालाओं में बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा ।

9.5.1 जिला प्रा.शि.कार्यालय का सुदृढीकरण :-

जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रभारी अधिकारी की भूमिका निर्वाह करेंगे अभियान को गति देने के लिये उन्हें संसाधन देने का प्रावधान रखा है जिसमें एक टेलीफोन, एक गाड़ी, उपकरण हेतु 1.00 लाख रूपये तथा कम्प्यूटर मय आपरेटर के लिये ९४ हजार एवं रैकरिंग बजट 20 हजार रूपये प्रति वर्ष देने का प्रावधान है तथा अपेक्षा की गई है कि अभियान के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग में विभिन्न स्तरों पर सहयोग तथा वांछित सूचना समय पर उपलब्ध करवाना। जिला स्तर पर

विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में आपसी तालमेल स्थापित करना एवं सर्व शिक्षा अभियान में सहयोग देना।

9.5.2 ब्लाक प्रा.शि.कार्यालय का सुदृढीकरण :-

सर्व शिक्षा अभियान में ब्लाक प्रा.शि. अधिकारी, खण्ड सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी का प्रशासनिक अधिकारी होगा और बीआरसीएफ को अपनी समस्त सूचनायें एवं प्रगति से बी.ई.ई.ओ. को अवगत कराना होगा। इस कार्यालय को मजबूती प्रदान करने के लिये उपकरण के लिये 85 हजार रूपये प्रति ब्लाक का प्रावधान रखा गया है साथ ही 12 हजार रूपयें प्रति माह की दर से एक वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही 10 हजार रूपये आवर्तक राशि प्रति वर्ष प्रति ब्लाक उपलब्ध कराई जायेगी साथ ही एक कम्प्यूटर मय आपरेटर प्रति ब्लाक प्रति वर्ष रखे जाने का प्रावधान है जिस पर योजना अवधि में 26.88 लाख रूपये रखे जाने का प्रावधान है।

9.6 कार्यकारी परिषद् :-

सर्व शिक्षा अभियान के सीकर जिले में कियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद् का गठन किया गया है । यह परिषद् शासकीय परिषद् द्वारा विर्निदिष्ट प्राथमिकताओं एवं सर्व शिक्षा अभियान की अनुमोदित कार्य योजना अनुसार कार्य संचालन हेतु जिला परियोजना समन्वयक को निर्देशित करेगी तथा जिला परियोजना समन्वयक द्वारा किए गए कार्यो की सर्वागीण समीक्षा करेगी । इस परिषद् की बैठक प्रत्येक त्रिमाही में एक बार होगी , जिला परियोजना समन्वयक इस परिषद् का सदस्य सचिव होगा तथा अन्य जिला स्तरीय गण , जिनका विवरण निम्नानुसार है , इस परिषद् के सदस्य होगे :–

1. जिला कलेक्टर सीकर – अध्यक्ष
2. जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. सीकर – सदस्य सचिव
3. अति. जिला कलेक्टर (विकास) सीकर – सदस्य
4. अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर – सदस्य
5. उपखण्ड अधिकारी(समस्त) – सदस्य
6. विकास अधिकारी (समस्त) – सदस्य
7. उप निदेशक महिला एंव बाल विकास सीकर – सदस्य
8. अधीक्षण अभियन्ता , समिति सीकर – सदस्य
9. अधीक्षण अभियन्ता , ज.स्वा.अभियन्ता विकास सीकर – सदस्य
10. प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीकर – सदस्य
11. जिला समाज कल्याण अधिकारी सीकर – सदस्य

12. प्राचार्य , डाईट .सीकर — सदस्य
13. सचिव , जिला साक्षरता समिति सीकर — सदस्य
14. दो प्रगतिशील एवं समाज सेवी महिलाएं — सदस्य
15. शिक्षक संगठनों के दो मनोनीत पदाधिकारी — सदस्य
16. डीपीईपी. के जिला स्तरीय अधिकारी सीकर — सदस्य
17. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी (समस्त) , डीपीईपी. — सदस्य

9.7 शासकीय परिषद् :-

सर्व शिक्षा अभियान के सीकर जिले में क्रियान्विति की प्राथमिकताएं तय करने , इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कार्यों की सर्वांगीण समीक्षा करने हेतु जिला प्रमुख, सीकर की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद् का गठन किया गया है । इस परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी । जिला परियोजना समन्वयक , डीपीईपी. , सीकर इस परिषद् के सदस्य सचिव होंगे । परिषद् के अन्य सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

1. जिला प्रमुख , जिला परिषद् सीकर — अध्यक्ष
2. सांसद, सीकर — सदस्य
3. समस्त विधायक गण, जिला सीकर — सदस्य
4. जिला कलेक्टर,, सीकर — सदस्य
5. अतिरिक्त जिला कलेक्टर (विकास) सीकर — सदस्य
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सीकर — सदस्य
7. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला सीकर — सदस्य
8. जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी , सीकर । — सदस्य
9. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान , सीकर — सदस्य
10. उप निदेशक , महिला एवं बाल विकास विभाग , सीकर । — सदस्य
11. अधिक्षण अभियन्ता , सा.नि.वि. , सीकर । — सदस्य
12. अधिक्षण अभियन्ता , ज.स्वा.अभि.वि. सीकर । — सदस्य
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी सीकर । — सदस्य
14. जिला समाज कल्याण अधिकारी सीकर । — सदस्य
15. सचिव , जिला साक्षरता समिति सीकर । — सदस्य
16. शिक्षक संगठनों के सदस्य (2 सदस्य) । — सदस्य
17. समाज सेवी एवं प्रगतिशील महिलाएं । (2 सदस्य) — सदस्य

18. दो सेवा निवृत शिक्षक । — सदस्य
19. जिला परियोजना समन्वयक, डी.पी.ई.पी. सीकर । — सदस्य सचिव

९.8 जिला संदर्भ समूह :-

सीकर जिले में सर्व शिक्षा अभियान की सफल क्रियान्विति हेतु जिला संदर्भ समूह का गठन योजना मे किया गया है । इस समूह में विभिन्न क्षैत्रों के यथा-निर्माण कार्य, औपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा, लिंग-संवेदनशीलता एवं सामुदायिक गतिशीलता के विशेषज्ञ होंगे । जिला संदर्भ समूह को उपरोक्तानुसार 4 संदर्भ समूहो में विभाजित किया गया है । प्रत्येक समूह में संबधित क्षैत्र का विशेषज्ञ, समाज के प्रगतिशील एवं समाजसेवी पुरुष या महिलाएं तथा शिक्षक समुदाय से संबन्धित प्रतिनिधी सदस्य होंगे । प्रत्येक संदर्भ समूह की मासिक बैठक निश्चित होगी । इस बैठक में परियोजना के तहत किए गए कार्यो की प्रगति की समीक्षा एवं भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाऐगी ।

९.९ ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न स्तरों पर मॉनिटरिंग एवं समीक्षा हेतु जिला स्तरीय शासकीय परिषद् द्वारा विभिन्न स्तरों पर समितियाँ गठन करने का प्रावधान किया गया है । इसी क्रम में ब्लॉक स्तरीय शिक्षा समिति भी ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा की क्रियान्विति हेतु गठित की गई है । यह समिति प्रत्येक त्रैमासिकी में एक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन करेगी । संबधित ब्लॉक का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी इस समिति का सदस्य सचिव होगा। इस समिति के सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार है ।

1. प्रधान पंचायत समिति — अध्यक्ष
2. विकास अधिकारी — सदस्य
3. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य
4. शिक्षा प्रसार अधिकारी — सदस्य
5. महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी — सदस्य
6. प्राचार्य,रा.सी.उ.मा.वि.(ब्लॉक मुख्यालय) — सदस्य
7. चिकित्सा अधिकारी (मुख्यालय) — सदस्य
8. दो उत्साही एवं प्रगतिशील सरपंच — सदस्य
9. शिक्षक संघ के पदाधिकारी (दो) — सदस्य
10. समाज सेवी महिलाएं (दो) — सदस्य

11. सेवा निवृत अध्यापक (दो) – सदस्य
12. ब्लॉक संदर्भ केन्द्र सहयोगी ,डीपीईपी. – सदस्य सचिव

9.10 शाला प्रबंधन समिति { एस.एम.सी. } :-

शाला प्रबंधन कमेटी का गठन भी सर्व शिक्षा अभियान को जन सहभागिता से जोड़ने के काफी मदद् गार है । इस कमेटी की परिकल्पना शाला के भौतिक एवं शैक्षिक वातावरण के निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करती है। कमेटी का गठन ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा द्वारा किया जाता है । जिसके सदस्य निम्न प्रकार होते है :-

1. सरपंच / संबधित वार्ड का निर्वाचित वार्ड पंच – अध्यक्ष
   (अगर विद्यालय ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न हो तो)
2. दो सेवा निवृत राजकीय कर्मचारी – सदस्य
3. संबंधित संकुल केन्द्र सहयोगी – सदस्य
4. ग्राम सेवक – सदस्य
5. पटवारी – सदस्य
6. ए.एन.एम./ महिला शिक्षक – सदस्य
7. दो महिला अभिभावक – सदस्य
8. दो पुरूष अभिभावक – सदस्य
9. एक–एक प्रतिनिधि (समाज के कमजोर वर्ग से) – सदस्य
10. शाला के दो अध्यापक – सदस्य
11. शाला प्रधान – सदस्य सचिव

इस समिति की प्रत्येक माह में एक बार बैठक आयोजित की जायेगी । जिसमें विद्यालय में नामांकन की ताजा स्थिति पर विचार विमर्श तथा वंचित बालक/ बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के उपायों पर विस्तृत चर्चा , शाला की भौतिक स्थिति पर विचार विमर्श तथा शिक्षकों के क्रिया कलापों की समीक्षा की जाऐगी । प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण ग्राम सभा में विद्यालय प्रबन्धन समिति के सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा ।

कमेटी शाला के विकास में जनसहयोग एवं जन सहभागिता सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत प्राप्त समस्त प्रकार की राशियों का सही उपयोग सुनिश्चित करेगी ।

9.11 भवन निर्माण समिति :-

विद्यालय स्तर पर गठित विद्यालय प्रबन्ध समिति के पास कार्यभार अधिक होने के कारण विद्यालय में संपादित किए जाने वाले निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन, परिवीक्षण, गुणवता नियंत्रण, सामग्री आपूर्ति व्यवस्था, सामाजिक अंकेक्षण तथा लेखा संधारण हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भवन निर्माण समिति के गठन का प्रावधान रखा गया है। प्रत्यक्षतः यह समिति विद्यालय प्रबन्ध समिति की ही एक उप-समिति होगी। इस समिति के दो सदस्य अध्यक्ष एवं सचिव विद्यालय प्रबंध समिति के ही अध्यक्ष एवं सचिव होंगे। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

1. शाला प्रबंध समिति का अध्यक्ष — अध्यक्ष
2. शाला प्रबंध समिति का सचिव — सदस्य सचिव
3. एक कुशल कारीगर — सदस्य
4. शाला का एक अध्यापक — सदस्य
5. दो अभिभावक (एक महिला, एक पुरुष) — सदस्य
6. ग्राम सेवक — सदस्य

यह समिति विद्यालय में समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों के प्रति पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगी तथा ब्लॉक स्तरीय कनिष्ठ अभियंता के निर्देशन में कार्य करेगी।

भवन रख-रखावः-

सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय विद्यालयों के भवनों के रख-रखाव के लिए 5000 रू. प्रति वर्ष प्रति विद्यालय का प्रावधान रखा गया है।

क्र.सं.	विद्यालयों की सं.	यूनिट	कुल लागत
1	1536	5000	7680000

9.12 कोष-प्रवाह :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 75% राशी केन्द्र सरकार एवं 25% राशी राज्य सरकार द्वारा नियोजन संबन्धित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राज्य क्रियान्वयन समिति के खाते में आवंटित कराई जाएगी। इसके बाद तद्नुरूप वार्षिक कार्य योजना के अनुमोदन के पश्चात् राज्य स्तरीय परियोजना कार्यालय द्वारा जिला स्तरीय परियोजना कार्यालय के बैंक-खाते में राशि - स्थानांतरित कर दी जाएगी। जिला स्तर पर इस परियोजना का बैंक में खाता खोला जाएगा जो कि जिला कलेक्टर, जिला परियोजना समन्वयक एवं सहायक

द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना के अनुरूप ब्लॉक स्तरीय कार्यालय के खाते में प्रथम किश्त की राशि स्थानांतरित कर दी जाएगी । ब्लॉक-स्तरीय कार्यालय के माध्यम से ही अनुमोदित एवं स्वीकृत मदों के अनुसार ही संकुल संदर्भ कार्यालय एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति को 15 दिवस के भीतर उक्त राशि का स्थानांतरण किया जाएगा । परियोजना की लेखा संबंधी आवधारणा के अनुसार ही प्रथम किश्त के उपयोग संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही द्वितीय किश्त का स्थानांतरण विभिन्न स्तरों से उक्तानुसार किए जाने का प्रावधान रखा गया है ।

इस प्रकार प्राप्त राशि के सही उपयोग को विभिन्न स्तरों पर कुशल मॉनिटरिंग , परिवीक्षण एवं लेखा नियंत्रण से सुनिश्चित किया जाएगा ।

अध्याय – 10

निर्माण कार्य – सर्व शिक्षा अभियान

10.1 भूमिका :–

यह कार्य भवनहीन विद्यालय, कक्षाकक्षों की कमी व अनामांकित बालक, बालिकाओं हेतु शिक्षा हेतु बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका प्लान बनाने की प्रक्रिया में निम्न लिखित समस्याऐं मुख्य रूप से उभर कर सामने आयी है जिसमें जन सहभागिता की कमी व अन्य इच्च प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में बाधा रही है।

1. विद्यालयों में भवन नहीं होने से अध्यापन में बाधा होती है।
2. अतिरिक्त कक्षा कक्ष, बालक/बालिकाओं के अनुपात में कमी।
3. छोटे गांव व छोटी–छोटी ढाणियों की विद्यालय से करीब 1.5 किमी की दूरी पर होती है। इस क्षेत्र की जनसंख्या सघनता 250 से अधिक है।
4. विद्यालय छात्र–छात्राओं की पेयजल सुविधा से वंचित है।
5. विद्यालय छात्र–छात्राओं के लिए शौचालय आदि से रहित है।
6. खण्ड स्तर पर कोई अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण संस्था नहीं है।
7. संकुल स्तर पर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा स्तर की देखभाल हेतु कोई कार्यरत संस्था नहीं है।
8. विद्यालयों में विद्यालय व छात्र–छात्राओं की सुरक्षा हेतु चारदीवारी नहीं है। प्रति वर्ष एक मुश्त राशि 50,00,000/– जिले के लिये निर्धारित है।

उक्त समस्याओं के निवारण हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है। सर्वशिक्षा अभियान बजट में से 33 प्रतिशत बजट शिक्षा संदर्भ में समस्याओं के निवारण हेतु रखा गया है। अन्य अतिरिक्त कार्य सरकार की अन्य कार्यक्रमों के द्वारा/अन्य योजनाओं के द्वारा करवाये जावेंगे।

उक्त योजना में भवन निर्माण हर स्तर पर जन सहभागिता से करवाना सुनिश्चित कर करवाया जावेगा। समस्त निर्माण कार्य, विद्यालय की शाला प्रबन्धन समिति व खण्ड स्तर पर भवन निर्माण कमेटी द्वारा खण्ड, संदर्भ केन्द्र व गांव स्तर पर करवाये जावेंगे। तकनीकी

स्टॉफ निर्माण कार्यो का निरीक्षण व महत्वपूर्ण सुझाव हर स्तर पर शाला प्रबन्धन कमेटी व भवन निर्माण कमेटी को उपलब्ध करवायेगे।

10.2 विद्यालय भवन :-

जिस गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन नहीं है वहां पर पॉच कमरों/ प्राथमिक विद्यालय में तीन कमरों का भवन एस.एम.सी. द्वारा बनवाया जायेगा जिसकी इकाई लागत 3.60 लाख होगी। जो 82 प्राथमिक विद्यालय 2003–04 में उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किये जायेगें उनके भवन निर्माण हेतु 104.960 लाख रूपये का सम्पूर्ण योजनान्तर्गत प्रावधान किया गया है। निर्माण कार्य शाला प्रबन्धन समिति की देखरेख में होगा।

योजनान्तर्गत 276 राजीव गॉधी पाठशाला/ वैकल्पिक विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय का दर्जा दिया जायेगा एवं उनका तीन कमरों का भवन बनाने के लिये 720.000 लाख रूपये का प्रावधान है।

1. शाला प्रबन्धन समिति का सचिव व अध्यक्ष द्वारा निर्माण से पूर्व अनुबन्ध पत्र देगा एवं सचिव कार्य का लेखा जोखा तैयार करेगा।
2. निर्माण कार्य का स्वीकृत नक्शे के अनुसार कनिष्ठ अभियंता मखमीना तैयार करेगा।
3. कनिष्ठ अभियंता द्वारा कार्य की गुणवता का मूल्यांकन करेगा।
4. निर्माण कार्य जन सहभागिता से करवाये जावेगे।
5. ग्रामीण शिक्षा कमेटी निर्माण कार्य के लिए सीन का निर्धारण करेगी और सरकारी भूमि को वरियता देगी।
6. निर्माण कार्य (विद्यालय) सीन स्वस्थ वातावरण एवं स्थानीयता के अनुसार करेगी।
7. विद्यालय निर्माण स्थल शिक्षा से वंचित अनामांकित बच्चों की संख्या के अनुसार होगा।
8. विद्यालय निर्माण स्थल सड़क के पास व सभी के लिए पहुंच वाला होगा।
9. विद्यालय में खेलकूद सुविधा हेतु स्थान उपलब्ध करवाया जावेगा।
10. विद्यालय हेतु करीब कम से कम 5000 वर्ग मीटर स्थान का उपयोग किया जावेगा।
11. विद्यालय भवन हेतु स्थान का चयन कनिष्ठ अभियंता की स्वीकृति के अनुसार होगा।

जिले में जिन विद्यालयों में विद्यालय भवन सुविधा उपलब्ध नही है इसलिए विद्यालयों के लिए विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया जावेगा। विद्यालय भवन तीन कमरे मय बरामदा व दो कमरे मय बराबदा का निर्माण किया जावेगा। शेष कक्षाकक्षों का निर्माण सरकारी, परिवर्तित योजना व जन सहभागिता से निर्मित करवाये जावेगे।

तालिका– 54

विद्यालय भवन	लागत राशि		
तीन कमरे मय बरामदा	3.60 लाख	विद्यालय भवन 200	720.000 लाख
कुल राशि			
दो कमरे मय बरामदा	2.56 लाख	विद्यालय भवन 41	104.960 लाख

10.3 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष :-

जिले के ...930.........विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों का अभाव है। जिससे शिक्षा अध्यापन में अवरोध उत्पन्न होता है एवं अतिरिक्त कक्षा कक्ष नहीं होने से छात्र–छात्राओं का ठहराव अनियंत्रित रहता है व ठहराव में कमी होती रहती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 80 विद्यालयों में एच.एम. के लिये अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण करवाया जावेगा। जिन विद्यालयों में नामांकन अधिक है व कक्षा कक्ष कम है उन विद्यालयों में ९ वर्ग फुट प्रति छात्र अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण किया जावेगा।

10.4 शौचालय :-

जिले के ...700.........विद्यालयों में छात्र–छात्रओं के लिए शौचालय एवं मूत्रालय सुविधा नहीं है। जिसके कारण विद्यालयों में छात्र–छात्राओं को असुविधा होती है एवं बालिकाओं का ठहराव पूर्णतया नहीं रह पाता है। जिन विद्यालयों में एक शौचालय एवं मूत्रालय है उन विद्यालयों में छात्राओं को असुविधा होती है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिन विद्यालयों में शौचालय सुविधा नहीं है। उन विद्यालयों में छात्रो के लिए व छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय व मूत्रालय सुविधा का निर्माण किया जावेगा एवं जिन विद्यालयों में एक शौचालय है, उन विद्यालयों में छात्राओं के लिये अलग शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण किया जावेगा।

10.5 पेयजल सुविधा :-

जिले के ..600....... विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है। जिन विद्यालयों में पेयजल सुविधा नहीं है उन विद्यालयों में छात्र–छात्राओं का नामांकन प्रभावित होता है एवं छात्र–छात्राओं के ठहराव में कमी आती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिन विद्यालयों के आस–पास जल स्त्रोत उपलब्ध है। उनसे पानी की टंकी मय कनेक्शन का निर्माण किया जावेगा एवं जिन विद्यालयों के आस–पास जल स्त्रोत नही है उन विद्यालयों में हेण्डपम्प निर्माण करवाया जा कर पेयजल सुविधा करवाई जावेगी।

10.6 खण्ड संदर्भ केन्द्र भवन निर्माण :-

जिले में समस्त आठ खण्ड सन्दर्भ केन्द्रों का निर्माण डीपीईपी योजनान्तर्गत किया जा चुका है।

10.7 संकुल संदर्भ केन्द्र भवन निर्माण :-

जिले में 115 संकुल संदर्भ केन्द्रों का निर्माण हो चुका है

10.8 पूर्व प्राथमिक शिक्षा केन्द्र :-

जिले में अनामांकित बालक/ बालिकाओं को अपने परिवार के शिशु की संभाल में उनके माता-पिता द्वारा घर रख लिया जाता है। जिस कारण 6-14 आयु वर्ग के बालक/ बालिकाऐं अनामांकित रह कर शिक्षा से वंचित रह जाते है। ऐसे बालक/ बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय परिसर में ही शिशु संभाल एवं शिक्षण केन्द्रों का निर्माण किया जावेगा।

10.9 चारदीवारी निर्माण :-

जिले के लिये 200 लाख रूपये विद्यालय चार दीवारी हेतु प्रावधान रखा गया है। विहीन है एवं विद्यालयों के छात्र, छात्राएं एवं विद्यालयों के खिड़की दरवाजे व सामान सुरक्षित नहीं रहता एवं विद्यालय भवनों को समाज कंटकों द्वारा हानि पहुंचाई जा रही है।

10.10 माईनर रिपेयर :-

जिले में 52 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की माईनर रिपेयर का कार्य किया जायेगा जिसके लिये 6.50 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

10.11 मेजर रिपेयर :-

जिले में 289 उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मेजर रिपेयर का कार्य किया जायेगा जिसके लिये 99.75 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

10.12 खेल सुविधाओं का प्रावधान :-

जिले के 850 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में खेल तत्वों का समावेश करने के लिये प्रति विद्यालय 25 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें विद्यालयों के लिये फिसल पट्टी, झूला एवं श्याम पट्टो का निर्माण किया जायेगा जिसके लिये कुल 568.50 लाख रूपये का प्रावधान है।

10.13 रेम्पस :-

200 विद्यालयों में निशक्तजनों हेतु 20 हजार रूपये की लागत से 40 लाख रूपये व्यय किये गये।

अध्याय - 11

परियोजना लागत अनुमान

समस्त परियोजनाओं की तरह सर्व शिक्षा अभियान में भी इस अध्याय का महत्वपूर्ण स्थान है इस अध्याय में विभिन्न गतिविधियों की लागत राशि की गणना कर परियोजना की कुल लागत का आंकलन किया गया है किसी भी गतिविधि की कुल लागत निकालने के लिये सबसे पहले इकाई लागत अथवा यूनिट लागत निश्चित की जाती है। यूनिट लागत से तात्पर्य सबसे छोटे रूप में की जाने वाली क्रिया/गतिविधि तथा उसकी वित्तीय लागत से है। एक बार जब किसी वस्तु अथवा गतिविधि की यूनिट तय जाती है तो हम आसानी से उस प्रकार की समस्त गतिविधियों एवं क्रियाओं की कुल लागत/मूल्य ज्ञात कर सकते हैं।

सर्व शिक्षा अभियान में अनेक शीर्षवार गतिविधिया हैं जिनकी यूनिट लागत से गणना कर कार्यक्रमों की कुल राशि ज्ञात की गई है। इस अध्याय में वर्ष वार सम्पादित होने वाली गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय लागत दर्शायी गई है कुल लागत निकालने के पश्चात निर्माण एवं प्रबन्धन की तय सिलिंग सीमा की भी गणना की गई है परियोजना लागत के अनुमान के आधार पर ही प्रथम वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003-04 निर्मित की गई है। जो कि अगले अध्याय में दिया गया है। इसी के क्रियान्विति के आधार का भी अंतिम अध्याय में विवेचन किया गया है इस प्रकार परियोजना लागत अनुमान केवल गणितीय प्रक्रिया ही नहीं बल्कि लागत लेखा शास्त्र के सिद्धान्त के आधार पर परियोजना की लागत निकालने की प्रक्रिया है आगे दी गई सारणी में सम्पूर्ण परियोजना की विभिन्न गतिविधियों के वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय विस्तार से दर्शायी गई हैं

अध्याय - 12

प्रथम वर्ष की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003-04

इस अध्याय में प्रथम वर्ष 2003-04 हेतु वार्षिक कार्य योजना को दर्शाया गया है। योजना प्रथम वर्ष में आधारभूत ढाँचे को क्रियाशील करने तथा वित्तीय व्यवस्थाओं को जुटाने एवं परियोजना को जिले में लोगों को अवगत कराने के फलस्वरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं। आगामी वर्षो में जैसे-जैसे परियोजना कार्य गतिमान होगा उसी के अनुरूप नई-नई गतिविधियां बढ़े हुये विभिन्न लक्ष्यों के साथ क्रियान्वित की जावेगीं।

इस वर्ष की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है

83 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है इन विद्यालयों हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण प्राथमिक विद्यालय 0.5 लाख से 41.5 लाख तथा 83 प्रधानाध्यापकों का वेतन 99.6 लाख रूपये, 83 अध्यापकों का वेतन 69.72 लाख प्रस्तावित है। 3922 शिक्षकों को TLM राशि के 0.005 लाख से 19.61 लाख देने का प्रावधान रखा गया है। 835 विद्यालयों को विद्यालय अनुदान राशि (SFG) प्रति विद्यालय 0.02 लाख से 16.70 लाख दी जावेगी।

ई.जी.एस. स्कीम के अन्तर्गत 243 राजीव गाँधी पाठशालाओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किया जायेगा। इन 243 विद्यालयों हेतु शिक्षण अधिगम उपकरण राशि 24.3 लाख रूपये वेतन 204.12 लाख प्रस्तावित किये गये हैं तथा 486 पैराटीचर्स के लिये मानदेय 87.48 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

ई.जी.एस. स्कीम के अन्तर्गत विद्यालय नहीं जाने वाले अधिक आयु के बच्चें उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये 200 बच्चों हेतु 2.4 लाख, ए.आई.ई. में नामांकित 200 बच्चो हेतु 6.00 लाख तथा एन.जी.ओ. द्वारा नामांकित 500 बच्चों हेतु 12.675 लाख, 200 माइग्रेटरी बच्चों के लिये 1.69 लाख तथा 300 वर्किंग बच्चों हेतु 2.535 लाख,

ब्रिजकोर्स आवासीय 32 तथा गैर आवासीय 32 शिविरों हेतु 44.8 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

2085 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु 103.44 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

सामुदायिक गतिशीलता की गतिविधियों में 1017 ग्रामों में संचालित करने हेतु 50.85 लाख, जन जागरण सामग्री निर्माण पर 0.2 लाख, 329 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पंचायत पुस्तकालयों हेतु 32.9 लाख का प्रावधान रखा गया है। तथा SMC के 18736 सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु 11.241 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है।

गुणात्मक शिक्षण के लिये व्यापक स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगें।

विवरण	अध्यापक संख्या	अवधि	राशि
शिक्षकों का प्रशिक्षण	7650	20 दिन	107.10 लाख.
पैरा टीचर्स प्रेरण प्रशिक्षण	486	30 दिन	10.206 लाख
अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण	279	60 दिन	11.718 लाख

आई.ई.डी. के अन्तर्गत 2166 विकलांग बालक/बालिका जो राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत है उनके लिये प्रति 1200/- के हिसाब से कुल 25.992 लाख का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के निर्धन 28215 बच्चों हेतु 100/- प्रति के हिसाब से कुल 28.215 लाख का प्रावधान है।

अनुसंधान, मूल्यांकन, परिवीक्षण एवं प्रबोधन हेतु जिले के 2085 विद्यालयों में 0.014 लाख के हिसाब से कुल 29.190 लाख का प्रावधान रखा गया है तथा शैक्षिक नवाचार हेतु 50 लाख का प्रावधान रखा गया है।

निर्माण कार्य के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय में अतिरिक्त कक्षाकक्ष 200 हेतु 240 लाख, पॉच कमरे मय बरामदा, 20 विद्यालयों हेतु 125 लाख, 86 तीन कमरे मय बरामदा हेतु 309.6 लाख, 480 शौचालय हेतु 40 लाख, 200 पानी सुविधा हेतु 100 लाख, 40 रिपेयर्स हेतु 8 लाख, 50 चारदीवारी हेतु 50 लाख, 20 माईनर मरम्मत हेतु

2.5 लाख, तथा 160 मेजर मरम्मत हेतु 40 लाख, 400 प्ले एलीमेन्ट हेतु 100 लाख का प्रावधान रखा गया है।

कुल इस वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट राशि सत्र 2003–04 हेतु 2709.1888 लाख प्रस्तावित है। जिसमें निर्माण कार्यों पर 1015.1 लाख दी गई है। जो कुल बजट का 37.47 प्रतिशत है। प्रबोधन हेतु 32.06 लाख राशि रखी गई है जो कुल व्यय का 1.18 प्रतिशत है।

Norms	S.No.	Nam[illegible] Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher												
		Ist Year	Number	0.18	0	0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204		0	0	0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228		0		0	0	0	0	0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252		0		0		0	0	0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	46902	396.322	44367	374.90115	41705	352.40725	38910	328.790	171884	1452.420
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**			82		3		20		31		136	
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	82	41.000	3	1.500	20	10.000	31	15.500	136	68.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	82	73.800	3	2.700	20	18.000	31	27.900	136	122.400
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	38	45.600	120	144.000	123	147.600	143	171.600	424	508.800
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	82	51.660	3	1.890	20	12.600	31	19.530	136	85.680
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	76	63.840	278	233.520	366	307.440	409	343.560	1129	948.360
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	96.000	200	240.000	300	360.000	350	420.000	930	1116.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5		0.000	20	10.000	30	15.000	30	15.000	80	40.000
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	15000	15.000	15400	15.400	15800	15.800	16200	16.200	62400	62.400
6		**Civil Work**												
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600	10	25.600	10	25.600	11	28.160	41	104.960
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	38	136.800	82	295.200	41	147.600	39	140.400	200	720.000
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000	150	15.000	200	20.000	250	25.000	700	70.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	100	50.000	150	75.000	150	75.000	200	100.000	600	300.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000	40	8.000	60	12.000	80	16.000	200	40.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	10	1.250	10	1.250	20	2.500	12	1.500	52	6.500
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	39	9.750	50	12.500	100	25.000	100	25.000	289	72.250
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000	200	50.000	250	62.500	300	75.000	850	212.500
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	1089	54.450	1068	53.400	1126	56.300	1198	59.900	4481	224.050
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	447	22.350	529	26.450	532	26.600	553	27.650	2061	103.050
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**			61		61		93		61		276	
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	61	6.100	61	6.100	93	9.300	61	6.100	276	27.600
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	61	38.430	61	38.430	93	58.590	61	38.430	276	173.880
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84		0.000	61	51.240	122	102.480	215	180.600	398	334.320
	8.3	Honorarium of Para Teacher												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	61	8.235	61	8.235	93	12.555	61	8.235	276	37.260
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0.000	61	12.444	61	12.444	93	18.972	215	43.860
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0.000	0	0.000	61	13.908	61	13.908	122	27.816
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0.000		0.000	0	0.000	61	15.372	61	15.372
10		**School Grant**												
	10.1	Primary School	Number	0.02	1089		1068		1126	22.520	1198	23.960	4481	46.480
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	447	8.940	529	10.580	532	10.640	553	11.060	2061	41.220
11		**Teachers Grant**												
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	3348		3470		3656	18.280	3778	18.890	14252	37.170
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	4223	21.115	4349	21.745	4474	22.370	4559	22.795	17605	88.025
12		**Teachers Training**												
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	3287		3348		3441		3502		13578	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	4223		4349	60.886	4474	62.636	4559	63.826	17605	187.348

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0.000	279	11.718		0.000		0.000	279	11.718
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	61	1.281	122	2.562	215	4.515	276	5.796	674	14.154
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	3576	2.146	4232	2.539	4256	2.554	4424	2.654	16488	9.893
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	502	6.024	502	6.024	2166	25.992	2166	25.992	5336	64.032
16		**Research, Evailuation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	1089	15.246	1068	14.952	1126	15.764	1198	16.772	4481	62.734
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	447		529	7.406	532	7.448	553	7.742	2061	22.596
17		**Management Cost**												
	17.1	***District Project Office***												
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0.000	1	1.200	1	2.400	1	2.400	3	6.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04		0.000	4	4.080	4	8.160	4	8.160	12	20.400
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44		0.000	3	2.160	3	4.320	3	4.320	9	10.800
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8		0.000	1	0.900	1	1.800	1	1.800	3	4.500
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0.000	1	0.840	1	1.680	1	1.680	3	4.200
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0.000	1	0.600	1	1.200	1	1.200	3	3.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0.000	1	0.300	1	0.600	1	0.600	3	1.500
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48		0.000	4	0.960		0.000		0.000	4	0.960
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0.000	3	0.459	3	0.918	3	0.918	9	2.295
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0.000	1	0.153	1	0.306	1	0.306	3	0.765
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000	2	3.000	2	3.000	2	3.000	8	12.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000		0.000		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0.000	5	4.200	5	4.200	5	4.200	15	12.600
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000		0.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000	4	20.000
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***												
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	4	6.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000		0.000		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840	1	0.840	1	0.840	1	0.840	4	3.360
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	17.3	***BRCF Office***												
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0.000	8	7.840	8	15.680	8	15.680	24	39.200
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0.000	24	17.280	24	34.560	24	34.560	72	86.400
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44		0.000	8	5.760	8	11.520	8	11.520	24	28.800
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	8	8.640	8	8.640	8	8.640	8	8.640	32	34.560
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	8	4.800	8	4.800	8	4.800	8	4.800	32	19.200
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	8	3.840	8	3.840	8	3.840	8	3.840	32	15.360
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0.000	8	1.224	8	2.448	8	2.448	24	6.120
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***												
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	8	6.800		0.000		0.000		0.000	8	6.800
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	8	0.960	8	0.960	8	0.960	8	0.960	32	3.840
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	8	0.800	8	0.800	8	0.800	8	0.800	32	3.200
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	8	6.720	8	6.720	8	6.720	8	6.720	32	26.880
	17.5	***CRCF Office***												
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0.000	115	69.000	115	138.000	115	69.000	345	276.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**												
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	8	1.000	8	1.000	8	1.000	8	1.000	32	4.000
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	8	0.480	8	0.480	8	0.480	8	0.480	32	1.920
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	8	0.400	8	0.400	8	0.400	8	0.400	32	1.600
	19.2	**Cluster Resource Center**												
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0.000		0.000		0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	115	2.875	115	2.875	115	2.875	115	2.875	460	11.500
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	115	2.760	115	2.760	115	2.760	115	2.760	460	11.040
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	115	1.150	115	1.150	115	1.150	115	1.150	460	4.600
20		**Interventions for Out of School Children**												
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1500	12.675	1200	10.140	900	7.605	600	5.070	4200	35.490
21		**Community Mobilisation**												
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1536	15.360	1597	15.970		0.000		0.000	3133	31.330
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200	1	0.200	1	0.200	1	0.200	4	0.800
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	329	6.580	329	6.580	329	6.580	329	6.580	1316	26.320
		Grand Total				**1420.959**		**2136.823**		**2481.925**		2654.241		**8693.948**
		Total of Civil work				408.400		782.550		795.200		896.060		2882.210
		% of Civil works				28.74		36.62		32.04		33.76		33.15
		Total of Management				30.260		35.712		45.444		45.444		156.860
		% of Management				2.13		1.67		1.83		1.71		1.80

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	46902	396.322		0.000	46902	396.322
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	82	41.000		0.000	82	41.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	82	73.800	0	0.000	82	73.800
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	38	45.600	120	144.000	158	189.600
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	82	51.660	0	0.000	82	51.660
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	76	63.840	278	233.520	354	297.360
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	80	96.000		0.000	80	96.000
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	0	0.000		0.000	0	0.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	15000	15.000		0.000	15000	15.000
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	10	25.600		0.000	10	25.600
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	38	136.800		0.000	38	136.800
	6.3	Toilets	Number	0.1	100	10.000		0.000	100	10.000
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	100	50.000		0.000	100	50.000
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000		0.000	20	4.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	10	1.250		0.000	10	1.250
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	39	9.750		0.000	39	9.750
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	100	25.000		0.000	100	25.000
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	1089	54.450		0.000	1089	54.450
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	447	22.350		0.000	447	22.350
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	61	6.100		0.000	61	6.100
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	61	38.430	61	38.430	122	76.860
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000	61	51.240	61	51.240
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	61	8.235	0	0.000	61	8.235
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000	61	12.444	61	12.444
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	1089	0.000	0	0.000	1089	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	447	8.940	0	0.000	447	8.940
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	3348	0.000	183		3531	0.000
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	4223	21.115	398	1.990	4621	23.105
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	3287	0.000	122		3409	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	4223	0.000	398	5.572	4621	5.572

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	61	1.281	61	1.281	122	2.562
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	3576	2.146	0	0.000	3576	2.146
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	502	6.024		0.000	502	6.024
16		**Research, Evaihation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	1089	15.246	0	0.000	1089	15.246
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	447	0.000	0	0.000	447	0.000
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals Phy	Fresh Proposals Fin	Spillover Phy	Spillover Fin	Total Phy	Total Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	*BRCF Office*								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Enng.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	8	8.640		0.000	8	8.640
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	8	4.800	0	0.000	8	4.800
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	8	3.840	0	0.000	8	3.840
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000	0	0.000	0	0.000
	17.4	*Strengthening of BEEO Office*								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	8	6.800		0.000	8	6.800
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	8	0.960		0.000	8	0.960
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	8	0.800		0.000	8	0.800
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	8	6.720		0.000	8	6.720
	17.5	*CRCF Office*								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	19.1	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	8	1.000		0.000	8	1.000
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	8	0.480		0.000	8	0.480
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	8	0.400		0.000	8	0.400
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	115	2.875		0.000	115	2.875
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	115	2.760		0.000	115	2.760
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	115	1.150		0.000	115	1.150
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	1500	12.675		0.000	1500	12.675
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	1536	15.360	0	0.000	1536	15.360
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	329	6.580		0.000	329	6.580
		Grand Total				**1420.959**		**488.477**		**1909.436**
		Total of Civil work				408.400		0.000		408.400
		% of Civil works				28.74		0.00		21.39
		Total of Management				30.260		0.000		30.260
		% of Management				2.13		0.00		1.58

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Education
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
No